खण्ड-283, अंक-3
बुधवार, 6 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(27 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२१७–२२१
प्रश्नोत्तर	२२२–२५५
चीनी मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने सम्बन्धी नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	२५५
श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी (जारी) ..	२५६
सरकार के वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	२५६
श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी ..	२५७
मुख्य मंत्री के विरुद्ध कांग्रेस सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य को कथित डांटने का आरोप	२५७–२५८
वर्तमान सरकार से अपना न्यूनतम कार्यक्रम बनाने की मांग ..	२५८
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	२५८
सदन में बजट की आलोचना करने पर श्री उदित नारायण के विरुद्ध पार्टी के नेता द्वारा अनुशासन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	२५८–२६३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की अन्य सूचनायें ..	२६३–२६४
शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र द्वारा त्याग-पत्र की घोषणा के बाद शिक्षा सम्बन्धी अनुदान प्रस्तुत करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	२६४–२६५
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १८––शिक्षा (जारी)	२६५–३१०
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	३१०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	३१०–३१३
जिला आजमगढ़ में डकैती, हत्याओं और चोरियों की घटनाओं के संबंध में वक्तव्य	३१३–३१६
जिला बलिया में स्थित बलिया बेरिया बांध को गायघाट के सामने गंगा नदी के कटान के खतरे के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३१६–३२१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में पूछतांछ	३२२
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक १९७० (विचारोपरान्त पारित)	३२२–३३०
नत्थियां	३३१–३४०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ मई,१९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अजबसिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैय्या जी)
उमानाथसिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी,श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशो राम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनरायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री

परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता , श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन , श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराजसिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय , श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सरायं)
राममूर्ति 'अंचल,' श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरतसिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री

शिवलाल, श्री
शिव बचन, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्र साद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शे र अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

यू० पी० फिल्म जर्नलिस्ट ऐसोसियेशन को सूचना विभाग से प्रोत्साहन

**१—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़), श्री सजीनव लाल (जिला उन्नाव), श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली), श्री शेष नारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी), श्री पूरनचन्द (जिला अलीगढ़), श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया), श्री रघुनाथ सिंह, श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद), श्री राम पाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ), श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर), श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर), श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला बाराणसी), श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून), श्री भाभी (जिला आजमगढ़), श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर), श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर), श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली), श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर), श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), श्री बसन्त लाल, श्री केशव चन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर), श्री इन्द्र जीत (जिला फतेहपुर), श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद), श्री विशम्भर सिंह यादव (जिला इटावा), श्री कल्पनाथ सिंह (जिला अलीगढ़), श्री करन सिंह (जिला खीरी) तथा श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दारा मान्यता प्राप्त यू० पी० फिल्म जर्नलिस्ट एसोसियेशन नाम की कोई संस्था उत्तर प्रदेश में है? क्या सरकार इस संस्था के सदस्यों की सूची तथा इसके संविधान की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? क्या सरकार के सूचना विभाग ने अप्रैल, १९७० में संस्था की ओर से आयोजित लखनऊ में फिल्म कलाकारों को पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र देने का समारोह कर फोटोग्राफ्स लेकर तथा फिल्म खींच कर इसके प्रचार में सहायता की है ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा किसके आदेश से ?

सूचना मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

सरकार को यह जानकारी है कि यू० पी जर्नलिस्ट एसोसियेशन नाम की संस्था लखनऊ में है किन्तु सरकार ने उसे कोई मान्यता नहीं दी है। इस संस्था के सदस्यों की †सूची तथा संविधान की प्रति उसके चेयरमैन। सेक्रेटरी से प्राप्त कर ली गई है। और सदन की मेज पर रख दी गई है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने यू० पी० फिल्म जर्नलिस्ट एसोसियेशन द्वारा आयोजित फिल्म कलाकारों को पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में किये गये समारोह में कोई सहायता एवं प्रोत्साहन नहीं प्राप्त किया। चूंकि इस संस्था के कार्यक्रम का जनता की दृष्टि से महत्व था तथा राज्यपाल भी इस समारोह में गये थे, अतः सूचना विभाग ने इसकी फोटो और फिल्म कवरेज की। ऐसे सभी समारोहों की फोटो और फिल्म कवरेज राज्य सरकार के सूचना विभाग द्वारा की जाती हैं जो समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए संबद्ध समारोह की कवरेज की गयी।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री जगदीश गांधी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह संस्था श्री राम कृष्ण जी चला रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, बाम्बे में रहते हैं और वहीं से इस संस्था का संचालन करते हैं ?

इसके अलावा यह जो संविधान और सूची मिली है उसमें कोई भी उत्तरप्रदेश का पत्रकार नहीं है और उसके जो पासेज इश्यू किये जाते हैं, उनसे धन कमाया जाता है और सरकार का इन्टरटेनमेंट टैक्स छिपाया जाता है ?

श्री गेंदासिंह---

मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि श्री रामकृष्ण बाम्बे के रहने वाले हैं और यह भी कहना कठिन है कि इस सूची में जो दिखाये गये हैं वे सब उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है तथा मान्यता प्राप्त भी नहीं है और इसके ऊपर व्यय भी, फोटो आदि बातों पर, सरकार ने किया है, तो क्या सरकार आगे से इस संस्था के बारे में अपने रुख में परिवर्तन करेगी ?

श्री गेंदा सिंह---

ऐसा ध्यान रखा जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रामकृष्ण खत्री लखनऊ के ही बीसों बरस से रहने वाले हैं और उनका कार्यक्षेत्र भी यहां रहा है ?

श्री गेंदासिंह---

यह जानकारी है कि श्री रामकृष्ण खत्री लखनऊ के ही रहने वाले वर्षों से हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

सरकार का इस फोटो और फिल्म के कवरेज में कितना व्यय हुआ ?

श्री गेंदासिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

जब यह संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है और मान्यता प्राप्त भी नहीं है और उसने एन्टरटेनमेंट टैक्स को बचाने की कोशिश की है। क्या मंत्री जी उस टैक्स को वसूल करने की कृपा करेंगे ?

श्री गेंदासिंह---

इस विभाग से एन्टरटेनमेंट का कोई संबंध नहीं है। अगर वह विभाग इसकी आवश्यकता समझेगा तो वसूल करेगा।

श्री जगदीश गांधी---

क्या माननीय मंत्री जी इस संस्था के बहीखातों की जांच कराने की कृपा करेंगे और अगर अनियमितायें पायी जायं तो उनको दंडित करेंगे ?

श्री गेंदा सिंह---

यह तो देखना पड़ेगा कि अब उसके एकाउन्ट्स को देखा भी जा सकता है या नहीं। अगर देखा जा सकता होगा तो सरकार को उनके देखने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह संस्था कब से चल रही है और इस पर सन् ७० से पूर्व भी सूचना विभाग ने कुछ खर्च किया है ?

श्री गेंदा सिंह—

यह संस्था संभवतः आठ वर्षों से चल रही है।

वीर सावरकर की जयन्ती मनाने के लिये अनुरोध

**२—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वातन्त्र्य वीर सावरकर की पुण्य जयन्ती २८ मई को मनाने हेतु राज्य स्तर पर किसी समिति के गठन का विचार कर रहे हैं ? क्या सूचना मन्त्री बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में किसी विधायक से कोई सुझाव हाल में उन्हें प्राप्त हुआ है ?

श्री गेंदा सिंह—

जी नहीं, और न इस संबंध में किसी माननीय विधायक से कोई सुझाव ही प्राप्त हुआ है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि स्वातन्त्र्य वीर सावरकर की जयन्ती २८ मई को मनाने के लिये किसी समिति का गठन न करने का आधार व कारण क्या हैं जब कि हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिये बड़ी भारी कुरबानी उन्होंने की और उनके त्यागमय जीवन से करोड़ों नौजवान प्रभावित हो रहे हैं ?

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, सही बात यह है कि यह विभाग समिति का गठन नहीं करता। किसी जयन्ती को मनाने के लिये कोई गैर सरकारी संस्था अगर किसी समिति को बनाने का प्रयास करती है तो उसमें यह विभाग सहायता करता है। इस बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव दूसरी तरफ से नहीं हुआ, इसलिए इस पर विचार नहीं हो सका।

श्री कृष्ण स्वरूप—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने आज से लगभग २५ दिन पूर्व प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय चरणसिंह को एक पत्र लिख कर यह निवेदन किया था कि २८ मई को देश के सम्मानित नेता, वीर सावरकर की जयन्ती के अवसर पर एक समिति का गठन किया जाय और दूसरे नेताओं की तरह से सरकारी तौर पर वीर सावरकर की भी जयन्ती मनायी जाय ?

श्री गेंदा सिंह—

मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

ऐसा पत्र माननीय सदस्य का मुझे मिला था और मैंने उसका जबाव भी दे दिया था।

श्री कृष्ण स्वरूप—

मुख्य मंत्री जी ने जो पत्र का उत्तर दिया है मैं उसके प्रकाश में यह जानना चाहूंगा उनसे कि उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की है कि उनकी जयन्ती सरकारी स्तर पर मनायी जाय यह सुझाव अच्छा है परन्तु इस समय इतनी जल्दी में यह सम्भव नहीं है, तो क्या सरकार बतायेंगी कि आगामी वर्ष इस प्रकार का आयोजन कर के उनकी जयन्ती राज्य स्तर पर मनायी जायगी ?

श्री चरण सिंह--

मैं तो यह समझता हूं कि हर वर्ष तो जयन्ती मनायी नहीं जाती है कोई। जहां तक बीर सावरकर की कुरबानी और बलिदान का सम्बन्ध है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा, हम सब लोगों ने अपनी जवानी के दिनों में उनसे बहुत प्रेरणा ली थी इसमें भी दो रायें नहीं हैं। और बहुत से लोगों ने कुरबानी की है। तो कितने लोगों की जयन्ती मनायी जाय प्रश्न यह उठता है। कुछ हमारे महापुरुष है उनके जन्म दिवस हम मनाते ही हैं। इसमें कोई बहस का सवाल नहीं उठता है कि हम किसी को दूसरे के मुकाबले में छोटा कह रहे हैं, सब ने बड़ी से बड़ी कुरबानी की है, लेकिन यह विचारणीय बात है कि यह बात कहां तक व्यावहारिक होगी कि हमारे जितने महापुरुष हैं उनकी गवर्नमेंटल लेविल पर जयन्ती मनायी जाय। हां, कोई नान-आफिशियल बाडी इस काम को करे तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रेरणा मिले वह तो स्टेट गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। लेकिन अभी इस पर हमने विचार नहीं किया है इसलिये मैंने आपको यह जवाव दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जो भावनायें मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त की है उनका तो सभी लोग आदर करेंगे। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि कोई बड़ा समारोह न हो परन्तु देश के महान क्रान्तिकारियों में वह रहे और उनका मुकाबला कोई साधारण क्रान्तिकारी से नहीं किया जा सकता, तो कोई योजना प्रति वर्ष उनके जन्म दिवस के उपलक्ष में सरकारी स्तर पर मुख्य मंत्री जी या चौधरी चरण सिंह जी अपने व्यक्तिगत नाते से तैयार करने पर सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष--

व्यक्तिगत नाते उत्तर की तो मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, मुख्य मंत्री सिर्फ सरकार की तरफ से उत्तर दे दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मेरा मतलब है कि कोई गैरसरकारी समिति आप गठित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह काम सरकार का नहीं हो सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

किसी तरह का कोई आयोजन करने का विचार है या नहीं ?

श्री चरण सिंह--

मैं अपनी कठिनाई बता चुका। बहुत से महापुरुष हुये हैं और शायद बहुत बड़े महापुरुषों की कोटि में वीर सावरकर आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कठिनाई मने बता दी। अब मैं और वह बात कर लेंगे। हमें करने में क्या कठिनाई है। फिर सारे देश का सवाल है, केवल अपने प्रदेश का ही सवाल नहीं है। फिर सवाल उठेगा महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोप वगैरह-वगैरह का।

नियोजन विभाग के कर्मचारियों को कथित नोटिस

**३--श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

क्या राज्य सरकार ने नियोजन विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के हजारों कर्मचारियों को नोटिस दी है कि उनकी सेवाओं की ३१ मई, १९७० के बाद आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन्हें दूसरे विभागों में प्राथमिकता देगी ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

नियोजन विभाग के अन्तर्गत तीन विभागाध्यक्ष निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या, निदेशक, विकास अन्वषणालय तथा निदेशक, मूल्यांकन आते हैं। इन तीनों विभागों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ३१ मई, १९७० के पश्चात् सेवा समाप्ति के कोई नोटिस नहीं दिय गये और न वहां हजारों की संख्या में कर्मचारी ही हैं। अतः ऐसे कर्मचारियों की अन्य विभागों में नियुक्ति में प्राथमिकता का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगभग ७०० कर्मचारियों को नोटिस देने के लिये विभाग द्वारा योजना बनाई गई थी, परन्तु प्रश्न करने से और कुछ विधायकों और यूनियनों द्वारा पत्र दिये जाने के कारण सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया है और अगर स्थगित कर दिया है तो कब तक के लिये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

हमारे यहां तीन विभाग आते हैं। इन तीनों की तरफ से कोई नोटिस नहीं दी गई और न दिये जाने की बात थी।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की योजना अप्रैल और मई में थी ? तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि उनको नहीं निकाला जायेगा ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, हमको विभाग ने बतलाया है कि इस तरह की कोई नोटिस नहीं दी गई है और यह कि आवेदन-पत्र उन्होंने कोई दिया इस वजह से रुक गया, यह भी मैं समझता हूं कि बात सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनसे इन्क्वायरी करा लूंगा। यहां इस बात का आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि ७०० कर्मचारी किसी भी सूरत में अगर जरुरत हुई तो उनकी छटनी नहीं की जायेगी।

देवरिया जिले में करमुवां गांव का अग्निकाण्ड

**४---श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम करमुवां में गत ११ मई, १९७० को भीषण अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जल कर राख होने के साथ-साथ एक दर्जन आदमी तथा पशु जलकर मर चुके हैं तथा दर्जनों आदमी तथा जानवर झुलस गये हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने कौन-कौन सी मदद एवं कार्यवाही की है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)---

देवरिया जिले के तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम करमुवां में गत ११ मई, १९७० को अग्निकांड हुआ। इसमें १११ घर जल गये और अनुमानतः २,७५,००० रुपये का नुकसान हुआ। दो व्यक्तियों एवं १८ पशुओं की मृत्यु भी हो गई। इसके अतिरिक्त इस अग्निकांड में १३ व्यक्ति तथा ५ बकरियां झुलस भी गई हैं। ३ अधिक घायल व्यक्तियों की देवरिया अस्पताल में चिकित्सा की जा रही है। पीड़ितों को सहायतार्थ २,०४० रुपये नकद ७.५५ क्विंटल गल्ला एवं ४७ धोतियां, ५५ साड़ियां व ७० चादरे १५ मई तक वितरित हो चुकीं थी। सहायता कार्य जारी है। अग्नि पीड़ितों द्वारा देय मालगुजारी तथा अन्य राजकीय देयों की वसूली स्थगित है। गांव वालों को तकावी लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देने को कहा गया है।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि करमुवां गांव पूरा जल गया । १८ जानवर मर गये, २ आदमी मर गये और १३ आदमी घायल हुये और आज भी वहां कुछ लोग पेड़ों के नीचे रह रहे हैं ? तो क्या सरकार उनके घरों को बनवाने के लिये सब्सीडी देगी और अगर देगी तो कितनी-कितनी सब्सीडी देगी और उसके वितरित करने के आदेश कब तक हो जायेंगे ?

श्री राम किंकर--

मान्यवर, प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिये १०० रुपये दिये जा सकते हैं और उनके जानवरों के भूसे और चारे के लिये भी १० रुपये दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है और लगान भी रोक दिया गया है । उनको तकावी देने के लिये कहा गया है कि अगर वह दरख्वास्त देंगे तो उनको डिस्ट्रेस्ड तकावी देंगे ।

श्री सजीवन लाल---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मकान बनाने के लिये १०० रुपये रखे गये हैं और चारा भूसा के लिये १० रुपये की व्यवस्था की गई है और यह भी बताया कि लगान रोक दिया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लगान रोक दिया गया उसे माफ करने का इरादा है या नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्रीचतुर्भुज शर्मा)---

इसके लिये जब जिले से रिपोर्ट आती है तब कोई कार्यवाही की जाती है । अब तक ऐसी कोई मांग नहीं आई और न रिपोर्ट आई है । जब रिपोर्ट आ जायेगी तो कोई कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम करन (गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता दी जा रही है यह जो बहुत पुरानी परम्परा रही है उसके आधार पर दी जा रही है ? तो क्या आज की परिस्थिति में यह काफी है और यदि नहीं तो क्या सरकार उसको अधिक देने के विषय में विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इसमें पुरानी परम्परा की बात नहीं है । पहले ६५ रुपये दिये जाते थे वह आज की परिस्थिति में कम पाये गये इसलिये उनको बढ़ा कर १०० रुपये कर दिया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

यह देखते हुये कि यह मदद रुपये की शकल में दी जाती है और इतनी थोड़ी मात्रा में होती है कि वह किसी परपज के लिये इस्तेमाल नहीं हो सकता तो मंत्री जी इस चीज पर विचार करेंगे कि साल भर में जितने रुपये का नुकसान हो उतना तकावी के रूप में दे दें ताकि कुछ काम आ सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जो अनुदान दिया जाता है वह गरीब लोगों को अहेतुक सहायता के नाम से दिया जाता है और तकावी दी जाती है । तकावी के लिये जो नियम हैं वह उनके अनुसार दी जाती है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)---

देवरिया जिले में गांवों के लिये कोई फायर ब्रिगेड नहीं है और वहां १०-१० दिन ८-८ दिन आग जलती रहती है और फायर ब्रिगड नहीं पहुंचता तो सरकार वहां फायर ब्रिगेड का इन्तजाम करने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा–

हमारा इरादा तो है कि ऐसा हो, लेकिन नामुमकिन सा मालूम होता है, क्योंकि बहुत से जिलों में अभी फायर ब्रिगेड नहीं है । जहां जहां हैं वहां सूचना देने पर वहां से भेजे जाते हैं, यह इन्तजाम किया जा रहा है फिलहाल ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यह देखते हुये कि आग की भीषणता को देखते हुये जो सहायता दी गयी है वह बहुत ही अपर्याप्त है, तो विशेष सहायता के रूप में माननीय मंत्री जी विवेक-धन कोष से कुछ विशेष सहायता देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह तो कितना रुपया है इसपर मुनहसिर करता है । अगर कोई विशेष बात हो तो वह दे सकते हैं अगर रुपया होगा । न होगा तो न भी दे सकें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम —

हमारे जिले में हर साल आगजनी, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि भगवान करे इस साल न हो इन सब चीजों से पीड़ित रहता है । तो इन सब चीजों को निपटाने के लिये तहसील स्तर पर कोई कमेटी मंत्री जी बनायेंगे—एक सर्वदलीय कमेटी–जिसमें कि अधिकारी और नान-आफिश्यल भी रहें और वह तुरन्त आवश्यकता पड़ने पर इन्तजाम करने का यत्न करें, तो ऐसी कमेटी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वैसे अधिकारियों के पास इन आपदाओं के लिए कुछ फंडस रहते हैं, लेकिन यह काम ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर जिस जगह आपदा आती हों वहां गैर सरकारी तरीके पर कुछ लोग कमेटी बनायें । उसके बाद हो सकता है सरकार उसमें सहायता पहुंचा सके । लेकिन हर जगह बनाने के लिए उसके पास पैसे का प्रबन्ध नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मालगुजारी माफी वाली भूमि तथा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में संशोधन

*१—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २६ फरवरी, १९७० के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अंकित घोषणा, "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम को अन्य बातों के अलावा इस प्रकार संशोधित करने का निश्चय किया गया है कि एक परिवार जिसमें खातेदार, उसकी पत्नी अथवा उसका पति व उसके नाबालिग बच्चे शामिल होंगे, कुल मिलाकर तीस एकड़ से अधिक भूमि न रख सकेंगे और बागों व सहकारी समितियों को जो अधिकतम जोत सीमा से छूट मिली है वह समाप्त हो जायगी तथा जिन लोगों के पास तीन सही एक बटा आठ एकड़ यानी पांच पक्के बीघे जमीन हैं, उनको मालगुजारी से छूट दी जायगी " को कानून में बदलने के लिए विधान सभा में अधिनियम किस तारीख को पेश किये जायेंगे?

श्री राम किंकर—

३ १/८ एकड़ तक की जोतों की मालगुजारी माफ किये जाने से संबंधित विधेयक २२-५-७० को विधान सभा में पुर: स्थापित कर दिया गया है । अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम १९६० में संशोधन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सीमा का जो कानून है उसके किस पहलू पर विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। यहां राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बात कही गई थी उस पर मुख्य मंत्री जी ने विचार किया था लेकिन इस सारे के सारे मामले पर फिर से अपनी अपनी पार्टियों के अन्दर और इस सदन में विचार होगा तभी अन्तिम निर्णय होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, उस घोषणा को तो लगभग तीन महीने हो गये तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मामला अन्य क्या मंत्रियों के सामने आया या नहीं अथवा उस पर अन्य मंत्रियों ने विचार था या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

पहले जो घोषणा हुई वह विचार करके की गई होगी लेकिन उसके बाद यहां सदन में और बाहर भी कह दिया गया कि इस पर विचार होना है। उसके बाद यह चीज मंत्रिपरिषद् के सामने नहीं आई।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में घोषणा कर दी और यह कैबिनेट के सामने मसला आया नहीं। क्या बगैर कैबिनेट के डिसीजन के राज्यपाल के अभिभाषण के इस सवाल पर घोषणा कर दी गई? अगर कर दी गई तो क्यों और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार का सहीं उद्देश्य क्या है? यह मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैंने कहा था कि उस समय इस प्रश्न पर मंत्रिपरिषद् में विचार हुआ होगा और उसी के आधार पर हुआ है और उसी के आधार पर जो अभिभाषण हुआ उसमें सलाह दी होगी। अभी उसपर विचार होना है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

विचार हुआ होगा इसका क्या अर्थ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैंने कहा विचार हुआ है। .....(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने अपने उत्तर को रिवाइज कर दिया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

क्या राज्यपाल का भाषण मंत्रिपरिषद् की नीति के अनुसार नहीं होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह मंत्रिपरिषद् की नीतियों के अनुसार ही होता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का समावेश इस लिये किया गया कि उन्होंने यह निर्णय किया था और इसीलिये राज्यपाल के भाषण में वह आया

था और उसके बाद मंत्रिमंडल में पुनर्विचार के लिए इस लिये आया कि वह कांग्रेस से मिल गया है और यह विचार हुआ कि उस पर फिर से विचार किया जाय जैसा कि वह अभी बता रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं ।

श्री कृष्णा नन्द राय---

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि राज्यपाल के भाषण में इसको इसलिए समावेश किया गया था मंत्रिमंडल ने उस पर विचार किया था और उसके बाद जब विधान सभा का कार्य हुआ तो उस पर फिर यह निश्चय किया गया कि अब इसमें कुछ संशोधन वगैरा किया जाय । क्या राज्यपाल के भाषण के बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल फिर इस प्रश्न को लेकर बैठा और उसने यह निश्चय किया कि इस पर संशोधन किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है । उन्होंने यह उत्तर दिया कि पुनः मंत्रि परिषद् ने इस पर कोई विचार नहीं किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एक दफे निश्चित घोषणा के बाद पुनः विचार का प्रश्न क्योंकर पैदा हुआ और उसके क्या कारण थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह मसला बड़ा अहम है और इसी कारण ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मंत्रिमंडल के स्तर पर इस पर विचार होता ही रहता है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मंत्रिमंडल में विचार होने के बाद ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसको सम्मिलित किया गया और उसमें यह घोषणा की गई । मै पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर इस लिये पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो गई है कि कांग्रेस शासक दल इसके विरुद्ध है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैंने पहले ही यह अर्ज किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस लिये यह नहीं कि यह कांग्रेस शासक दल में सम्मिलित हो गया है परन्तु इस महत्वपूर्ण प्रश्न का फैसला सोच विचार कर ही करना चाहिये इसलिये इस पर विचार करना है ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

क्या यह सही है कि अभी तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर घोषणा तो हो चुकी है और विस्तार से विचार करने के बाद ही इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, मैं केवल यह पूंछना चाहता हूं कि क्या इस पर पुनर्विचार होगा और क्या इस पर मंत्रि परिषद् में कोई निर्णय लिया गया है यानी पुरानी नीतियों को बदलने के लिये पुनर्विचार होगा और क्या मंत्री परिषद् ने इस पर कोई निर्णय लिया है ?

श्री चरण सिंह—

यह सवाल पहले भी उठ चुका है। जहां तक उसका सवाल है उसकी घोषणा हो चुकी है। अब उसके डिटेल्स पर तो हमेशा ही विचार होता रहेगा। यहां तक कि असेम्बली में आने के बाद भी उसकी जांच हो सकती है। विस्तार में, सेलेक्ट कमेटी में भी उसकी जांच की जा सकती है। उस पर तो विचार हमेशा ही जारी रहेगा जब तक कि वह पेश होकर पास नहीं हो जाता। बाकी नीति की हम घोषणा कर चुके हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

कई सदस्य—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है.....

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि अभी माल मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर सोच विचार के निर्णय होना चाहिए। तो क्या यह समझा जाय कि मुख्य मंत्री जी ने जो पहले निर्णय लिया था वह बिना सोचे-समझे लिया था ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है.....

कई सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है.....

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

कृपया सदन में शान्ति रखें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इस पर आपने सब दलों को मौका दिया लेकिन मेरे दल के नेता बार-बार खड़े होते रहे परन्तु दुर्भाग्यवश आपकी नजर उन पर नहीं पड़ी। उनको भी मौका मिलना चाहिए। (व्यवधान)।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरा भी निवेदन सुन ले। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न संख्या २।

मानिकपुर पम्प कैनाल से पर्याप्त जल न मिलना

*२—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि जिला प्रतापगढ़ की मानिकपुर पम्प नहर टेक्निकल त्रुटि के कारण कृषकों को पर्याप्त पानी नहीं दे रही है जिससे ग्रीष्म ऋतु की जायद फसलें सूख रही हैं ?

सिचाई उपमंत्री (श्री जगरनाथ)—

यह सही नही है कि मानिकपुर पम्प नहर में टेक्निकल त्रुटि के कारण कृषकों को पर्याप्त पानी नहीं दे रही है, बल्कि इस नहर को केवल १० क्यूसेक्स पानी चलाने काबिल ही विद्युत अक्तूबर १९६९ में मिली थी जिससे नहर के हेड के पास के क्षेत्रों में ही सिंचाई का प्रस्ताव बनाया गया और सिंचाई की गई है। उस क्षेत्र में फसल सूखने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री जयराम यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर से सींचने का जो प्रस्तावित क्षेत्रफल है उसका रकबा कितना है ?

सिचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, इसकी क्षमता बढ़ायी जा रही है। कितना क्षेत्रफल इससे सिंचित हो सकेगा उसके आंकड़े तो नहीं है। प्रारम्भ में दस क्यूसेक्स की बनी थी, जितनी बिजली हमको उपलब्ध हो सकती थी, और अब ५० क्यूसेक की बनायी जाएगी, और उम्मीद है कि अगले महीने चालू हो जाएगी, ५० क्यूसेक्स पानी देगी।

श्री जयराम यादव—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कह दिया कि आंकड़े नहीं है।

श्री जयराम यादव—

मंत्री जी ने कहा कि गर्मी के महीने में भी पानी दिया जा रहा है, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च से १५ मई तक कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की गयी है इस नहर से ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, पाइप लाइन बनी हुई है, इसमें कुछ पाइप्स लीक करते थे, उनकी मरम्मत हो रही है। जो ५० क्यूसेक्स पानी छोड़ने की स्कीम बनायी गयी थी, चूंकि पाइप इस समय लीक कर रहे हैं इसलिए ५० क्यूसेक्स अभी नहीं छोड़ा गया। दस क्यूसेक्स वाला पानी चल रहा है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बता दिया गया कि उनके पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री जयराम यादव—

मेरी जानकारी यह है कि गर्मी के महीने में यह नहर बिलकुल नहीं चली, तो इसको सही मानकर मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अवश्य करायेंगे। मैं तो इसकी भी जांच कराऊंगा कि यह जो पाइप लाइन बनी थी यह क्यों लीक कर रही है ? यह मैं आश्वासन देता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री शफीक अहमद खां—

[८वें सोमवार के प्रं० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हल्द्वानी नगरपालिका द्वारा रामपुर रोड पर श्री जगन्नाथ प्रसाद गर्ग को जमीन देने का विरोध

*२–श्री प्रेमचन्द्र शर्मा जिला (अलीगढ़)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी-काठगोदाम नगरपालिका के अन्तर्गत नगरपालिका की असहमति के बावजूद सरकार एक व्यक्ति, श्री जगन्नाथ प्रसाद, को रामपुर रोड, जो एक प्रान्तीय सड़क है, के निकट भूमि लीज पर देने जा रही है और क्या यह सत्य है कि उसी स्थान पर प्रान्तीय सड़क की दूसरी ओर नगरपालिका का मटन मार्केट जिसकी कीमत इस समय करीब ४०,००० रु० है, इसलिये तोड़ दिया गया था कि यातायात की वृद्धि होने से वह सड़क संकीर्ण पाई गई थी ?

स्वायत शासन राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)––

कथित भूमि को श्री जगन्नाथ प्रसाद गर्ग को पट्टा द्वारा देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। यह सत्य है कि कथित भूमि के दूसरी ओर एक मटन मार्केट था जो अन्य वजूहातों के साथ ट्रैफिक के रुकावट हेतु भी सन् १९६७ में तोड़ दिया गया।

*३–श्री प्रेमचन्द्र शर्मा––

क्या यह सत्य है कि सरकार के नगरपालिका (ख) विभाग के किसी अधिकारी ने जिला अधिकारी, नैनीताल को पत्र लिखा था कि, चूंकि नगरपालिका लीज का प्रस्ताव नहीं कर रही है, उसमें विलम्ब कर रही है, अतः लीज के कागजात बिना नगरपालिका के प्रस्ताव के ही भेज दिये जावें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

जी नहीं।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा––

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सन् १९६७ में इस सड़क पर ट्रैफिक में रुकावट होने के कारण बना हुआ मारकेट तोड़ दिया गया था तो क्या कारण है कि दूसरे आदमी को यह लीज दी जा रही है जहां पर रास्ता संकीर्ण है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)––

नक्शा देखने से मालूम होता है कि रास्ता संकीर्ण नहीं है।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा––

वहां पर ४० हजार का बना मारकेट सन् ६७ में इसी कारण से तुड़वाया था।

श्री अतीकुर्रहमान––

१९६७ में इस सड़क को डाइवर्ट करना था दूसरी तरफ इसलिए तुड़वाया था।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)––

क्या म्युनिसिपल बोर्ड हल्दानी ने इस जमीन को श्री जगन्नाथ प्रसाद को देने के बारे में कोई प्रस्ताव पास किया है ?

श्री अतीकुर्रहमान––

म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा––

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है और वह यह समझते हैं कि यहां पर इस तरह से लीज देना गलत है तो सरकार ने लीज देने में क्यों दिलचस्पी दिखाई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

उन्होंने दरख्वास्त दी थी उस जमीन की लीज लेने की और कंडीशन यह पेश की थी कि वह ३ हजार रुपया प्रिमियम देंगे और ६ रुपया सालाना किराया देंगे और इस जमीन में कोई बिल्डिग नहीं बनायेंगे । यह उनकी दरख्वास्त मन्जूर कर ली गई थी और इसके बाद उनको जमीन दे दी गई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी हल्द्वानी नगरपालिका की राय जानने के लिये इसको भेजना चाहेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इसलिये भेजने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के पास नगरपालिका के १० सदस्यों का लिखकर रिप्रिजन्टेशन आया है कि जगन्नाथ प्रसाद को उक्त भूमि लीज पर न दी जाय ?

श्री अतीकुर्रहमान—

कोई पत्र तो नहीं आया लेकिन रिकार्ड को देखने से पता चलता है कि पी० डब्लू० डी० कमेटी ने ऐसा सुझाव दिया था ।

श्री राम करन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सड़क की पूरी चौड़ाई कायम करने के लिहाज से ४०,००० रुपए की लागत की इमारत खत्म का गई और एक दूसरे व्यक्ति को म्युनिसिपल बोर्ड और स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध श्री जगन्नाथ प्रसाद को वह लीज पर दी जा रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

चूंकि श्री गर्ग ने ३,००० रुपया प्रीमियम देने का वादा किया है और जिस जमीन से बेदखली की गई है उसका ६ हजार रुपया सालाना किराया देने का भी उन्होंने वादा किया है और साथ ही उस जमीन पर कुछ न बनाने का भी वादा किया है ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, यह सरकारी रोड, रामपुर रोड है जिस पर आप भी अवश्य गये होंगे उस पर एक मार्केट ४०,००० रुपए की लागत से बना था जिसको तोड़ा गया क्योंकि वहां पर ट्रेफिक में रुकावट होती थी । अब उस जगह का लीज दिया जा रहा है और सरकार भी दिलचस्पी ले रही है, जब वहां की नगरपालिका न प्रस्ताव पास नहीं किया तो जिलाधीश को इसके लिये लिखा गया कि देरी हो रही है इस वास्ते कागजात भेज दिये जायं । जब नगरपालिका नहीं चाहती और वहां की जनता भी नहीं चाहती तो सरकार क्यों दिलचस्पी इसमें ले रही है और यह पोलिटिकल प्रेशर क्यों है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह तो सन् १९५९ का मामला है, उस वक्त क बोर्ड की क्या राय थी यह तो इसमें कुछ रिकार्ड पर नहीं है ।

वीरसिंहपुर-दोस्तपुर सड़क पर मझुयी नाले का पुल निर्माण

*४—श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर ज़िले की सड़क वीरसिंहपुर-दोस्तपुर के मील नं० १० पर मझुयी नाले में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर द्वारा निर्माणाधीन पुल जिसका निर्माण कार्य सन् १९६७ में प्रारम्भ हुआ था, अब तक क्यों नहीं बन पाया ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्रि (श्री वीर बहादुर सिंह)—

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कुछ समय पश्चात् ठेकेदार ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद कुछ तकनीकी कारणों से यह पुल अब तक नहीं बन सका। अब इसे शीघ्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

*५—श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

क्या उल्लिखित पुल इस वर्ष बरसात के पूर्व बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उल्लिखित पुल का इस वर्ष बरसात से पूर्व बनकर तैयार होना सम्भव नहीं है।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के निर्माण के लिये सहायक अभियंता सुल्तानपुर ने यह लिखित आश्वासन दिया था कि यह पुल बरसात से पहले तैयार हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

कोई किसी प्रकार का आश्वासन तो नहीं दिया लेकिन यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, आशा कि जुलाई में यह कार्य शुरु हो जायगा और पुल का कार्य अक्तूबर, १९७० तक हो जायगा।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

अभी माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इस विषय में मैं पढ़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि 'आपके पत्र दिनांक २८-१-७० के सन्दर्भ में यह सूचित किया जा रहा है कि मील १० वीरसिंहपुर दोस्तपुर मार्ग पर मझुई नाले पर पुल बनाने का कार्य कुछ विभागीय कठिनाईयों की वजह से अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। अब अगणन आदि करीब-करीब तैयार हो गये हैं और आशा है कि शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जायगा और भरसक यह प्रयत्न किया जायगा कि बरसात के पूर्व ही कार्य समाप्त हो सके। इस चिट्ठी द्वारा सहायक अभियन्ता, ने मुझे और जिलाधीश, सुल्तानपुर को आश्वासन दिया था। क्या मंत्री जी इस चिट्ठी के आधार पर स्वीकार करेंगे कि उनके विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

श्री धर्म सिंह—

हमारे पास जो रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार मैंने सदन को बता दिया। माननीय सदस्य ने जिस पत्र को पढ़ कर सुनाया और जिसका जिक्र भी किया, मैं दिखवा लूंगा कि क्या स्थिति है ?

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

यह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री धर्म सिंह--

मैंने अभी उत्तर दिया कि इस पर जुलाई में कार्य आरम्भ हो जायगा, और अक्तूबर, १९७० में समाप्त हो जायगा ।

देवरिया जिले में राजमार्ग पर अनियमित निर्माण

*६--श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

*क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि देवरिया जिले में लेटरल रोड नं० २८ राजमार्ग क दोनों किनारों पर २२० गज के भीतर बड़ी तेजी से जिला परिषद् के माध्यम से अनेक स्थानों पर स्थाई भवन निर्माण का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बांकेलाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगें कि वे एक महीने, २ महीने या कितना समय सूचना एकत्रित करने में लेंगे और उससे हमको अवगत करा देंगे ?

श्री धर्म सिंह--

श्रीमन्, मुझे खेद है कि यह सूचना बहुत जल्द एकत्रित हो जानी चाहिए थी लेकिन जो सूचना प्राप्त हुयी, उससे सरकार सतुष्ट नहीं हुयी । उसमें और छानबीन की आवश्यकता समझी गयी, इसलिए प्रश्न को स्थगित करना पड़ा ।

श्री रामधारी शास्त्री--

जो सड़क नम्बर २८ के किनारे जिला परिषद् की ओर से स्थायी मकान बना लिए गये हैं या एक महीने पहले कसिया और फाजिलनगर में बनवा लिए गए हैं, उनकी सूचना किस स्टेज पर है ?

श्री धर्म सिंह--

मैंने निवेदन किया था कि सरकार के पास थोड़ी सी सूचना प्राप्त हुयी थी, उससे सरकार पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं थी और छानबीन की आवश्यकता थी । इसलिए एक्जीक्युटिव इन्जीनियर से पुनः जांच करायी जा रही है और डिटेल का मामला था । इसलिए उत्तर में देरी हो गयी है ?

श्री दीपनारायण मणि--

जो निर्माण हो रहा है इस निर्माण को शीघ्र कराने के आदेश देने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं । आप कृपया बैठें, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं । प्रश्न पूछा गया है, पहले उसका जवाब आने दीजिए ।

श्री धर्म सिंह--

जिस काम के बारे में माननीय सदस्य कह रहें हैं, जो काम वहां पर चल रहा है, उसके लिए तार-द्वारा आदेश भेंज दिए जायेंगे ।

श्री छांगुर—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि २ महीने के बाद भी कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब तक सरकार के पास सूचना न आ जाय तब तक उस सवाल को एजैन्डा पर नहीं आना चाहिए। इसलिए अच्छा हो कि आप आदेश दे दें कि जबतक उनके पास सूचना न आ जाय, तब तक सदस्य को धोखा न दें ?

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जब सूचना एकत्रित करने में देरी हो तो उनको इस तरह की चीज कहनी चाहिए कि कब तक जवाब आ जायेगा और जो और भी सूचना हो। यह भी पूछ सकें। और भी चीजें हैं जिसकी सूचना उनको दे सकें। उसके बाद यह कहेंगे कि १५ रोज या २० रोज के बाद फिर पूछेंगे ।

श्री बांकेलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुकम्मिल जवाब कब तक आ जायेगा ?

श्री धर्म सिंह—

अगले हफ्ते में जो बुधवार होगा जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रश्न आते हैं, उस दिन दे लूंगा।

तुलसीपुर-हरैया तथा तुलसीपुर-पचपेड़वा सड़क पर पुलों का निर्माण

*७—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर-हरैया तथा तुलसीपुर-पचपेड़वा रोड पर कुल कितने नदियों पर ब्रिजेज का निर्माण कार्य चल रहा है तथा उनका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री धर्मसिंह—

तुलसीपुर-हरैया तथा तुलसीपुर-पचपेड़वा मार्ग पर जिन पुलों पर कार्य चल रहा है उनके निर्माण-कार्य के पूर्व होने की अनुमानित तिथि निम्न प्रकार है :—

पुल का नाम ।	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
तुलसीपुर-हरैया मार्ग	
(१) सिरिया नाले पर पुल ..	.. ३१-५-७१
(२) ककरहवा ..	.. पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है।
तुलसीपुर-पचपेड़वा मार्ग	
(१) नकटी नाले पर पुल ..	.. ३१-५-७१
(२) काठा ,, ,, ,, ..	.. ३०-६-७१
(३) बढ़नी ,, ,, ,,	.. ३०-६-७१
(४) भांवर ,, ,, ,,	.. ३०-६-७२
(५) दुधिया ,, ,, ,,	.. ३०-६-७१

नगरपालिका टांडा में शिक्षा अधीक्षक

*८—श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका टांडा (फैजाबाद) द्वारा १९६९ तथा १९७० में नगरपालिका के कितने अन अध्यापक कर्मचारियों को ६० वर्ष की आयु उपरान्त सेवा में वृद्धि दी गई ? तथा किस आधार पर ऐसा किया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

कोई भी अनअध्यापक कर्मचारी को वर्ष १९६९ से ७-५-१९७० तक ६० वर्ष की आयु के उपरान्त सेवा काल में वृद्धि नहीं दी गई ।

*९—श्री इम्तियाज हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सत्य है कि टांडा नगरपालिका में शिक्षा अधीक्षक के पद पर अनक्वालीफाइड व्यक्ति अवैध रूप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगरपालिका टाण्डा में श्री आलिम हुसैन, बी० ए० एच० टी०सी० शिक्षा अधीक्षक, के पद पर अस्थायी व स्थानापन्न रूप से १ जुलाई, १९६९ से कार्य कर रहें हैं। सरकार के आदेशानुसार अध्यक्ष, नगरपालिका, टाण्डा ने उनकी स्थानीय स्थानापन्न नियुक्ति तब तक के लिये कर रखी है जब तक कि शासन द्वारा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति नहीं कर ली जाती ।

[दिनांक २७ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बलिया नगरपालिका में जमींदारी न समाप्त होना

*१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया नगरपालिका की जमींदारी अब तक समाप्त न करने के क्या कारण हैं और वे कारण कब तक दूर होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा

बलिया नगरपालिका से सम्बन्धित गांवों के कृषि क्षेत्रों के सीमांकन के विरुद्ध दायर की गई एक अपील अभी राजस्व परिषद् में विचाराधीन है । इस अपील के निर्णय के बाद ही उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित की जा सकेगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो अपील है उसमें संभवतः १४ मई की तारीख पड़ी थी और उसी अपील का निपटारा होना है । माननीय मंत्री जी ने आश्वाशन भी दिया था कि ये जमींदारी पहली जुलाई के बाद खत्म करेंगे । तो क्या उस अपील के निपटारा करने के लिये मंत्री जी लिखेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, कहा गया है कि १५ जून तक उसका फैसला हो सके तो कर दिया जाय ताकि वहां भी कानून बन जाय ।

श्री मैनेजर सिंह —

माननीय मंत्री जी ने अनेक बार उत्तर दिया है कि यह मामला राजस्व परिषद् में विचाराधीन है । इसलिये जमीन्दारी विनाश के सिलसिले में विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला जो विचाराधीन है यह उन्हीं के विभाग का है । तब भी यह विज्ञप्ति जारी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कानून तो लागू है लेकिन ये जो अपीलें दायर हुई हैं उनका फैसला होना है। और यह भी निश्चित होना है कि कितनी जमीन नगरपालिका की आबादी वगैरह की है और कितनी आराजी जोत की है। इसका सीमांकन होना है। इसलिये जब तक अपीलें तय नहीं हो जायेंगीं तब तक यह कानून लागू नहीं हो सकता।

बलिया जिले में नौकागांव को गंगा की कटान से क्षति

*२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील व जिला बलिया का नौका गांव उर्फ रामनगर गांव की बस्ती इस वर्ष गंगा की बाढ़ से कट गई है ? यदि हां, तो यहां के लोगों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम किंकर—

जी हां। जिला बलिया के नौका उर्फ रामनगर गांव के बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को स्थायी रूप से बसाने के लिये ग्राम सीताकुंड में गांव समाज की भूमि हस्तगित की गई है और उसे एलाट करने की कार्यवाही हो रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उस जमीन पर रामनगर के लोग बसा दिये गये और उसके बाद २१-२२ मई को सीतापुर के लोग लाठी भाले से लैस होकर आये और उनको उजाड़कर उनकी संपत्ति को लूट लिया है। हल्दी थाने में इसकी रिपोर्ट धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत हुई है लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री राम किंकर—

मान्यवर, इसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

मेरठ जिले में नालों की बाढ़ से क्षति

*३—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कैनाल डिवीजन मेरठ के, तहत नाला, इकलावली, ललयाना महलवाला, किठौर राधना छोइया, माछरा वेठ पसवाड़ा मवऊ डिरेन आदि निमन नदी मार्च, १९६६ से मार्च, १९६९ तक सरकार द्वारा सफाई मरम्मत हेतु कितना रुपया मंजूर हुआ तथा कितना खर्च हुआ ? क्या यह भी बतायेंगे कि बली, इबला, राधना, पहलवाला और बैठ छोइया की सफाई न होने के कारण जनता का भारी नुकसान हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग :

इसका ब्योरा संलग्न है।

दूसरा भाग :

केवल वर्ष १९६७-६८ में २६ अगस्त से २९ अगस्त, १९६७ तक अधिक वर्षा के कारण इन नालों के चढ़ाव से आसपास के गांवों में खरीफ की फसलों को हानि पहुंची थी जिससे लगभग ७,०७८ एकड़ भूमि जल प्लावित हुई थी। शेष वर्षों में इन नालों में इतनी अधिक बाढ़ नहीं आई जिससे कोई विशेष हानि होती।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३१ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

न नीताल जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति

*४---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल में जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति की दिनांक १९ नवम्बर, १९६९ तक कोई बैठक न होने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक २५-१०-६८ को हुई थी । इसके बाद अगली बैठक २१-२-७० को हुई । इस अंतराल में कोई बैठक न होने का कोई विशेष कारण नहीं है और सम्बन्धित जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता को भविष्य में नियमित रूप से समिति की बैठक बुलाने के लिये हिदायत कर दी है ।

रुड़की तहसील के गांव आनेकी तथा हेतमपुर में नलकूप लगाने की मांग

*५---श्री जगदीश गांधी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम आनेकी हेतमपुर परगना व तहसील रुड़की जिला सहारनपुर एक खाकी गांव है जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है ? क्या सरकार इस गांव के रकबे में सरकारी ट्यूबवेल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

सहारनपुर जिले की तहसील रुड़की में ग्राम आने की तथा हेतमपुर दो अलग-अलग ग्राम हैं। इन ग्रामों का क्षेत्र अधिकतर खाकी है तथा यहां राजकीय सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं है । इन ग्रामों के क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

जिरसमी माइनर नहर में पानी की कमी की शिकायत

*६---श्री जगदीश गांधी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि रजबहा मचुवा में से ग्राम सरनऊ जिला एटा के पास से निकली हुई शाख जिरसमी माइनर में पानी न मिलने की वजह से ग्राम सरनऊ बीरपुर, खंगारपुर, जिला एटा में सिचाई बिलकुल नहीं हो पाती ? यदि हां, तो सिंचाई के लिये उक्त माइनर में पानी की उचित मात्रा कब उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

राजवहा मछुआ में से ग्राम सरनऊ जिला एटा के पास से निकली हुई साख जिरसिमी माइनर में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है ।

हल्द्वानी-भाबर क्षेत्र में पक्की गूलें बनाने की योजना

*७---श्री इन्द्र लाल---

विधान सभा की बैठक दिनांक २६ अगस्त, १९६९ ई० को प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के क्रम पर, क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतावेंगे कि क्या २५७ ग्रामों की कच्ची गूलों को पक्का कराये जाने की भी सरकार की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां, हल्दवानी भावर क्षेत्र में १८६.५ मील गूलों को पक्का करने की योजना जिसके अन्तर्गत २५७ ग्रामों में सिंचाई की गूलें पक्की बनाने के लिये प्रस्तावित है, का आगणन केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग की समीक्षा के अनुसार पुनः बनाया जा रहा है। आगणन तैयार होने पर तथा उसे उपयुक्त पाये जाने और धन उपलब्ध होने पर योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

*८—श्री रामचन्द्र विकल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*९—श्री रामचन्द्र विकल—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

गोंडा जिले में चित्तौरगढ़ सरोवर बनाने की योजना

*१०—श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में तहसील बलरामपुर में दो नालों (१) चित्तौरगढ़ तथा (२) छिपली बनगंवा को नहर बनाने का निर्णय हो चुका था तथा निर्माण हेतु सामग्री भी स्थल पर आ चुकी थी, उसे स्थगित कर देने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गोण्डा जिले के बलरामपुर तहसील में चित्तौरगढ़ तथा छिपली बनगंवा नाम के कोई नाले नहीं है । बल्कि चित्तौरगढ़ सरोवर बनाने की एक योजना शासन द्वारा अगस्त, १९६१ में स्वीकार की गई थी परन्तु व्यापक जांच के पश्चात् यह पता लगने पर कि इसकी लागत बहुत बढ़ जाने की सम्भावना है जिससे कि उसके वित्तीय परिणाम बदल जायेंगे, इस योजना को अन्तिम रुप से जुलाई, १९६२ में त्याग दिया गया ।

*११—श्री विजयपाल सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित नालों को नहर के रूप में बदलने का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा जिससे कि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शाहजहांपुर डिवीजन की निगोही ब्रांच नहर पर शीशम के पेड़

*१२—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शारदा नहर के शाहजहांपुर डिवीजन की नहर निगोही ब्रांच पर १ जनवरी, १९६८ को मील २३–२४ तथा २५ पर शीशम के कुल कितने पेड़ थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

शारदा नहर के शाहजहांपुर डिवीजन की निगोही ब्रांच पर १ जनवरी, १९६८ को शीशम के पेड़ों की संख्या निम्नलिखित थी :—

मील २२ से २३	.. ..	२ अदद
मील २३ से २४	.. ..	२५ अदद
मील २४ से २५	.. ..	——
कुल योग	..	२७ अदद

*१३--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि २८ फरवरी, १९७० को उक्त पेड़ों से कितने शेष रहे, और जो काटे गये उनकी क्या संख्या और कितनी-कितनी मोटाई थी ? वह क्यों काटे गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

उक्त २७ पेड़ों में से २८ फरवरी, १९७० को निम्नलिखित पेड़ शेष रहें :--

मील २२ से २३	..	..	२ अदद
मील २३ से २४	..	..	२३ अदद
मील २४ से २५	..	..	--
कुल योग		..	२५ अदद

इस संख्या में तीन पेड़ों के केवल ठूंठ भी शामिल हैं ।

मील २३ से २४ पर जनवरी ९ व १०, १९७० को दो पेड़ चोरी से काट लिये गये थे । इन पेड़ों की गोलाई ६.८ तथा ७.५ फीट थी ।

फरेंदा तहसील के तराई क्षेत्र में सिंचाई साधनों का अभाव

*१४--श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री गोरखपुर जनपद के तहसील फरेंदा के सर्वाधिक पिछड़े नेपाल सीमा के वृहद् तराई क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की कोई व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने के लिए राजकीय नलकूपों के दो अनुसन्धानात्मक बोरिंग करने का प्रस्ताव है । इन बोरिन्ग का परिणाम मिलने के बाद राजकीय नलकूप लगाने पर विचार किया जा सकेगा । इस क्षेत्र के लिये अन्य कोई योजना इस समय प्रस्तावित नहीं है ।

गोरखपुर जिले में रोहिन तथा बसमतिया नदियों का कटाव

*१५--श्री राम लगन दूबे--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद में नदी रोहिन के कटाव और नदी बसमतिया के मार्ग परिवर्तन ने ग्राम दशरथपुर और डेढ़ी के किसानों के कृषि व्यवस्था संकटापन स्थिति में पड़ गई है तथा पिपरडाले गांव की आबादी तक समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो सरकार इस अभिशाप के संरक्षण के लिये शीघ्र कौन-सी व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

रोहिन तथा बसमतिया नदियों द्वारा वर्षा ऋतु में ग्राम दशरथपुर व ढेढ़ी की फसलों को तथा पिपरडाले ग्राम के कुछ घरों को क्षति पहुंचती है ।

उक्त समस्या की जानकारी पहले नहीं थी, अत: अभी किसी सुरक्षा कार्य की रूप रेखा तैयार नहीं है । प्रारम्भिक सर्वेक्षण के पश्चात् ही योजना का रूप निर्धारित करना सम्भव हो सकेगा ।

अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर खण्ड, शारदा नहर को निर्माण संबंधी प्रार्थना-पत्र

*१६--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर खण्ड सीतापुर के अभियन्ता को जनवरी सन् १९६९ से मार्च सन्, १९७० तक कितने आवेदन-पत्र ऐसे प्राप्त हुये जिनमें नहरों

माइनरों व ड्रेनों पर पुलिया, पुल या फुटपाथ बनवाने की मांग की गई है तथा उनमें से अब तक किन-किन जगहों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ है या हो चुका है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर खन्ड, शारदा नहर सीतापुर के कार्यालय में जनवरी, १९६९ से मार्च १९७० तक कुल २४ प्रार्थना-पत्र नहरों तथा ड्रेनों पर पुल, पुलिया या फुटपाथ बनाने हेतु प्राप्त हुये थे । इनके संबंध में किसी भी जगह पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हैं ।

*१७—श्री राम लाल राही—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी अवधि में सीतापुर ब्रांच के बड़ागाँव के पास फुटपाथ व रजवहा सरेली पर बसार गांव के पास पुल बनवाने के आवेदन-पत्र अभियता सीतापुर को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो फुटपाथ कब तक बनाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, इसी अवधि में मील ३१.१ सीतापुर ब्रांच पर फुटपाथ बनाने और सरेली गजबाहा के मील ०.१.६०० पर पुल बनाने के लिए प्रार्थना पत्र आये थे । सरेली राजबहा के मील ०.१.६०० पर पुल बनाने के लिए स्वीकृति हो गयी है । धन उपलब्ध होने पर मार्च, १९७१ तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा । सीतापुर ब्रांच के मील ३१ फ० १ पर फुटपाथ बनाने का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया गया है ।

*१८–१९—श्री लालसा—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

*२०—श्री जयराम यादव—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

स्थानीय निकायों का चुनाव

*२१—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों का चुनाव कब सम्पन्न कराने जा रहे हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

शासन ने अभी इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया है ।

गैंडास बुजुर्ग विकास क्षेत्र में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*२२—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोन्डा के गैंडास बुजुर्ग विकास क्षेत्र में कोई सरकारी ट्यूबलल नहीं है क्या उक्त विकास क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गोन्डा जनपद के गेंडास बुजुर्ग विकास क्षेत्र में कोई राजकीय नलकप नहीं है तथा उक्त क्षेत्र में राजकीय नलकूप बनवाने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है ।

उतरौला थाना क्षेत्र में अग्नि पीड़ितों को सहायता

*२३—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में उत्तरौला थाने के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६९ से ३१ मार्च, १९७० तक आगजनी की कुल कितनी घटनायें घटित हुई हैं तथा अग्निकांड से पीड़ित ग्रामों के ग्रामवासियों को क्या सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इस अवधि में कुल ३८ घटनायें घटित हुई । ६७५ रुपये का नकद अनुदान दिया गया ।

गोपामऊ टाउन एरिया बनाने का विचार

*२४---श्री कृष्णस्वरूप---

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की किन-किन ग्राम सभाओं को टाउन एरिया कमेटी मे परिवर्तित करने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है तथा यह कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान---

इस समय हरदोई जिले की केवल एक ग्राम सभा गोपामऊ को टाउन एरिया में परिवर्तित करने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय आगामी जनगणना सम्पूर्ण होने के बाद लिया जा सकेगा ।

*२५---श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

*२६---श्री निन्यानन्द स्वामी---

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

गंडक नहर योजना

*२७---श्री रामधारी शास्त्री---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्डक नहर योजना कब तक पूरी हो जायगी, और उसके देवरिया जनपद में रबी और खरीफ में कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

गण्डक नहर योजना के सन् १९७४ तक पूरी होने की आशा की जाती है । इस योजना के पूर्ण होने पर देवरिया जनपद में रबी १,४६,२७२ एकड़ तथा खरीफ में ४,०२,२४५ एकड़ भूमि जभीन की सिंचाई होने की आशा है ।

पडरौना तहसील में गण्डक नहर की लाइनिंग टूटना

*२८---श्री रामधारी शास्त्री---

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मिश्रौली तहसील व पड़रौना, जिला देवरिया के पास गन्डक नहर की कई मील तक पक्की चुनाई टूट गई है । यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां, देवरिया जिले की पडरौना तहसील के मिश्रौली ग्राम के पास मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर की लाइनिंग मील ४ १-१-३३० से ५३-१ तक के कुछ भागों में आंशिक रूप में टूट गई है जिसके कारण लगभग ८,९९५ फीट लम्बान में लाइनिंग को क्षति हुई है । इसका कारण यह था कि मुख्य गण्डक नहर के मील ३८ के समीप वर्षा का पानी नहर में एकाएक प्रवेश कर गया तथा नहर में लगे हुए बंधों को तोड़ दिया । इसके फलस्वरूत बंधों में भरा हुआ जल निकल गया तथा पानी के स्तर में आकस्मिक गिरावट और पानी के दवाब में असंतुलन होने के कारण लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो गई ।

*२९–३०—श्री मोतीलाल यादव—

[निरस्त] ।

*३१—श्री राम गोपाल सण्ड—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

*३२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

जौनपुर जिले में बिसौरी ताल ड्रेन

*३३—श्री राम सागर जिला (जौनपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड डोमी के ग्राम बिसौरी के ताल में बरसात के दिनों में जल भराव के कारण पचासों गांवों के किसानों की फसल प्रतिवर्ष डूब जाती है और तालाब के आस-पास के घरों को भी खतरा पहुंचता है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड डोमी के ग्राम बिसौरी के ताल में अतिवृष्टि के समय जल इकट्ठा हो जाता था, जिससे किसानों की फसल डूबने की आशंका उत्पन्न हो जाती थी । इस समस्या के निवारणार्थ सिंचाई विभाग ने बिसौरी ताल ड्रेन नामक नाले का निर्माण वर्ष १९५५-५६ में कराया था।

*३४—श्री राम सागर—

क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त तालाब से पानी की निकासी के लिये पहले कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी और उसके लिये कुछ रुपया भी स्वीकृत हुआ था, यदि हां, तो वह योजना कब बनी थी और उसके लिये कितना रुपया शासन का खर्च हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उक्त ताल के अतिवृष्टि पानी की निकासी के हेतु बिसौरी ताल ड्रेन की योजना जिसकी लागत ४,७३२ रु० थी, शासन के विचाराधीन थी । यह योजना वर्ष १९५५-५६ में सम्पादित की गई । इस कार्य पर ४,४४४ रू० व्यय हुआ ।

इलाहाबाद जिले के लिये नलकूप

*३५—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला-इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में कुल कितने राजकीय नलकूप लगाये जाने की योजना है तथा प्रस्तावित स्थानों का क्या नाम है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इलाहाबाद जिले में वर्ष १९७०–७१ के लिए ४० राजकीय नलकूप आवन्टित हुये हैं । इनका स्थान निर्धारण अभी निश्चित् नहीं हो सका है क्योंकि इनके स्थान का चयन जिला चयन समिति करती है जो अभी इस कार्य को नहीं कर पाई है ।

*३६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी,–

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

*३७—श्री रामसिंह—

[७वें गुरुवार के प्र० सं० ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*३८-३९—श्रीमती मसाली देवी—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

माता टीला बांध से झांसी शहर को पानी

*४०—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध से झांसी शहर में पानी सप्लाई करने के लिये झांसी शहर तक क्या पाइप लाइन लग चुकी है ? यदि हां, तो कब और क्या उससे पानी सप्लाई होने लगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, पाइप लाइन मई, १९६७ में लग चुकी है और उससे जून, १९६७ से ही पानी सप्लाई किया जा रहा है ।

*४१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

*४२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पुनरावृति के कारण निरस्त] ।

नैनीताल जिले के खाम क्षेत्र में भूमिहीनों को बसाने की व्यवस्था

*४३—श्री गोपालदत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कुमाऊं डिवीजन के भूमिहीनों को तराई भावर में बसाने के लिये क्या-क्या कदम उठा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

शासन ने कुमायूं मण्डल के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को तराई भावर सरकारी आस्थान, जिला नैनीताल के खाम क्षेत्र में बसाने के उद्देश्य से अक्तूबर २७,१९६७ के शासनादेश द्वारा उसमें निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार भूमि आवंटित करने का आदेश प्रसारित किया है ।

*४४-४५—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४६-४७—श्री श्यामलाल—

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

पूर्वी यमुना नहर के ताजेवाला हेडवर्क्स पर बैराज बनाने की योजना

*४८—श्री नैपाल (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जमुना नहर के ताजेवाला हेडवर्क्स पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई निर्माण योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्माण कार्य आरम्भ हो जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ताजेवाला हेडवर्क्स के ऊपर हरियाणा सरकार द्वारा एक बेराज निर्माण का प्रस्ताव है, जिसके सम्बन्ध में हरियाणा सरकार से बात चीत चल रही है । जब तक इस संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

फूलपुर तहसील के मुबारकपुर गांव में नलकूप का न लगा सकना

*४९--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद की फूलपुर तहसील में स्थिति ग्राम मुबारकपुर में वित्तीय वर्ष १९६९-७० में राजकीय नलकूप का लगाया जाना प्रस्तावित था परन्तु नलकूप विभाग के अधिकारियों ने उक्त नलकूप को दूसरे गांव में लगा दिया, यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात, सराय ख्वाजमीर का क्षेत्र नलकूप निर्माण के लि उपयुक्त पाया गया । अत: मुबारकपुर में प्रस्तावित नलकूप सराय ख्वाजमीर की राजस्व सीमा के अन्तर्गत रखा गया । यह उचित था और इसके लिए किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*५०--श्री राम पूजन पटेल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*५१--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[९वें बुद्धवार के लिए स्थगित]

*५२--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[७वें सोमवार के प्र० सं० ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में संशोधन करने का विचार

*५३--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किसी भूमिधर या सीरदार की कितनी एकड़ जमीन कानूनन दफा ३१७ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के मातहत अलाभकर जोत घोषित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार उसे घोषित करने का अब कदम उठायेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० की प्रश्नगत धारा ३१७,१९६५ में निरसित की जा चुकी है । अत: इस धारा के अन्तर्गत कोई घोषणा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५४--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस राज्य में साढ़े बारह एकड़ से १९ एकड़ तक की सीलिंग कानन बनाने का निर्णय करेंगे तथा भूमिहीन व हरिजनों में उक्त जमीन को बटवाने का एलान करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम १९६० में संशोधन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

सिंचाई विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की मुअत्तली

*५५--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि १७ फरवरी, १९७० व १५ अप्रैल, १९७० की अवधि में सिंचाई विभाग के कितने राजपत्रित अधिकारी अलग-अलग किस-किस आरोप में और किस-किस तारीख को शासन द्वारा मुअत्तल किये गये और उनमें से कौन-कौन कब-कब बहाल किये गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

१७ फरवरी, १९७० से १५ अप्रैल, १९७० की अवधि में १२ राजपत्रित अधिकारी निलम्बित किये गये जिनके बारे में वांछित सूचना तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३२-३३५ पर)

*५६--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त अधिकारियों की मुअत्तली के बाद उनको कोई चार्जशीट दी गई और इंक्वायरी गठित करके कोई जांच अमल में आई ? यदि हां तो जांच कमेटी की रिपोर्ट अलग केस में क्या है और यदि चार्जशीट नहीं दी गई व जांच नहीं की गई तो उन्हें किस आधार पर बहाल किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वांछित सूचना तालिका में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३२-३३५ पर)

कानपुर जिले में रजवहा रंजीतपुर से बनी माइनर से सिंचाई

*५७--श्री राम कुमार (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के रजबहा रंजीतपुर वाया बनी माइनर की टेलटूटी है, जिसमें इस क्षेत्र की सैकड़ों बीघे आबपाशी योग्य भूमि असिंचित रहती है ? यदि हां, तो इसके सुधार के लिये विभाग से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कानपुर जनपद में राजबाहा रंजीतपुर दायां के मील ४.२.१९ से बनी माइनर निकली है इसकी टेल पर बनी कुंआ टाइप झील क्षतिग्रस्त हो गई है। परन्तु आबपाशी की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि टेल की भूमि की काट-छांट रोड़ा एवं कंकड़ डालकर रोक दिया गया है। इस समय किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है।

चकबन्दी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*५८--श्री छेदालाल चौधरी (जिला-खीरी)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, सन् १९७० ई० में प्रदेश के चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी गण एवं अधीनस्थ कर्मचारीगण की ओर से सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कोई मांग पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांग-पत्र में मांगी गयीं उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, । उसमें चकबन्दी अधिष्ठान के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग की गई थी।

*५९—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांग-पत्र पर शासन ने विचार किया है। यदि हां, तो क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

शासन द्वारा विचार किया गया है। चकबन्दी विभाग के अस्थायी पदों को स्थायी करने का कोई औचित्य नहीं है।

इलाहाबाद जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*६०—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि अप्रैल, १९७० में इलाहाबाद जिले के कितने खलिहानों में आग लगी ? इन आगों के कारण कितने मन अनाज जल गया ? सरकार ने पीड़ित किसानों को राहत देने के लिये क्या किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इलाहाबाद जिले में अप्रैल, १९७० में १३० खलिहानों में अग्नि दुर्घटनायें हुयीं। इन खलिहानों मे अग्नि दुर्घटनाओं से ५,८८३ मन अनाज जल कर नष्ट हो गया। प्रभावित व्यक्तियों को राहत देनेके लिए नि:शुल्क सहायता के रूप में २,५३० रुपये तथा आपदा तकावी के रूप में २,२१० रुपये वितरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यक था मालगुजारी आदि देय करों की वसूली का स्थगन भी कर दिया गया है।

बदायूं नगरपालिका को सुपरसीड करने की सिफारिश तथा सहसवान नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध जांच

*६१—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत शासन मंत्री को यह मालूम है कि बदायूं म्यूनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड करने की सिफारिश कमिश्नर रूहेलखण्ड तथा जिलाधीश बदायूं ने सरकार को भेजी है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, अध्यक्ष नगर महापयलिका, बदायूं को यह चेतावणी दी गई है कि वे भविष्य में अनियमित कार्य न करें तथा बोर्ड के कार्य कलापों में जो त्रुटियां हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र दूर करें।

*६२—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह मालूम है कि म्यूनिसिपल बोर्ड सहसवान के चेयरमैन तथा कुछ सदस्यों के विरुद्ध बोर्ड की जमीन हथियानें और अन्य अनियमितायें करने के बारे में परगनाधीश, जिलाधीश की जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, मामला शासन के विचाराधीन है।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के निकट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता

*६३—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ) श्री मंजूर अहमद, श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर तथा श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या स्वायत्त शमसन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद में भूडभारत नगर, विजयनगर मबई, सुन्दरपुरी व माधो पुरा को रास्ता देने हेतु गाजियाबाद रेलवे स्टेशन क पास ओवरब्रिज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त योजना पर अमल हो पावेगा ?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी नहीं। स्वायत्त शासन के अधीन ओवरब्रिज बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

गाजियाबाद नगरपालिका में नये स्थान मिलाने की जानकारी

*६४--श्री प्यारेलाल, श्री मंजूर अहमद तथा श्री सुखपाल पांडेय--

क्या मंत्रीजी यह भी बतायेंगे कि कैला, कैलाशनगर गोशाला, गोपुरी, मिर्जापुर, मवई, माधोपुरा, सुन्दरपुरी, भूडभारत नगर, पंजाब, लाइन, धोबीघाट तथा डडोहडा को गाजियाबाद नगरपालका में शामिल करने का निश्चय सरकार ने किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी नहीं, क्योंकि अभी यह सम्भव नहीं है।

इलाहाबाद जिले में श्रृंगबेरपुर के निकट गंगा नदी से पम्प नहर निकालने की योजना

*६५--श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)--

क्या सचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार जनपद इलाहाबाद के स्थान श्रृंगवेर पुर में जल पम्प की योजना को १९७०-७१ में चालू करने जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इलाहाबाद जिले में श्रृंगवेर पुर नामक स्थान के निकट गंगा नदी से पम्प नहर निकालने की योजना का व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके पश्चात् प्राक्कलन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा और उसे आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही योजना का कार्यान्वयन हाथ में लेने के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा। अभी इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

*६६-६७ श्री दल सिंगार--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

*६८--श्री दुर्जन--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६९--श्री श्याम सूरत उपाध्याय तथा श्री राम चन्द्र विकल --

[९वें बुधवार के लिए स्थगित]

स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की मांगें

*७०--श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बताये कि क्या दिनांक २१ फरवरी, १९७० को स्वायत्त शासन मन्त्री ने स्वायत्त शासन कर्मचारियों की चल रही भूख हड़ताल क समय इन्हें आश्वासन दिया था कि स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की १८ सूत्री मांगों तथा अन्तरिम सहायता पर राज्य सरकार ३१ मार्च, १९७० के पूर्व ही निर्णय लेगी? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्णय ले लिया जायगा?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी नहीं।

स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की मांगों का प्रश्न पहिले से ही शासन के विचाराधीन है। निर्णय के लिये कोई समय निश्चित करना सम्भव नहीं है।

बुन्देलखंड में नलकूप के लिये उपयुक्त भूमि

*७१—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री बांकेलाल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बांदा और उसकी ही तरह बुन्देलखंड सम्भाग के अन्य जिलों में सिंचाई के लिए एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं बनाया गया? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इंजीनियरों ने सरकार को यह राय दी है कि इस सम्भाग की जमीन ट्यूबवेल बनाने के लिये उपयुक्त नही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में कोई सरकारी नलकूप चालू नहीं है। बांदा जिले में वर्ष १९६९-७० में अन्वेष्णात्मक बोरिंग आरम्भ की गई थी और अब ३ नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है।

राज्य के सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं और केन्द्रीय सरकार के जियोलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया के अधिकारियों के परामर्श से बांदा, हमीरपुर व जालौन के कुछ चुने हुए भूखंडों में बोरिंग करने का निणन्य लिया गया है। यह क्षेत्र नलकूपों के निर्माण के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह उक्त अन्वष्णात्मक बोरिंग के पश्चात् ही पता लग सकगा।

*७२—श्री श्यामलाल, श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री बांकेलाल—

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले में पैश्वनी नदी पर पम्प नहर से सिंचाई

*७३—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में पैश्वनी नदी पर करवी के पास लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने के लिये करवी माफी एवं सोनेपुर के ग्रामीणों को ओर से जुलाई, १९६९ में प्रार्थना-पत्र दिये गये थे? यदि हां, तो उसको लागू करने में क्या कठिनाई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—पैश्वनी नदी पर १० क्यूसेक्स क्षमता की बनवट पम्प नहर बनाई जा चुकी है। इसक अतिरिक्त स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पाठा क्षेत्र में पेय जल व्यवस्था हेतु इसी नदी से पान पम्प करने का प्रस्ताव है। माह मई व जून में पैश्वनी नदी में पानी लगभग १० क्यूसेक्स रह जाता है। अतः पानी की कमी के कारण इस नदी पर अन्य लिफ्ट योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

*७४—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

*७५-७६—श्री कल्यान सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

दारुलशफा "ए" ब्लाक में सरकारी सामान की कमी

*७७—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक एवं राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९६७-६८ वर्ष के राष्ट्रपति शासन की अवधि तक दारुलशफा (विधायक निवास) के "ए" ब्लाक के कमरों में राष्ट्रपति शासन के पूर्व मौजूद सरकारी सामान में से कितने सामान की कमी पाई गई और वह सामान कहां चला गया? तथा उसका जिम्मदार कौन है?

श्री धर्म सिंह—

कम पाये गये सामान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जो सामान कम पाया गया उसकी जिम्मेदारी कक्षों में रहने वालों की है। अतः उसकी कीमत उन लोगों से वसूलने की कार्यवाही हो रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३६ पर)

अतारांकित प्रश्न

१–३–श्री मोतीलाल यादव––

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

४–६––श्री मोतीलाल यादव–

[निरस्त]

७––श्री मंजूर अहमद––

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

बदायूं जिले में नलकूप

८––श्री कृष्णस्वरूप––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में कितने सरकारी ट्यूबवेल हैं और उनमें से कितने काम कर रहे हैं तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने नये ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

जिला बदायूं में ५६५ राजकीय नलकूप हैं जिसमें से ५५२ काम कर रहे हैं।

नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनाया जाता है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि बदायूं जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में कितने नलकूप लगाये जायेंगे। चालू वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में बदायूं जिले को १८ नलकूप दिये गये हैं।

९––श्री सुखपाल पाण्डेय––

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

१०––श्री सूरजलाल गुप्त––

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद जिले में खलिहानों में आग लगने से क्षति

११––श्री रामगोपाल संड––

क्या राज्य सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की सभी तहसीलों में मार्च एवं १५ अप्रैल, १९७० माह तक कितने खलिहानों में आग लगी है ? इन अग्निकांडों से कितने रुपय का अनाज जल गया ? क्या सरकार प्रदेश के खलिहानों में आग न लगे, इसकी कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस अवधि में कुल १९३ खलिहानों में आग लगी जिससे अनुमानतः २,९०,६६८ रुपये का अनाज जल गया ।

खलिहानों में आग न लगे इसकी कोई योजना नहीं बनाई जा रही है । शासन ने पिछले वर्ष अग्निकांड से बचाव की हिदायतें एक पैम्फलेट द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित की थीं ।

१२–१३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद जिलों में नलकूप

१४—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९७० में बननेवाले स्टेट ट्यूबवेलों की, जिला बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद में कितनी-कितनी संख्या सरकार ने स्वीकृत की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के प्रश्न में उल्लिखित जिलों के लिये स्वीकृत राजकीय नलकूपों की संख्या निम्नलिखित है:

बलिया १०, गाजीपुर २५, आजमगढ़ ३०, वाराणसी ४०, इलाहाबाद ४०।

१५—श्री नगीना सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में किन-किन विकास खंडों में १९६९–७० में कितने-कितने स्टेट ट्यूबवेल लगाये हैं तथा उन विकास खंडों की अभी कितने स्टेट ट्यूबवेल की मांग है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वर्ष १९६९–७० में बलिया जनपद से १२ राजकीय नलकूपों का निर्माण हुआ तथा ४५१ और राजकीय नलकूपों की मांग है जिसका विकास खंडवार विवरण निम्नांकित है :

क्रमांक	विकास खंड का नाम			१९६९–७० में निर्मित नलकूपों की की संख्या	बलिया जिले के वास्ते और नल कूपों की मांग
१	चिलकहर	..	..	१	१६
२	सुहाव	..	..	३	६१
३	गड़वार	..	..	४	..
४	बेरूवाखारी	..	..	१	..
५	मनियर	..	..	१	१८
६	पन्दह	..	..	१	४८

क्रमांक	विकास खंड का नाम			१९६९–७० में निर्मित नलकूपों की संख्या	बलिया जिले के वास्ते और नल-कूपों की मांग
७	बान्सडीह	..	..	१	२४
८	रसड़ा	..	..	..	६७
९	नगरा	..	..	..	१८
१०	सियर	..	..	..	४३
११	हनुमानगंज	..	..	..	४७
१२	मुरली छवरा	..	..	..	५५
१३	बरिया	..	..	..	५४
			योग ..	१२	४५१

शारदा सिंचन खण्ड, सीतापुर में गूल जमाबन्दी पर व्यय

१६--श्री रामलाल राही--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा सिंचन खंड सीतापुर में चकबन्दी द्वारा नष्ट की हुई अथवा नवीन गूलों का निर्माण सन् १९६५–६६ में ठेकेदारों द्वारा करवाया है और गूल जमाबन्दी बनाने के लिये फरवरी, सन् १९६७ में स्टाफ रखा गया था ? यदि हां, तो जमाबन्दी की कार्यवाही स्टाफ ने कितने समय में पूरी कर दी तथा उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी हां । गूल जमाबन्दी के कार्य के लिये केवल एक नोटर ड्राफ्टर तथा एक ट्रेसर की नियुक्ति की गयी जिनके वेतन पर अनुमानित वार्षिक व्यय २,८२० रुपये आता है । इसके अतिरिक्त सामान्य मौजूदा कर्मचारियों द्वारा भी कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है जिनके वेतन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जा रहा है । कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ और अभी कुछ जमाबन्दी शेष है ।

सोरांव तहसील में ओला-पीड़ितों को सहायता

१७--श्री रामपूजन पटेल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव में गत ओला से प्रभावित क्षेत्र में किन-किन लोगों को कितनी-कितनी खैराती धनराशि सहायता हेतु दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

गत उपलवृष्टि से इलाहाबाद जनपद की तहसील सोरांव में प्रभावित ग्रामों के २८० लोगों को ३,४९० रुपये की खैराती सहायता दी गई । सहायता प्राप्त व्यक्तियों के नामों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

गढ़वाल जिले में सिंचाई योजनायें

१८—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में कुल कितनी सिंचाई योजनायें चल रही हैं और अब तक कितनी पूर्ण हो चुकी हैं तथा ऐसी कितनी योजनायें हैं जिनसे सिंचाई का कार्य किया जाने लगा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस जिले में १३ नहर योजनाओं में से ५ नहरों पर इस समय कार्य चल रहा है तथा ३ नहरों पर कार्य पूर्ण हो चुका है और उनसे सिंचाई होने लगी है। शेष बची हुई ५ नहरों पर कार्य अगले वर्ष शुरू किया जावेगा।

१९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैठाणी तथा पितरसेंण (गढ़वाल) की सिंचाई गूल योजनायें कब और कितने धनराशि के बजट से शुरू हुई थीं तथा अब उनकी प्रगति क्या है अगर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसका कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पैठाणी तथा पितरसेंण (गढ़वाल) की सिंचाई गूल योजनाएं मार्च, १९७० में ५८,८५५.०० और ६२,३७९.०० रु० की क्रमशः धनराशि के बजट से शुरू हुई थी और इन योजनाओं पर कार्य समाप्त हो गया है।

सीतापुर तहसील में सीलिंग से प्राप्त भूमि के पट्टे

२०—श्री रामलाल राही—

४ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सन्दर्भ में, क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीलिंग व चकबन्दी से प्राप्त जितनी भूमि हरिजनों को दी गई उसके अतिरिक्त शेष भूमि जितनी बची उस पर किसका अधिकार है ? क्या इस जमीन के नाजायाज पट्टे कर दिये गये थे या हैं या बलात लोग कब्जा किये हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों के लोग बलात कब्जा किये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

चीनी मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने सम्बन्धी नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की चीनी मिलों को सरकारी नियन्त्रण में लेने के बारे में दफा ५२ का मैंने एक नोटिस दिया था जिसको आपने आज दो घंटे की बहस के लिये रक्खा है। आज के एजेन्डे में पहले बजट चलेगा, फिर सरकारी विधेयक लिया जायेगा, तो इसी में बज जायेंगे, फिर हमारा वाला २ घंटे वाला प्रस्ताव आयेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उसे २९ तारीख के लिये रख दें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है।

श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

जो प्रस्ताव हमने माननीय शिवनाथ तिवारी जी का निलम्बन समाप्त करने के बारे में आपके पास भेजा था उसके बारे में आपकी नेता सदन तथा नेता विरोधी दल से क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष---

मैं अभी चर्चा उनसे कर रहा हूं। दो-एक रोज का समय और आप दे दें।

सरकार के वैधानिक रूप से गठित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के आर्टिकल १६४(२) की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आज सरकार है वह ड्यूली कान्टीट्यूटेड नहीं रह गयी है। मंत्रि-मंडल का संयुक्त दायित्व होता है और वह आज समाप्त हो गया है, यह मैं साबित करना चाहता हूं। मैंने अखबारों की कटिंग भी आपके पास भेजी हैं। जो सत्तारूढ़ कांग्रेस दल है उसके नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि वे लोग शीघ्र ही त्याग-पत्र दे देंगे। यहां के ४१ माननीय सदस्यों ने जाकर केन्द्रीय नेताओं को एक प्रार्थना-पत्र भी दिया है। मंत्रि-मंडल में जो सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के लोग हैं। वे स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकते और बी० के० डी० सत्तारूढ़ कांग्रेस दल पर हावी हैं। इनके विलयन की जो बात थी वह २८ जून तक के लिये टाल दी गयी है जिसके फलस्वरूप अन्दर ही अन्दर गर्मी पैदा हो गयी है और वह किसी भी दिन विस्फोटक हो सकती है। देहरादून में एक वरिष्ठ नेता ने वक्तव्य दिया है...

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप मेरा निवेदन सुन लें। यह जो कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है वह मंत्रि-मंडल के अन्दर अपने को समझ ही नहीं रहा है। जब दोनों अलग-अलग काम कर रहे हैं तो किस प्रकार से यह मंत्रि-मंडल मिल कर कार्य करेगा इस पर आप व्यवस्था दें क्योंकि यहां संयुक्त दायित्व ही समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या यह ड्यूली कान्स्टीट्यूटेड सरकार रह गयी है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो ऐसी बात हुई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। आपको बड़ी हमदर्दी पैदा हो गयी है रूलिंग कांग्रेस दल से। अगर कोई ऐसी बात है तो वे स्वयं यहां कहते। अखबारों में कोई चीज छप जाय तो उससे कोई चीज नहीं उठ सकती। (व्यवधान) इसमें कोई व्यवस्था देने की जरूरत नहीं है। जब वे इधर से वाक आऊट करके उस तरफ चले जायं तभी मैं कुछ फैसला दे सकता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

जब लोग अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं कह पाते तो वे वकील कर लेते हैं।

श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, माननीय तिवारी जी का मामला इस सदन में उठाया जा चुका है। आपके आदेशानुसार हम लोगों ने लिख कर भी दिया। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं आप उनसे पूछ लें। आखिर जिसके साथ यह घटना हुई, अर्थात् माननीय उपाध्यक्ष जी, उन्होंने भी उनको माफ कर दिया है। फिर यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें देरी क्यों हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री इस सदन में खड़े होकर हम लोगों को बतला दें कि उनकी राय क्या है। वह कितने दिन की सजा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया दो दिन तक और इन्तजार कर लीजिये।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध कांग्रेस सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य को कथित डांटने का आरोप

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं बड़ी नम्रता से आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने २२ तारीख की शाम को इसी सदन में जब कि यहां सीतापुर की पुलिस का मामला चल रहा था, जिस प्रकार हम लोगों को आतंकित करने का प्रयास किया था, जिस तरह से एक इंडीकेटी कांग्रेसी से बात कही वह सब आपके सामने है। आप यह देखें कि हम लोगों को यदि आतंकित किया जाए, या हम पर दबाव डाला जाए तो यह ठीक नहीं है। इसी तरह से श्री उदित नारायण शर्मा को भी नोटिस दे दी गई कि आपने इस प्रकार का विधान सभा में भाषण दिया।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस पर व्यवस्था दूंगा, आप बैठिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप मेरी बात पहले सुन तो लीजिए। मैं यह कह रहा था कि सारी बातें मुख्यमंत्री के मस्तिष्क की द्योतक हैं कि कैसे उनका दिमाग काम कर रहा है और किस तरह से वह सदस्यों को आतंकित करना चाहते हैं। मैं यह चाहता हूं, आप से और नियमों से सदस्यों का संरक्षण चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई न कोई इस तरह की कार्यवाही करें, जिससे उनकी जो ज्यादती है, वह रुक सके। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

उस समय मैं भी यहां मौजूद था। आपको यह शक हो गया कि उनको वह डांट रहे हैं। वह खड़े हुए और उन्होंने उनसे यह बात कही।

श्री कल्पनाथ सिंह---

वह सदस्य स्वयं मौजूद हैं, वही बताएं क्या बात थी।

(श्री महीलाल जी द्वारा श्री रामलाल राही से खड़े होकर बात करने पर)

अध्यक्ष महोदय, देखिए, महीलाल जी उनको रोक रहे हैं, उनको वस्तुस्थिति सामने रखने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप गुस्से में आकर बहुत सी चीजें गलत समझ लेते हैं। महीलाल जी उनसे यह कह रहे हैं कि आप बयान दे दीजिए।

[श्री अध्यक्ष]

उन्होंने यह कहा था कि मुझ से मुख्य मंत्री ने यह कहा कि मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, आप लिख कर दीजिए। इसमें कोई धमकाने की बात नहीं थी। आप (श्री रामलाल राही) खड़े होकर कह दें कि उस रोज क्या कहा था।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

श्रीमान्, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उसके सम्बन्ध में मैंने परसो नरसों ही स्पष्ट कर दिया था। मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे थे। मैंने जब प्रश्न किया तो उन्होंने उस पर कहा कि "परेशानी की कोई बात नहीं, मैं उसकी जांच करा लूंगा।" यह शब्द उस दिन भी मैंने कहे थे और आज भी कह रहा हूं। वह भ्रम में रहे हैं-हमारे माननीय सदस्य। मैं सोचता हूं कि अब उनका यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए।

वर्तमान सरकार से अपना न्यूनतम कार्य-क्रम बनाने की मांग

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा आपके मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेशी में जब एलेक्शन का समय आता है तो हर पार्टी अपना अपना मेनीफेस्टो निकालती है, अपना मेनीफेस्टो जनता के सामने रखती है। पिछले चुनाव में बी० के० डी० ने भी एक मेनीफेस्टो रखा था। सवाल यह है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में एक भ्रम पैदा हो गया है, जो यहां पर कोइलीशन गवर्नमेंट बनी हुई है चौधरी चरण सिंह की सदारत में उसके बारे में। तो यह चीज साफ हो जाए कि बी० के० डी० की सरकार है या कोइलीशन गवर्नमेन्ट है। यदि कोइलीशन गवर्नमेन्ट है तो उसका मिनिमम प्रोग्राम जनता के सामने जाना चाहिये, जिससे जनता का भ्रम दूर हो, नहीं तो जनता का भ्रम बढ़ता चला जाएगा। यह चीज बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

वह विचार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९

सचिव बिधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पट पर रखता हूं।

*देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३७–३४० पर।

सदन में बजट की आलोचना करने पर श्री उदित नारायण के विरुद्ध पार्टी के नेता द्वारा अनुशासन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं विशेषाधिकार के प्रश्न ले रहा हूं। यह माननीय प्यारेलाल जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखा है। "निवेदन है कि दिनांक २१ मई, ७० को सभी समाचार पत्रों में

में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है श्री उदित नारायण शर्मा, सदस्य विधान सभा ने विधान सभा में बजट भाषण करते हुए बजट की तीव्र आलोचना करते हुए उसे गैर समाजवादी बजट बताया जिसके आधार पर मुख्य मंत्री महोदय उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने जा रहें हैं ।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि यदि उनके खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया तो कोई भी सदस्य सदन में स्वतंत्रतापूर्वक भाषण नहीं कर पायेगा और वह सदस्य और सदन के विशेषाधिकार के अवहेलना का प्रश्न हो जाता है । अतः कृपया इस प्रश्न को सदन की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

इसकी एक प्रति मा० मुख्य मंत्री जी को भेज दी गयी है ।

इस सम्बन्ध में मेरा एक फैसला है जो मैंने कोई कार्यवाही करने के बारे में दिया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एकआध शब्द सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके सुन तो लें जो मैंने फैसला दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

आप फैसला दे देंगे तो हम क्या बोलेंगे? सबकी बातें सुनने के बाद फैसला दें ।

श्री अध्यक्ष--

पहले सुन तो लें । मैं पढ़ रहा हूं । मैं पहले का फैसला सुना देता हूं । उसके बाद अगर इस वक्त जो कार्यवाही हो रही है और उसमें कोई अन्तर है तो उसके ऊपर आप विचार रख सकते हैं कि इसमें और उसमें यह अन्तर है । क्योंकि वह तो पहले का फैसला है । "मेरे पास तीन विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न भेजे गये हैं जो कि एक ही विषय के ऊपर हैं । मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें पहली बात तो यह है कि यह निश्चित नहीं है, अखबार में कोई चीज छप जाना इससे घटना निश्चित नहीं होती है और निश्चित भी हो तो भी जब सर्वत्र पार्लियामेन्टरी पद्धति में पार्टी सिस्टम अनिवार्य-सा है और हर पार्टी अपने-अपने सदस्यों के सम्बन्ध में अनुशासन रखती है इस कारण अगर उसे मदाखलत समझा जाय इस आदरणीय सदन के कार्य में, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी सिस्टम को ही तोड़ देना पड़ेगा और तभी सदस्यों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है नहीं ती रोजाना जब सदन में पार्टियों द्वारा 'व्हिप' इश्यु होते हैं, रोजाना पार्टियों को केन्द्रीय संस्थाओं से प्रान्तीय संस्थाओं को हिदायतें आती हैं और उसी के अनुसार वह कार्य करती हैं तो प्रस्तुत परिस्थिति में उनको मैं समझता हूं कि एक तरह से ऐडवाइस या सलाह ही माननी चाहिये । हर पार्टी अपने आदमियों को ऐडवाइस देती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जब्र नहीं है कि अगर वह उसको न माने तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जायगा या जेलखाने भेजने का दंड दिया जायगा, बल्कि सिर्फ यही हो सकता है कि उसे पार्टी छोड़नी पड़ेगी ।" ऐसी अवस्था में इस तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि अगर किसी पार्टी के अन्दरूनी मामले में कोई अनुशासन की बाते होती हैं तो उसके लिए सदन में ऐसा प्रश्न उठाया जाय । इस कारण से मैं अगर उक्त अखबारी बात को सही भी मान लूं, हालांकि मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी है और सिर्फ अखबारों में पढ़कर माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, तो भी मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, वैसे तो यदि आप आज्ञा दें तो आज इस सम्बन्ध में चर्चा हो जाय । श्रीमन्, का जो पुराना निर्णय है उसका कोई सम्बन्ध आज की परिस्थिति से नहीं है । मैं यह बताने की चेष्टा करूंगा कि यह निर्णय बिलकुल गूला नहीं होता है इस घटना पर ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

यदि आप इसे आज सुनना पसन्द करें तो आज वर्ना कल का समय मुकर्रर कर दें। और पूरे तौर पर सदन को इस पर सुन लें। व्हिप इश्यु करने वाली बात या एडवाइस देने वाली बात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी व्यक्ति ने सदन में अपने विचार व्यक्त किये हों तो उसके लिये उन्हें दंडित किया जा सकता है इस पर हमको पूरे तौर पर सुन लेना चाहिये। जो भी समय आप नियत करेंगे हम उसके लिये तैयार हैं।

एक सदस्य–

मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं अनन्तराम जायसवाल के खिलाफ। उन्होंने चार माननीय सदस्यों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया है। यहां पर वोटिंग करने के सम्बन्ध में उन्होंने उनको अपनी पार्टी से निष्काषित किया और उनके खिलाफ डिसिप्लनरी एक्शन लेने की धमकी दी है। इनमें प्यारे लाल शर्मा तथा मंजूर अहमद आदि शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष––

यह आप लिख कर दें तब मैं उस विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

मैं यह निवेदन करूंगा कि व्हिप ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल पार्टी में होना चाहिये लेकिन सदन के अन्दर पार्टी के मेनिफेस्टो के अनुरूप कोई सदस्य अपने विचार व्यक्त करता है और अगर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है तब सदन का कोई भी सदस्य अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पायेगा। इससे विशेषाधिकार की अवहेलना होती है और इसको दृष्टि में रखते हुए जो रूलिंग आपने पढ़ी है वह इसके अन्तर्गत आती नहीं है। सदन में एक बात कही गयी जिसका नोटिस लिया गया और इस बात से भी इंकार नहीं किया गया कि इस पर उनको वार्निंग नहीं दी गयी है . . .

श्री अध्यक्ष---

आप डिटेल में मत जाइये।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मैं यह निवेदन करूंगा कि जब सदस्य टिकट मांगते हैं पार्टियों से तो एक फार्म भरते हैं ....

श्री अध्यक्ष---

आप मेरिट पर न जाइये।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मेरा निवेदन है कि यह पार्टी का अन्दरूनी मसला है। इस पर बहस नहीं होनी चाहिये। क्योंकि यह मसला सदन के अन्दर का नहीं है।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

मेरा निवेदन है कि प्यारे लाल जी ने जो मसला रखा है वह जम्हूरियत का मसला है और सीधा सा सवाल है। चौधरी साहब के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो सदन से नहीं आगे उसे उत्तर प्रदेश से भी निकाला जा सकता है। इसलिए इस पर सदन में चर्चा कराइये।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, प्यारे लाल जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह अहम मसला है। सदन के अन्दर जो भी सदस्य चुन कर आता है वह किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है और उस पार्टी का जो मेनडेट अथवा व्हिप हुआ करता है . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप मेरिट पर जा रहे हैं ।

श्री राम करन (गोरखपुर)—

मेरा आपसे यह निवेदनहै कि जहां तक पार्टी के व्हिप का सवाल है और जन-भावना को प्रदर्शित करने का सवाल है वह हाउस को होता है । हाउस के सामने विचार रखे जाते हैं । इससे जनतंत्र पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी दल में हो यदि व्हिप नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं सदस्यों से पूछा है कि माननीय आचार्य जी ने जो समय की मांग की है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी समय देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी पूछ रहा हूं ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों तथा सभी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध न करें । श्रीमन्, सभी राजनीतिक दलों का एक अनुशासन होता है और सभी दलों को उसी अनुशासन की मर्यादा के अनुसार चलना पड़ता है । आपने इस पर जो व्यवस्था दी है वह मर्यादाओं के अनुकूल है । यदि कोई दल अनुशासन के अन्तर्गत नहीं चलेगा तो न तो वह दल चल सकता है और न ही यह सदन चल सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रस्ताव है कि इसके लिये समय दिया जाय ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, आपको केवल एक बार में एक आदमी को बोलने की इजाजत देनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

हम चाहते हैं कि आप इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करें । उनके पास से ऐसा प्रस्ताव आया है कि इसके लिये थोड़ा समय दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर आप इस पर और विचार करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय आचार्य जी ने जो सुझाव रखा है उससे साफ जाहिर होता है कि वह रूलिंग उससे सम्बद्ध नहीं है । श्रीमन्, उस सुझाव का समर्थन करते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले में जरूर विचार हो ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने स्वीकार तो कर लिया ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को दल-गत भूमिका के अन्तर्गत न लें। यह एक बुनियादी प्रश्न है। इस प्रश्न पर इसलिये विचार होना चाहिये कि हमारे संविधान में पार्टियों को माना गया है। पार्टियों की हुकूमत होती है। हम लोगों पर केवल इस सदन का ही उत्तरदायित्व नहीं है बल्कि हम जनता के भी प्रतिनिधि हैं। जनता के पास हम एक घोषणा पत्र लेकर जाते हैं। अगर हम कोई विपरीत आचरण करते हैं तो जिस दल से हम चुनकर आते हैं उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह हमारे ऊपर कोई अनुशासन की कार्यवाही करे। हमें राजनीतिक, न्यायिक और वैधानिक पहलुओं को देखना होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अवश्य इसके लिये समय निर्धारित करें।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय ऐसा है कि जिसे चर्चा के लिये सदन के सामने नहीं भी आना चाहिये इसलिये कि विशेषाधिकार के प्रश्न के लिये हमारी नियमावली के नियम ६५ में स्पष्ट है कि उसकी ग्राह्यता के लिये क्या क्या शर्तें हैं और उन शर्तों में यह प्रश्न नहीं आ सकता है।

(व्यवधान)

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कोई रूल कोट कीजिये कि यह व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मही लाल---

माननीय प्यारे लाल जी विशेषाधिकार का प्रश्न इस इश्यू पर लाये हैं कि माननीय उदित नारायण शर्मा को रोका गया है स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने से इस सदन में और इसकी सूचना उनको समाचार पत्रों के द्वारा मिली। मान्यवर, जहां तक इसकी ग्राह्यता की शर्तें हैं वे ये हैं:---

"(१) ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी---

(व्यवधान)

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निबद्ध हो,

(ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्रादर्शन से निहित हो, तथा

(ग) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो:

परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति . . .

(व्यवधान)

श्री डूंगर सिंह विष्ट---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मही लाल---

सुनने की भी आदत डालिये, इस तरह से बीच में बाधा डालने की आदत छोड़ें।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार का प्रश्न जब आता है तो उसके लिये कुछ नियम हैं और माननीय सदस्य नियम को पढ़ कर सुना रहे हैं और आप उस पर व्यवस्था के प्रश्न उठा रहे हैं। व्यवस्था के ऊपर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। आप कृपा कर के बैठें। (व्यवधान) श्री महीलाल जी आप जारी रखें।

श्री मही लाल---

परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्त्ता को भी सुन सकेंगे।

मान्यवर, शिकायत यह है कि माननीय उदित नारायण शर्मा को रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया। (व्यवधान) माननीय प्यारे लाल ने कोई प्रमाण आपको इस बात का नहीं दिया। माननीय उदित नारायण शर्मा को कोई शिकायत हो कि उनको रोका गया, इस तरह की कोई शिकायत माननीय उदित नारायण शर्मा से आपको नहीं मिली। माननीय उदित नारायण शर्मा की ओर से आपके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आयी और इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा होता यह प्रश्न सदन के सामने न आया होता और यदि सदन के सामने आ चुका है तो उसके लिये कोई समय निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष---

यदि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता है तो इसमें स्पष्ट दिया गया है यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्त्ता को भी सुन सकेंगे। तो सवाल यह है कि यह मेरे ऊपर है कि उसकी ग्राह्यता के लिये जो प्रश्न चल रहा है कि वह ग्राह्य हो या न हो, मैं और लोगों को, माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य और दूसरों को भी सुन सकता हूं और उसके बाद फैसला दे सकता हूं। तो मैंने शुरू में ही यह कह दिया था कि मेरा पुराना फैसला यह है। तो पुराना फैसला और जो आपने सवाल उठाया उसमें क्या अन्तर है। अगर आपको अन्तर मालूम हो तो आप मुझसे यह कह सकते हैं और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अन्तर है और सभी पार्टियों के सदस्यों ने कहा कि सबसे संबंधित है क्योंकि और पार्टियां भी ऐसा करती हैं। एक इधर के सदस्य ने कहा कि चार आदमियों को एस० एस० पी० ने निकाल दिया, हम भी पेश करना चाहते हैं। हमने कहा पेश करिये, आप लिखित दे दीजिये। सभी पार्टियों का यह सवाल हो गया है। तो इसको एक दफा खत्म कर देना चाहिये। तो मैं समय दूंगा। नारायणदत्त जी ने भी कहा कि समय देने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस विषय पर चर्चा एक दफा हो जाय क्योंकि एक आम सवाल है, कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अब मेरे पास दो, तीन प्रश्न और हैं विशेषाधिकार के जिनका सम्बन्ध सदन की कार्यवाही से है। मुझे उसमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रश्नोत्तर दिया है। मैं कल आपको बता दूंगा। आज कोई फैसला नहीं दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

एक सदस्य---

गन्ने के बारे में एक वक्तव्य ।

श्री अध्यक्ष---

कार्यवाही पढ़ लेने दीजिये उसके बाद निर्णय दूंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं उसका एक सबूत दे रहा हूं वह शामिल कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे कमरे में सबूत दीजिये । मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । माननीय शिक्षा मंत्री ।

(व्यवधान)

शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र द्वारा त्याग-पत्र की घोषणा के बाद शिक्षा सम्बन्धी अनुदान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जो व्यवस्था आपके सम्मुख उठाने जा रहा हूं आपका उस पर जो निर्णय होगा उसका हमारे इस सदन की गरिमा और गम्भीरता पर प्रभाव पड़ेगा । मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस दिन विधान परिषद् के एबालिशन का प्रस्ताव इस सदन में स्वीकृत हुआ था उसके दूसरे दिन प्रातःकाल माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया था कि चूंकि विधान सभा ने एबालिशन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है तो जो परिषद् के आदरणीय मंत्री इस समय मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं वह यह देखते हुये कि सदन का विश्वास उनको प्राप्त नहीं है इस्तीफा दे दें । उस समय माननीय श्री पतिजी मिश्र ने जो शिक्षा मंत्री हैं तत्काल यह घोषणा की थी कि जिस प्रकार विधान परिषद् का विवाद चला और जिस प्रकार से नित्यानन्द स्वामी जी मांग कर रहे हैं उन सारी बातों को देखते हुए मैं यह निश्चित घोषणा करता हूं कि मैं शिक्षा मंत्री के पद से आज इस्तीफा दे रहा हूं । और यही नहीं, जब कि मुख्य मंत्री जी ने कृपा करके यह कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा तो उन्होंने मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये यह भी कहा था कि मेरा उनसे अनुरोध है कि मुख्य मंत्री जी हमारा इस्तीफा अवश्य स्वीकार कर लें ।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

ये बिना मतलब की बात कह रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

देश के सारे समाचारपत्रों में हेड लाइन में यह समाचार निकला कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने इस प्रश्न को लेकर सदन की भावनाओं को देख कर अपने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता में यह समाचार फैल गया । और आज हम लोग देख रहे हैं कि एक महीने के बाद वही शिक्षा मंत्री इस बजट को पेश करने जा रहे हैं । आखिर इस सदन को हो क्या गया है । इस सदन में मंत्री जो घोषणा करते हैं उसका आदर नहीं करते, मुख्य मंत्री जिन नीतियों की घोषणा करते हैं उनका आदर नहीं करते । श्रीमन्, क्या यह सदन मजाक का अड्डा है कि जो मंत्री चाह हीरो बन जाय और कह दे कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और बाद में चुप लगा जाय ? क्या उनको अधिकार है कि इस बजट को पेश करें ? हमारे देश के विद्यार्थी और अध्यापकों पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा ; मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि मैं इस्तीफा दिये देता हूं। उसे मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो जब तक वह स्वीकार नहीं होता मंत्री जी का इस्तीफा तब तक उनको काम करना ही पड़ेगा, यह कर्तव्य उनका है। आप तो मंत्री रह चुके हैं। आप सब चीज जानते हैं। यह बात नहीं है कि उधर बैठे हैं तो आप यह सब कह सकते हैं। जब तक वे मंत्री हैं और उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया मुख्य मत्री जी ने तो वह काम कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

विशेषाधिकार के ऊपर कौन सी चीज (व्यवधान)

एक सदस्य—

पब्लिक ओपीनियन के लिए एक स्टन्ट उड़ा दिया, और कोई तात्पर्य नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

उनका कोई कसूर नहीं था। उनकी तरफ से ठीक हुआ।

१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा

*शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत होने वा परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५६,२९,९२,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे शिक्षा पर प्रस्तुत किये गये बजट के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें और इस सम्बन्ध में इसके बाद-विवाद में पूर्ण रूप से भाग लें। मैं उनको प्रारम्भ में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी तरफ से जो विचार, जो सुझाव और जो उसमें उचित बातें प्रस्तुत की जायगी मैं उन पर आदर के साथ विचार करूगा और जहां तक संभव होगा उनका समावेश करने का प्रयत्न करूंगा। मान्यवर, यों तो मेरी आदत नहीं है कि बीच बीच में जो प्रश्न उठें मैं उनका उत्तर दूं और न ऐसे प्रश्न उठा कर कोई माननीय सदस्य मुझे उत्तेजित करके क्रोध दिला सकते हैं, लेकिन बजट पर जो विचार आप व्यक्त करना चाहें उनको व्यक्त करें और यह निश्चित मानें कि इस सदन का सदस्य और इस सदन में मन्त्री होने का लोभ—इसको अगर मेरे ऊपर आरोपित करते हैं तो मैं चाहूंगा बड़ी नम्रता से कि ऐसा न करें तो बड़ी कृपा होगी। इसका लोभ मुझे न तनिक है, न रहा है और न भविष्य में होगा।

मान्यवर, मैं तीन महीने से इस शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली का संचालन कर रहा हूं। मेरे सामने अनेकों समस्याएं साधारण स्तर से लेकर, प्रायमरी शिक्षा के स्तर से लेकर और विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर तक आयी हैं। जो समस्यायें हमारे समक्ष हैं वे ऐसी नहीं हैं जिनसे आप परिचित न हों। अध्यापकों की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है, परीक्षायें किस तरह से ली जायें, यह भी समस्या है और इसी तरह से अनेकों ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने उत्तरोत्तर आती रहती हैं और मैंने अपनी समझदारी के अनुसार उनको समझने और जानने का प्रयास किया है। मैं प्रारम्भ में बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जो बजट मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपति मिश्र]

आपके समक्ष प्रस्तुत किया है मैं स्वत: उससे संतुष्ट नहीं हूं। हमारी जो आर्थिक सीमायें हैं, जो हमारी कार्य प्रणाली है, जिस तरह से सारी व्यवस्था इतने दिनों से चल रही है, उन सब को देखते हुए, उनको समझते हुए और उनका सुचारु रूप से संचालन करते हुए यह संभव नहीं था कि इन सारी बातों के निराकरण के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उपाय होते, लेकिन मैं आपसे केवल इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई भी समस्या हमारे विचार और निगाह से परे नहीं है, हमारी क्षमता के परे भले अवश्य हो सकती है। जहां तक उन पर विचार करने का प्रश्न है, जहां तक उनके बारे में परामर्श करने का प्रश्न है शिक्षाविदों से वह हमने किया है और अब भी कर रहे हैं।

इस अवसर पर जब मैं आपके समक्ष बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं यह समझता हूं कि शुरू में मैं किन्हीं बातों को आपके सामने समझाने का प्रयत्न करूं उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने विचार व्यक्त करें और मैं हर माननीय सदस्य के व्यक्त किये हुए विचार को और माननीय कृष्णानन्द राय जी के व्यक्त किये हुए विचार का समुचित उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा और यह कोशिश करूंगा कि जो आपके विचार हमारे समक्ष आवें, जहां तक संभव हो, उनका अपने बजट में समावेश करने का प्रयत्न करूंगा। इस अवसर पर मैं अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस विवाद में भाग लें और जो समस्यायें हमारे समक्ष विकराल रूप से चल रही हैं उनके निराकरण के लिये और हमारी आर्थिक परिधि क्या है और हमारी कार्यप्रणाली क्या है उसको ध्यान में रखते हुए सुझाव दें और मैं भी प्रयत्न करूंगा कि उनका समावेश बजट में हो सके। इस समय मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं पुन. आपका आवाहन करता हूं कि आप अपने विचार दें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सम्पूर्ण मांग की जो धनराशि है उसको घटा कर एक रुपया कर दिया जाय। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी का जो भाषण हुआ उससे बहुत हिम्मत बंधी और जो उन्होंने विश्वास दिलाया उससे यह आशा जगी कि शायद वह कुछ कोशिश करें सुधार की। तो मैं उनसे बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि जैसे तमाम और दूसरे क्षेत्रों में रहा है उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी तक कोई नीति नहीं रही है, कोई दिशा नहीं रही है और कोई सही लक्ष्य नहीं रहा है। मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जिस नीति पर आज चल रहे हैं उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हर साल लाखों पढ़े-लिखे बेकारों को यह पैदा कर रहे हैं जिनके लिए कोई कार्य नहीं है जो कि निराश हैं और किसी वक्त वह निराश होकर कोई भी गड़बड़ी का बड़ा काम वह कर सकते हैं। तो इस चेतावनी के साथ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मिसाल के लिए आप प्राइमरी शिक्षा की तरफ नजर डालें। उसमें जो बच्चे जाते हैं वह बाल्यावस्था में होते हैं उनके मन साधारणतया बिल्कुल कोरे स्लेट की तरह होते हैं। उस वक्त जो भी अच्छे भाव या अनुकरण आप उनके हृदय में डालेंगे वह जिन्दगी भर उनके मन और मस्तिष्क में बने रहेंगे लेकिन अपने यहां जिन स्कूलों में यह बच्चे जाते हैं उनकी तरफ ध्यान दें। आज कल के जो डबुल ग्रेजुएट हैं अंग्रेजी तो जाने दीजिए वह हिन्दी और उर्दू में इमला क्यों नहीं लिख पाते? वास्तव में इसका कारण यह है कि आजकल प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल गड़बड़ हो गई है और जो भाषा का ज्ञान पहले दर्जा ४ तक बहुत अच्छा हो जाता था वह अब नहीं हो पाता और जब नींव बिगड़ जाती है तो फिर कोई अच्छी इमारत उस पर नहीं बन पाती। उधर अगर आप कुछ कर पावें तो करें लेकिन आप कुछ कर पावेंगे नहीं क्योंकि उधर व्यवस्था क्या है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राइमरी स्कूल चाहे नगरपालिका या जिला परिषद् के हों या कोई प्राइवेट हों वहां मान्यवर, कोई योजना नहीं है कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनके लिए कितनी फेसिलिटी चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि क्या सचमुच कोई हिसाब किताब आपके यहां तैयार होता है। मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि हर साल यह दिखला दिया जाता है कि दो लाख बच्चे आगे बढ़ें। आप देखें १९६७–६८ और १९६९–७० सबमें इसी प्रकार दिखला दिया जाता है कि दो लाख बच्चे बढ़ गये। इसका मतलब यह है कि इस सदन को धोखा देने की कोशिश की जा रही है और यह फिगर्स अपने आप बना ली जाती है और अनुमान से दो लाख कह दिया जाता है। वर्ना कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। कहीं कोई इस प्रकार की योजना नहीं है। इसके अलावा जो धनराशि प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों पर आप लगा रहे हैं वह है ३ या ४ रुपये के बीच अर्थात् साढ़े तीन रुपये प्रति बच्चा। यह धन आप उस पर खर्च कर रहे हैं। उसका नतीजा इन स्कूलों में यह होता है कि उसके लिये न तो बैठने की जगह है और न तो योग्य और शिक्षित शिक्षक ही उसके लिये उपलब्ध हैं जैसा अंग्रेजों के समय में होता था। वहां पर न तो सामग्री है जिसके द्वारा उसको उचित शिक्षा दी जा सके। अब वह चीजें गायब हो गयी हैं। इस प्रकार की चीजें आप किसी भी जिले में ले लें चाहे वह एटा हो, बिजनौर हो, यह आपको सभी जगह मिलेगा।

इसके अलावा आपको न मालूम कितने स्थानों पर घोस्ट स्कूल मिलेंगे। जिन स्कूलों का कोई वजूद नहीं है। मैं आपको नाम भी बता सकता हूं अलीगढ़, सहारनपुर, मथुरा, कानपुर, बदायूं वगैरा आदि।

(इस समय १२ बज कर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

लेकिन इसके माने यह नहीं है कि वहीं पर यह समस्या है बल्कि यह सारे प्रदेश की समस्या है चाहे आप इसको लखनऊ में ले लें या किसी भी स्थान पर। इस प्रकार की चीजें आपको हर स्थान पर मिलेंगी। इन प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं उनका मन कोमल होता है और उनको यहां पर आने के बाद क्या चीज मिलती है। क्या कभी आपने इस पर ध्यान दिया, आपके विभाग ने इस पर कभी ध्यान दिया ?

दुनियां भर के जो सभ्य देश हैं वे इन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिये अच्छे से अच्छे प्रबन्ध करत हैं क्योंकि यह तो किसी देश की नींव हैं। आप भी इनको अच्छी इमारत, अच्छे क्वालीफाइड टीचर्स दे सकते हैं। कम से कम क्वालीफाइड टीचर्स न दे सकें तो कम से कम पढ़े लिख अध्यापक तो दे ही सकते हैं जो अध्यापक का कार्य कर सकें। आपने उनको ऐसे अध्यापक दिये हैं जो न तो ट्रेन्ड हैं और न पढ़ा ही सकते हैं। यह सिलसिला आज भी चल रहा है, मशीनरी उसी तरह से चल रही है और अध्यापन का कोई भी सुचारु कार्य नही हो रहा है। बल्कि यह जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें जो अध्यापक हैं वे जिला परिषद्, जो सरकारें हैं उनके लोग हैं और उन्ही का काम ये किया करते हैं। आप यह कहेंगे कि जिला परिषद् पर हमारा तो कब्जा नहीं रहा परन्तु पहले आपका रहा है और आप जिला परिषद् पर काबिज रहे हैं। उन शिक्षकों से अध्यापन का कार्य न लेकर अपना कार्य लिया है। ये विद्यालय तो एक प्रकार से कांजी हाउस के समान हो गये हैं जहां पर छोटे-छोटे बालक इकट्ठा रहते हैं और वे कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं। उन बच्चों का मन कोमल है, स्लेट की तरह से क्लीन है। आप जो भाव उनमें डालेंगे इस अवसर पर वह उनके हृदय पर अंकित हो जायेंगा। हमारा यह दुर्भाग्य है कि यहां के आदमी में केवल व्यक्तिगत चेतना है क्योंकि उसको ऐसा ही बनाया गया है और उसके अन्दर सामूहिक चेतना का सर्वथा अभाव है, वह उसके अन्दर नहीं है।

जहां तक कि सिद्धान्त, व्यवहार तथा चरित्र का संबंध है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और न उस प्रकार की शिक्षा उसको दी ही जा रही है। यह उसी समय सम्भव है जब

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

आदमी अपनी बाह्य सीमा को पार कर लेता है जैसे हमारे शरीर में नख है मांस है परन्तु इससे परे हृदय है और जब दूसरे लोगों के साथ हृदय का सम्बन्ध होता है तो इसको अध्यात्म कहते हैं। इसका सम्बन्ध ही सामूहिक चेतना से है। इस देश में कृष्ण का नाम सब लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? कृष्ण प्रेम है, प्यार है उसने इन बाह्य सीमाओं को तोड़कर दूसरों के साथ एकात्मक प्राप्त कर ली थी। कृष्ण की विशेषता ही यह रही है कि जो पराये हैं, दूसरे हैं वह ज्यादा मशहूर हो गये, देवकी की बनिस्बत यशोदा ज्यादा मशहूर हो गयीं, बासुदेव की बनिस्बत नन्द बाबा ज्यादा मशहूर हो गये, रुक्मणी की बनिस्बत राधा ज्यादा मशहूर हो गयीं, खुद अपनी नगरी की बजाय द्वारिका ज्यादा मशहूर हो गयी। यह कृष्ण का असली रूप है। तो आज जो बच्चे आते हैं उनमें व्यक्तिगत चेतना होती है। जिनके दिमाग में खाली व्यक्तिगत रूप आती है, इस हालत के रहते हुये कभी सामूहिक चेतना नहीं हो सकती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वह मथुरा गये थे। जो उम्मीदवार उनका था वह मथुरा जिले का था और जो हमारे दल का था वह हरयाना का रहने वाला था। लोकसभा का चुनाव था। वहां मुख्य मंत्री जी ने क्षेत्रीय भावना को उभारा जिससे कभी राष्ट्रीय एकता नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि यह उम्मीदवार मथरा का है, यह बाहर का है। तो जो दिमाग इस तरह की बात सोचता है, उस मुख्य मंत्री के रहते हुये, व्यक्तिगत चेतना दबकर सामूहिक चेतना उभरे इन स्कूलों के माध्यम से, मैं समझता हूं कि यह चीज सम्भव नहीं है।

दूसरी चीज, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तरफ भी देखें। मैंने यह देखा कि इसमें एक मद छः हजार रुपये सालाना इतिहासकारों पर खर्च की भी है। आजादी की लड़ाई लिखने के लिये इसकी जरूरत पड़ी थी। तबसे यह मद कायम है। हमारे यहां हिन्दू और मुसलमान दो सम्प्रदाय हैं। इन दोनों का मन किस तरह का बन गया है और सदियों से बन गया है? यहां का हिन्दू जो है उसके दिमाग में यह है कि सारे मुसलमान विदेशी और हमलावर हैं। हिन्दुओं के मन में यह कीड़ा बैठ गया है। उसी तरह से जो यहां का साधारण मुसलमान है वह भी बाबर और दूसरे हमलावरों को अपना पुरखा मानता है। अब कोई भी राष्ट्रीय एकता को मानने वाला या टूट को मिटाने की इच्छा रखने वाला क्या करेगा? यह जो हिन्दू-मुसलमान में अलगाव के कीड़े पल रहे हैं इनको धीरे-धीरे निकालने की कोशिश करेगा। वह कैसे होना चाहिय? हर हिन्दू समझने लगे कि आखिर सारे के सारे मुसलमान तो हमलावर नहीं है। हमलावर तो बाबर, नादिरशाह है। अकबर या उसके बाद के जो लोग हैं या इब्राहीम लोदी है, यह तो विदेशी नहीं थे। लेकिन इस तरह की बात करने की कोई कोशिश नहीं चल रही है।

इसी तरह से मुसलमानों के दिमाग में यह चीज होनी चाहिये कि बाबर हमलावर है, लेकिन अकबर देशी है। हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो देश टूटने की हालत में है, उसमें राष्ट्रीय एकता के लिये आवश्यक है कि छोटे-छोटे बच्चों की जो किताबें हैं उसमें यह होना चाहिये कि जो हिन्दू रजिया, खानखाना, अकबर को अपना पुरखा नहीं मानता वह आजादी का मतलब नहीं समझता। अगर मेरा यह एक वाक्य आप छपवा दें तो देश का बड़ा भला होगा। इसी तरह से मुसलमानों को समझना चाहिये कि बाबर, नादिरशाह हमलावर हैं। यह चीज उनके दिमाग में अच्छी तरह से धंसनी चाहिये। यह कार्य पाठ्यक्रम के जरिये से हो सकता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम कैसे बनाये जाते हैं? क्या इस चीज को कभी ध्यान में रखा गया है? मैं आपको पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि इस पर बहुत सोच विचार करने की जरूरत है।

आज जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वह किस तरह से सोचते हैं। इसके पहले भी हमारे प्रधान मन्त्री थे उनके सोचने का क्या तरीका था? उन्होंने भी हमेशा यह कोशिश नहीं की कि हमारे दिमाग में जो अलगाव की जड़ अंग्रेजों के जमाने में थी, वह निकल जाय। उन्होंने यह किया कि जो हमारे अक्लियत वाले लोग हैं उनके सामने उन्होंने एक हव्वा खड़ा किया कि यह जो बहुमत

वाले लोग हैं, हिन्दू वह तुमको निगल जायंगे। उन्होंने अकेले यही पोज किया कि ये बहुमत में हैं, इनसे मिल कर चलो। उसका नतीजा यह हुआ कि जितने भी उनके भाषण इस तरह से होते गये वह मेल होने के बजाय अलगाव ज्यादा बढ़ता चला गया। इसी तरह से उसके खतरे की तरफ आज भी ध्यान जा रहा है।

इस समय प्रधान मंत्री इन्दिरा गान्धी हैं और जो उनके अनुयायी हैं वे जितना आज हिन्दू-मुसलिम चर्चा कर रहे हैं उतना शायद पहले उनके पिताजी ने भी न किया हो। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा यह निकल रहा है कि हमारे देश में हिन्दू मुसलिम अलगाव बढ़ रहा है जिसका खमियाजा हिन्दुस्तान में सर्व साधारण को रोज भुगतना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपना पाठ्यक्रम, खासतौर से छोटे बच्चों के, ऐसा बनाना चाहिये और इस तरह की चीज उनके दिमाग में जानी चाहिये कि जो ये सम्प्रदाय हैं इनको आपस में एक दूसरे के नजदीक लायें। ये जो अलग-अलग बिरादरी हैं इनको नजदीक लायें। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बतलाऊं कि रजिया, खानखाना, कबीर और अकबर को हिन्दू अपने तौर पर अपने देश का पुरखा मानें। इसी तरह से जो मुसलमान हैं वह तुलसी, गान्धी और कृष्ण को अपना पुरखा मानें। आज वह इनको अपना पुरखा नहीं मानते हैं तो इस तरह की भावना उनके अन्दर पैदा करनी चाहिये। मैं आपसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि जब इस देश में टूटने की आग लगी हुई है। तो उसको बचाने के लिये इस तरह की चीज इस शिक्षा के क्षेत्र में की जानी चाहिये लेकिन यह नहीं हो रहा है।

अब मैं प्राथमिक शिक्षा की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। प्राथमिक शिक्षा का ऐसा क्षेत्र था जिसमें आप नये आदर्श स्थापित कर सकते थे और उनसे आगे बढ़ सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मिसाल के लिये अपने देश में आदमी की हड्डी-हड्डी में बेईमानी रम गई है। यह शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा था प्राथमिक शिक्षा का जहां से कुछ सुधार हो सकता था। दुनियां में कहीं भी प्राथमिक शिक्षा के अलग-अलग स्कूल नहीं मिलते हैं लेकिन हमारे यहां शुरू में शिक्षा के लिये बच्चों के ऐसे स्कूल मिलते हैं।

हिन्दुस्तान में जो बड़े लोग हैं चाहे वे पूंजीपति हों, चाहे मिनिस्टर हों और चाहे अफसर हों इन लोगों के लिये देहरादून में और उटी में विशेष खर्चीले बड़े बड़े स्कूल कायम हैं तो उनका ध्यान उस तरफ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिये अच्छी सुविधा देने को बड़े खर्च वाले स्कूल मिल जाते हैं तो क्या इससे लोकशाही मजबूत होगी? मैं यह पूछना चाहता हूं कि लोकशाही पर कुठाराघात करके आप इस खतरे को खरीदते हैं। इन विशेष खर्च वाले स्कूलों को आपको एक कलम के इशारे से बन्द कर देना चाहिये। अगर इनको बन्द कर दें तो वे मजबूर होंगे कि जो बड़े लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती है वह उधर न जाकर इधर आयें और उनका ध्यान इन स्कूलों की तरफ जाय। वे लोग इन स्कूलों की तरफ ध्यान देने को मजबूर होंगे जिनको आज कांजी हाउस कहा जाता है। इनको सुधारा जायगा और वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज सकेंगे। वे चूंकि बने हुये हैं इसलिये नहीं भेजते हैं और इसी कारण से इनका सुधार नहीं हो सकता है।

साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई यह चीज है कि देहरादून और ऊटी में जो ये स्कूल चल रहे हैं उनमें साधारण जनता की ऐसी हैसियत नहीं है कि वहां पर वह अपने बच्चों को पढ़ा सके यह हमारी हैसियत नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे बड़े लोगों के राजाओं वाले स्कूलों में भेजे जाते हैं जहां हमारी आय से पूरा नहीं पड़ता। अगर उनको तोड़ा जाय तो स्वच्छ प्रशासन के लिये भी वह एक पूरक उपाय होगा और इस तरह से आप अगर शान के खर्च को कम करें, लोकशाही को समाप्त करने के लिये, एकात्मकता लाने के लिये, शिक्षा के स्तर में स्वच्छता लाने के लिये आप पहले इन बड़े स्कूलों को तोड़ें और इन छोटे स्कूलों की दशा सुधारने की ओर ध्यान दें। लेकिन आज की जो हालत है उससे कुछ बनने वाला नहीं है, न इस बात का ध्यान है कि आज के बच्चों के मन कैसे बन रहे हैं, जो आज के अध्यापक हैं वह क्या उनको सिखायेंगे,

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

उनका कितना स्वय का ज्ञान है, क्या वह अध्यापक स्वयं समय पर स्कूल जाते हैं और वह अध्यापक क्या छाप इन बच्चों पर डालेंगे ? यह सब प्रश्न ऐसे हैं जिन पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है ।

दूसरी चीज यह है कि आप आज करीब करीब एक बन्धी हुई हालत में हैं और कोई प्रगति नहीं हो रही है । जो आपके आंकड़े हैं उनके बारे में मेरा ख्याल है कि वे दफ्तर में बैठकर हर साल २ लाख बढ़ा कर बना दिये जाते हैं, सन् ६७–६८, ६८–६९ और ६९–७० में साढ़े ३ लाख के आस पास आप जो खर्च करते थे वह खर्च अब पहले से घटा है । इसको आप देखें कि नतीजा क्या होगा ? वह अगर घटा तो जैसे पहले अध्यापकों का वेतन समय पर नहीं मिलता था वह अवधि और बढ़ जायेगी, पहले अगर ३ मास में उनका वेतन मिलता था तो अब वह ५ मास में मिलेगा, और इस तरह से पठनपाठन के लिये जो आवश्यक चीजें हैं वे ही पूरी नहीं हो सकेंगी । जो आज की हालत है उससे भी गिरी हुई हालत होगी । इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर जो आज के आंकड़े हैं वह आप देखें तो ६८–६९ का बजट जो था उसके मुकाबले में जो अनुमान थे वे भी अब नीचे हो गये हैं, ऐसा मैं समझता हूं अगर गलती नहीं कर रहा हूं तो उसके मुकाबले हम पीछे ही गये हैं । इस तरह से शिक्षा का प्रसार कहीं भी नहीं हो रहा है । जो यहां पर हालत है उसको आप देखें, यहीं पर बोलते हुए मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा के मामले में हम कितने पिछड़े हैं । हमारे यहां पढ़े लिखों की संख्या १७–१८ प्रतिशत के करीब आती है, लिटरेसी की हमारे यहां यह हालत है ।

बजट के लिये पैसा ही नहीं है, वाकई बात ऐसी है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इनके आने के पहले वाले लोगों ने ही दीवाला निकाल दिया है और हालत अब यह है कि अगर वह चाहें तब भी पूरा नहीं कर सकते हैं । आय क सोर्सेज तक सूख गये हैं । नये कर लगाने पर जनता की बरदाश्त की क्षमता भी एग्जहास्ट हो चुकी है और इस तरह से तमाम आय के सोर्स सूख चुक हैं, कर्ज लेने में तो वह इन्तहा तक पहुंच गये हैं और नई आय की गुंजाइश अब रह नहीं गई है इसलिये खर्च हमेशा रहेगा और कभी बनी रहेगी । जब हमारा लिटरेसी का प्रतिशत इतना गिरा है तो मैं एक साहसपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने रखूंगा और आप अगर उसे पसन्द करें और विभाग से मनवा सकें तो वह एक बहुत बड़ी चीज होगी ।

मेरा प्रस्ताव है कि जब तक कि २० साल, २५ साल, १५ साल या दस साल में आप सबको साक्षर न बना लें तब तक यह नये कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री कालज आदि की आज की पढ़ाई को आप बिलकुल बन्द कर दें, यह मेरा साहसपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि मैं नहीं समझता और मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इस पर अमल करेंगे । परन्तु मैं कहे देता हूं कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, जो पढ़ाई हो रही है आज इस ही में क्या है ? जो बच्चे इन्टर पास करत हैं बेकारों की एक फौज बनती जाती है और उसमें इजाफा होता जाता है उनको बी० ए०, एम० ए० में कुछ दिन के लिये फंसा दिया जाता है, अटका दिया जाता है कि उसमें कुछ दिन फंसे रहो हालांकि बेकारी तो उनके नसीब में रहती ही है । तो चूंकि बेकारी को दूर करने का कोई हल नहीं कर पा रहे हैं इसलिये बी० ए०, एम० ए० की जो कक्षाएं आप चला रहे हैं, अगर इनको बन्द कर दें तो राज्य का कोई नुकसान होने वाला नहीं है और न पढ़ने वालों का कोई नुकसान होने वाला है लेकिन उससे जो पैसा बचेगा, उससे जो इन्टरमीडिएट बच्चे बेकार हो गये हैं, या जो शिक्षित लोग बेकार हो गये हैं, उनको उससे काम दें ।

इस समय स्थिति क्या है ? लगभग ८ लाख बच्चे हर साल हाई स्कूल का इम्तिहान देते हैं और ३,साढ़े ३ लाख बच्चे इन्टरमीडिएट क्लासेज के इम्तिहान देते हैं, यानी लगभग ११–१२ लाख बच्चे हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के इम्तिहान देते हैं । नतीजा क्या होता है ? नतीजा जो है वह ४४ प्रतिशत, कभी ४३ प्रतिशत, कभी ४१ प्रतिशत और कभी ४२ प्रतिशत भी पास होते हैं । यानी १०० बच्चों में ५५ या उसके भी ऊपर आमतौर पर फेल

रहते हैं। बाकी के जो हैं, उनमें से मुश्किल से १० फीसदी ऐसे होते हैं, जो सचमुच में फर्स्ट या सेकिंड डिवीजन में पास होते हैं। बाकी सारे के सारे तीसरी डिवीजन में पास करते हैं। तो ये जो तीसरी डिवीजन में पास कर रहे हैं या जो फेल हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए यह बेकारी की फौज होती है। हर साल ६ या ५ लाख नई फौज का इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसका चारा क्या है? उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है जब तक आप सारों को पढ़ा न लें तब तक उनके लिये बन्द कर दें।

श्रीमन्, शिक्षा का काम है विषय का ज्ञान कराना। बच्चों को आरंभ में अक्षर की वर्णमाला सिखाते हैं, फिर वाक्य विन्यास सिखाते हैं लेकिन उसके साथ-साथ हमारे देश में जो दूसरी चीज होनी चाहिये और वह यह है कि ऐसी हालत में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज में कोई उद्योग सिखाने की कोई कोशिश नहीं की, तर्क में आप जवाब दे सकते हैं कि हमने पौलिटेक्नीक खोले हैं लेकिन जिस तरह से वे चल रहे हैं, उनके विषय में मैं अभी कुछ देर में कहूंगा। साथ ही साथ स्कूलों और कालेजों में उद्योग न होने के कारण वे बच्चे अपने उद्योग खोलने और परिश्रम से बचते हैं और सरकारी दफ्तरों में नौकरी की तलाश में चक्कर लगाते हैं।

जहां तक पौलिटेक्नीक्स, जो आपने चला रखे हैं, का प्रश्न है, उनमें एडमिशन ही लोगों के कम होते जा रहे हैं, जैसा कि आपके बजट साहित्य से स्पष्ट है क्योंकि जो लोग इस अरमान को लेकर पौलिटेक्नीक में गये कि उनको कहीं न कहीं नौकरी मिल जायगी, कहीं मिस्त्री, फीटर हो जायेंगे लेकिन ये बेचारे यहां पर आने के बावजूद भी बेकार ही रहे और इससे बेकारों की समस्या दूर नहीं हो सकी। ये बेचारे वैसे के वैसे ही रह गये हैं। पौलिटेक्नीक चलाने के के साथ-साथ अगर कुछ ऋण की भी व्यवस्था हो तो ज्यादा अच्छा हो।

इस ७४–७५ करोड़ के बजट में देखने से मालूम होता है कि यह सारे का सारा अन-उत्पादक बजट है। इससे आप कन्ज्युमर्स ही पैदा करेंगे, प्रोड्यूसर्स पैदा नहीं करेंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिये अगर २ या ४ करोड़ रुपये की बात भी होती पूरे बजट में तो कोई चीज हो सकती थी।

आज जो बच्चे हमारे पौलीटेक्नीक में पढ़ रहे हैं अगर उनको इन्डस्ट्रियल लोन वगैरह की व्यवस्था होती तो उन्हें अपने उद्योग चलाने में कुछ सहायता मिलती लेकिन आज इस प्रकार का लोन किन लोगों को दिया जाता है यह उनको मिलता है जो क्रैफ्ट नहीं जानते हैं जिससे कोई उससे मकान बनवा रहा है, शादी व्याह कर रहा है लेकिन जो किसी प्रकार का क्रैफ्ट जानते हैं, उनको किसी प्रकार का लोन नहीं मिल पाता है। अगर इस पालिटैक्नीक के साथ आप पूरक उपाय भी अपनायें तो बेकारी की समस्या की तरफ भी ध्यान जाय। आप थोड़ी हिम्मत करें। आप कहेंगे कि ये लोग जो यूनीवर्सिटी स्तर पर या डिग्री कालेज के स्तर पर प्राध्यापक या प्रोफैसर वगैरह हैं ये बेकार हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बेकार इसलिये नहीं होंगे कि कितना काम आपको करना है। आखिर आपको अंग्रेजी में जो बहुमूल्य पुस्तकें हैं उनका अनुवाद करा के काम लेना है। तो आपकी जितनी फौज है उससे ज्यादा खपत हो जायगी।

आज क्या हो रहा है? यहां पर पिछली दफा गवर्नर के अभिभाषण के समय हिन्दी निगम की स्थापना हुई थी और काम उसका क्या था? उसका काम यह था कि वह अंग्रेजी की जो बहुमूल्य पुस्तकें हैं उनका अनुवाद वे करायेगें। लेकिन असल में हुआ क्या है? आपने क्या किया है? एक ह डा० राव। ये डिस्मिस्ड आई० सी० एस० हैं। आप समझिये, हिन्दी से इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस निगम का वाईस चैयरमैन इनको बना दिया गया है, क्योंकि चैयरमैन तो मुख्य मंत्री होते हैं। ये वाइस चेयरमैन हैं और डिस्मिस्ड

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

आई० सी० एस० हैं। तो ये कैसे आदमी रहे होंगे, यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इनको २,२०० रुपये महीना पर रक्खा गया है। क्यों रक्खा गया ? चूंकि आप स्वच्छ शासन के प्रतीक हैं इसलिये उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं।

एक हिन्दुस्तान के वाइस प्रेसीडेन्ट साहब हैं। उनका नाम है श्री जी० एस० पाठक। जी० एस० पाठक के राव साहब मेहरबान हैं। उन्हीं के दबाव में आकर इनका अप्वाइन्टमेन्ट इस पद पर कर दिया गया है। और जरा आप उसकी प्रगति का मुलाहिजा कीजियेगा कि जिस तरह से आप ये अनुवाद करा रहे हैं। कितनी किताबें अनुवाद करा चुके हैं। म कहना चाहता हूं कि इस तरह का आदमी जो डिस्मिस्ड आदमी है, राजनैतिक दबाव की वजह से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है वह अनुवाद का काम कर ही नहीं सकता है चाहे सौ बरस की मुद्दत उन्हें दे दें। इसी तरह से शोध कार्य हो रहा है।

इलाहाबाद में गवर्नमेंन्ट सेन्ट्रल पैडागाजिकल इन्स्टीट्यूट है। उसमें हिन्दी संस्थान की स्थापना की गई है। इनका काम यह है कि ये शोध काम करेंगे और उसको ये देखेंगे। लेकिन उसके एक डायरेक्टर बना दिये हैं श्री जगत नारायण शर्मा। इनकी जरा योग्यता नोट कर लें। ये जगत् नारायण शर्मा थर्ड क्लास एम० ए० हैं और एस० डी० आई०, डी० आई० या डी० आई० ओ० एस० रहे हैं। कभी किसी तरह का अध्यापन काम नहीं किया है। कभी किसी शोध के काम से परिचय नहीं है और इनको बिठा दिया गया है हिन्दी में शोध कार्य के लिये। यह क्या शोध का कार्य कर सकेंगे ?

गांधी जी राष्ट्र भाषा को जो स्थान देना चाहते थे क्या आप वह स्थान दे पाये हैं ? गांधी जी चाहते थे कि राष्ट्र भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई हो। लेकिन ऐसा कोई काम जिस में कि मजबूती और हिम्मत चाहिये, आप कर ही नहीं सकते। एस० बी० डी० की सरकार के जमाने में एक फैसला अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय बनाने के संबंध में लिया गया था। उसका असर यह हुआ कि फेल्योर की संख्या एक बारगी ही घट कर ५० के करीब रह गयी। मैं आप पर यह आरोप लगाता हूं कि जानबूझ कर आप अंग्रेजी के माध्यम को बनाकर देश में बच्चों और गार्जियन का भी कत्लेआम करा रहे हैं। गांधी जी क्या चाहते थे उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं--

"If I had the powers of a despot, I would today stop the tuition of our boys and girls through a foreign medium, and require all the teachers and professors on pain of dismissal to introduce the change forth. I would not wait for the preparation of text books. They will follow the change. It is an evil that needs a summary trial."

गांधी जी ने कहा है कि अगर उन्हें डिक्टेटर की ताकत मिल जाती तो वे अपने अध्यापकों और प्रोफेसर्स को भय दिखाकर इसके लिये मजबूर करते कि वे शिक्षा राष्ट्र भाषा के द्वारा ही दें। वे इसका भी इन्तजार नहीं करते कि पाठ्य-पुस्तकें तैयार हो जांय। बहुत-सा समय तो अंग्रेजी सीखने में ही निकल जाता है। उन्होंने आगे कहा है--

"I see that it will be necessary to agitate for introducing a new section in the Penal Code when we have a Parliament of our own. When two parties know the same language, and one of them writes to others or talks with him in English, the party so doing will be liable to a minimum of six months' rigorous imprisonment."

गांधी जी यह स्वप्न देख रहे थे कि अगर उनकी अपनी पार्लियामेंट होगी तो वे पेनल कोड में भी संशोधन इसके लिये करेंगे और नई धारा जोड़ेंगे। तो गांधीजी तो यहां तक पहुंच गये थे।

आज श्रीमन्, क्या हो रहा है? अंग्रेजी के साथ-साथ जब आप पढ़ायेंगे तो बहुत सा समय तो विद्यार्थियों का अंग्रेजी सीखने में ही निकल जायेगा, वे और विषयों का ज्ञान कब करेंगे? उसके लिये समय कहां से निकालेंगे? आज दुनिया बड़े पैमाने पर साइन्टिस्ट्स, हिस्टोरियन्स, डाक्टर आदि पैदा कर रही है। बड़े-बड़े ख्याति वाले लोग पैदा हो रहे हैं। आप कैसे इन लोगों को पैदा कर पायेंगे? गांधी जी जानते थे कि बिना अंग्रेजी हटाये हम ऐसे लोगों को पैदा नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिये उन्होंने ताजीरात हिन्द में नया संशोधन तक इसके लिये करने की बात कही है। जो उनके विचार थे अभी मैंने आपको मान्यवर, पढ़ कर सुनाये। एक तरफ तो आप राष्ट्रपिता के नाम की रट रोज लगाते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता ने इस देश के पुनरुत्थान के लिये जो-जो बातें कहीं हैं उन पर आपने अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के हितों को लाद दिया है।

आज आप सचमुच किन लोगों के बन कर रह गये हैं? जो दो परसेन्ट इस देश के बड़े लोग हैं, अंग्रेजीदां लोग हैं उनके आप प्रतिनिधि बन गये हैं, हिन्दुस्तान की जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं इस भाषा को चला कर आखिर आप चाहते क्या हैं? यह जो फेल्योर हो रहा है, बच्चों का कत्ले आम हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? १०० में ४ फेल हो जायं, १५ फेल हो जायं, चलो ठीक है, लेकिन यहां पर बैठे १०० बच्चे और फेल हो रहे हैं ५५-५५-६०। इस तरह का आप का नतीजा रहा है। इसको आप क्या मानोगे? इसका बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? इसके परिणाम स्वरूप ह्युमन वेस्टेज अपने देश में चल रहा है, गार्जियन के पैसे का देश में नुक्सान किया जा रहा है। इसका फायदा किसको पहुंच रहा है। किसी को नहीं। केवल इससे अहित और नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बच्चे उसके स्तर को मेन्टेन नहीं कर पाते। दासता के समय में तो ऊपर की सीढ़ी पर जाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान लाजिमी था, क्योंकि मालिक को खुश करने के लिए गुलाम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किन्तु आज इसकी क्या जरूरत है? अब उसका स्टैन्डर्ड अवश्य गिरेगा। आजादी के समय में वह स्टैन्डर्ड रह ही नहीं सकता, वह गिरता हीं चला जाएगा। इसके जरिये आप बच्चों के मन में हीनता की भावना अलग से भर रहे हैं। तो जो अमेन्डमेन्ट हुआ था, सुधार हुआ था संविद के शासन काल में कि इंटरमीडिएट कक्षाओं तक अंग्रेजी का विषय ऐच्छिक बना दिया गया था, उसको यदि आप फिर से चालू करेंगे तो मैं समझूंगा कि यह आपका बहुत बड़ा एचीवमेंट है। यदि आप नहीं करते हैं, तो कोई नयापन नहीं होगा।

आपके सामने दूसरी चीज मैं विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आप कला संकाय को तोड़ दीजिए, इसके विषयों की शिक्षा को रोक दीजिए। क्योंकि इससे बकारों की एक फौज बढ़ रही है। जब तक यह बेकारों की एक फौज बढ़ रही है अपने प्रदेश और देश में, कला की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।

आपका समय काहे में जाया होता है? जो आप कमीशन बिठलाते हैं। कोई कमीशन कहता है बोर्ड को तोड़ कर उसका डिसेन्ट्रलाइजेशन कर दिया जाए, कोई कमीशन कभी यह सिफारिश करता है कि स्कूलों को इम्तहान का हक मिल जाए, कभी यह कहता है कि दो साल के बजाए ३ साल कोर्स हो जाए। किन्तु मैं पूछता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट और कमीशन से आपको क्या फायदा पहुंचा है। आप यहां पर मोटे तौर से देखेंगे कि हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट बोर्ड में ८ लाख बच्चे बैठे। दुनिया में कोई बोर्ड इस तरह का नहीं है जो ८-८ लाख बच्चों की इस तरह से परीक्षा लेता हो। यह आपके प्रदेश का एक आश्चयजनक उदाहरण है। आप उनका इम्तहान ले ही नहीं सकते हैं, वह असम्भव है। आपको हाई स्कूल परीक्षा की कापियां लखनऊ स्टेशन पर, चारबाग स्टेशन पर४-५ सौ बन्डल कापियां पड़ी अब भी मिल जायेंगी। तो यह सब मिसमैनेजमेन्ट हो गया है, अब काम ठीक कैसे हो। हम लकीर के फकीर बन कर रह गये हैं।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

आप का हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट बोर्ड हाई स्कूल की जो परीक्षा लेता है, उसका महत्व अब क्या रह गया है ? मामूली क्लर्क की भर्ती के लिए भी इण्टरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। तो जब इण्टरमीडिएट मामूली क्वालीफिकेशन है, तब इसके इम्तहान को बोर्ड के अन्तर्गत रखने की क्या आवश्यकता है ? आप ऐसी दशा में इसको क्यों नहीं तुड़वा देते और उस इम्तहान को सीधे-सीधे उन्हीं स्कूलों के सुपुर्द कर दिया जाए। जैसे स्कूल अन्य सब दर्जे की परीक्षा लेते हैं वैसे ही हाई स्कूल की परीक्षा भी ले लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इससे स्टैन्डर्ड गिर जाएगा ? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टैण्डर्ड आज कौन बड़ा ऊंचा है। यह जो सर्टिफिकेट और डिग्री के लिए इम्तहान की पद्धति है इसमें अच्छा स्टैंडर्ड कभी आ ही नहीं सकता। इस में विद्यार्थी इस तरह की कोशिश करता है कि हम को सर्टिफिकेट या डिग्री मिलनी है। अपनी पढ़ायी कर लें। न पढ़ायी कर सकें तो नकल कर लें। नतीजा यह है कि उससे स्टैण्डर्ड बढ़ने वाला नहीं है। जो स्कूल अच्छा काम करते हैं उनका नाम भी अच्छा हो जाता है। तमाम लोग उस तरफ भागते हैं कि हम उस स्कूल में एडमीशन करवाएं। जब इस तरह की शोहरत बन जायगी तो आपस में कम्पटीशन भी कड़ा हो जायगा। हर एक चाहेगा कि हमारे यहां पढ़ाई का स्टडर्ड इम्प्रूव करे।

आप स्टैंडर्ड इम्प्रूव क्या कर पाते हैं ? मास स्केल पर कार्पिंग होती है। उसके बाद कापियों के बंडल स्टेशनों पर पड़े रहते हैं। आठ लाख का इम्तहान असम्भव है। इस इम्तहान को खत्म करिये। स्कूलों को जुरिस्डिक्शन ट्रांस्फर कर दीजिये। साढ़े तीन लाख इंटर-मीडिएट में हैं। जब आप आठ तक पहुंचेंगे तो इस में भी सोचने की जहमत करनी पड़ेगी। इस लिए इंटरमीडिएट वाला आप चलाएं लेकिन हाई स्कूल वाले पर गम्भीरता से विचार करें कि सचमुच बोर्ड का एग्जामिनेशन कायम रख कर उपयोगी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसा दूसरे क्षेत्रों में फर्क चलता है वैसा शिक्षा के क्षेत्र में भी है। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है वहां पर सम्पूर्ण सम होना चाहिए, सब एक तरह के होने चाहिए। चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का बेटा हो उसके स्कूल, फर्नीचर वगैरह पर एक ही जैसा खर्चा होगा तो चीजें बदलने लगेंगी। दूसरे यह जो अध्यापक हैं, जैसे और क्षेत्रों में फर्क है वैसा ही यहां भी फर्क है। अगर मान लीजिये कि पूरी तरह से बराबर न ला पाएं तो कम से कम इतना करें कि जो एक ही तरह के पद पर हैं उनको एक जैसा मिले चाहे सरकारी क्षेत्र में हों या गैरसरकारी क्षेत्र में।

जो यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर है और प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है कितना फर्क है। एक ही तनख्वाह और दूसरी उपलब्धियां मिला कर ५, ६ हजार के आस-पास होंगी और दूसरा पाता है सवा सौ। कम से कम ६० गुने का फर्क है। लेकिन आप दुनिया में कहीं चले जाइये, अमेरिका को लोग बताते हैं कि कैपिटलिस्ट देश है, शक भी नहीं कैपिटलिस्ट है, लकिन वहां भी १,–३, ३,–५ का अन्तर है, कहीं भी १–१० का अन्तर नहीं है। लेकिन, वहां अगर आप सुधार करना शुरू कर देंगे तो गवर्नर को भी सुधारना पड़ेगा, मिनिस्टर को और दूसरे अधिकारियों को भी सुधारना पड़ेगा। इसलिए कोई न सुधरें। जैसी जहां पर चल रही है वैसी मौज कायम रखो। अध्यापक की मर्यादा आप को रखनी है। जिस तरह से आज वहां पर स्ट्राइक वगैरह चल रहा है उस से भी बचना है क्योंकि उससे बच्चों पर भी असर पड़ता है। जो आज इम्तहान की बराबरी है वहांपर कायम कर दीजिये। जो एक ही तरफ के स्थान हैं उन पर चाहे वह सरकारी हों या गैर सरकारी हों उनमें सम्पूर्ण सम रहना चाहिए, उन्हें एक जैसा रहना चाहिए। कभी-कभी यह कहा जाता है कि उनकी सेवा की शर्तें नहीं हैं। तो उनकी सेवा की शर्तें सम्पूर्ण सम बना दीजिये तो वे सेवा की शर्तें मानने के लिय तैयार हो जायेंगे।

मान्यवर, एक चीज और है कि अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है और उनको समय पर वेतन न मिलने के कारण आपकी इस विधान सभा का न मालूम कितना अमूल्य समय एक प्रश्न पर चला जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन शिक्षा का विषय लिया गया हो और उस पर प्रश्न न उठाया गया हो। कहीं गाजीपुर के अध्यापकों को वेतन नहीं मिला, कहीं लोकल क्वीन्स कालेज के अध्यापकों को वेतन नहीं मिला। कहीं न कहीं यह मामला बराबर चलता रहता है। तो इसका हल क्या है?

आप इसको इस तरह देखें कि २६-२६ महीनों तक अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है। जब मैं डिप्टी मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा था तो मुझे गाजीपुर जाने का इत्तिफाक हुआ। वहां पर मैंने देखा कि-अध्यापकों को २६-२६ महीनों तक वेतन नहीं मिला था। शायद अब मिल गया हो। वहां पर एक आदमी हैं श्री हरिहर पांडे, उन्होंने मुझे बताया कि वहां के जो मैनेजर साहब हैं, जो आप अनुदान देते हैं, उससे वे एक हाथी ले आये। जब ये अध्यापक जिनको २६ महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली और वे उनके पास गये तो उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हैं, मैं गणेश जी को ले आया हूं उनके दर्शन कर लीजिये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका क्या हल है इसे आप सोचें। अध्यापक लोग परेशान हैं जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यहां विधान सभा में रोज इस सम्बन्ध में सवाल होते हैं। हम बराबर बोलते चले आ रहे हैं। पिछले दस साल से यह सवाल किसी न किसी रूप में विधान सभा में उपस्थित हुआ है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कब तक इस सवाल को टालते जायेंगे। इसका नतीजा यह होता है कि जब-जब कोई समस्या खड़ी होती है और उसका हल नहीं निकलता है तो एक दिन वह आ जाता है जब उसकी हालत असम्भव हो जाती है और मिनिस्टर को झूठ बोलना पड़ता है। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इसे कब तक टालेंगे। मैंने देखा कि जब-जब मैंने यह सवाल उठाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसमें करोड़ों रुपय का भार सरकार के ऊपर पड़ जायेगा।

जो टीचर्स हैं वे यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाय जैसे कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दिया जाता है। जब-जब मैंने यह प्रश्न उठाया तो जो सचिव हैं उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जायेगी। जब यहां पर राष्ट्रपति शासन था उस समय नैनीताल में एक जलसा हुआ था और मुझे वहां जाने का मौका मिला था तो वहां पर भी उन्होंने वही तर्क दुहराया कि सरकार के ऊपर इस से अतिरिक्त भार बहुत बढ़ जायेगा। आज हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वह अनुदान दे देती है। मैनेजमेंट और तनख्वाह की जिम्मेदारी उन्हीं की है। दूसरा तर्क यह है कि कोई मशीनरी नहीं है जिसके अनुसार यह तनख्वाह बांटी जा सके। हमने यह देखा, उस समय जो हमारे दोस्त थे मैंने उनको बुलाया। हमने कहा कि इनका यह तर्क है, इसका आपके पास क्या जवाब है? फिर हमने उसको देखा। बजट के भी सारे फिगर्स को देखा। जो एमाउन्ट उनको दिया जाता है उसको भी जोड़ा गया और जोड़-घटा कर जब हिसाब लगाया गया तो मालूम यह हुआ कि अगर नियमित रूप से उनको तनख्वाह देने का नियम बना दिया जाय तो हमको नुकसान होने के बजाय सरकार को एक करोड़ रुपये का लाभ होगा। उस वक्त यह पोजीशन थी, अब थोड़ा बहुत फर्क हो गया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी एक कलम से ही यह मसला हल हो सकता है। मैं नहीं कहता कि यह आपका एक बहुत बड़ा आदर्श का कदम होगा लेकिन व्यावहारिक है इस पर अमल किया जा सकता है।

एक चीज आप कह सकते हैं कि इस से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। खाली तनख्वाह मात्र का इन्तजाम कर देने से शिक्षा का राष्ट्रीय करण किस प्रकार से हो जायगा? लेकिन अगर आपका मतलब सरकारी दखल से है तो आज भी वह दखल कहां नहीं है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं क्या सरकारी दखल से मुक्त हैं? किसी न किसी शक्ल में

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

सरकारी पक्ष का दखल वहां काम करता है। सभी जानते हैं कि इन स्कूलों की क्या दुर्दशा है और पुरानी जमींदारी की तरह से राजनीति में ये जमींदार बन गये हैं और इन संस्थाओं का मुख्य काम शिक्षा का देना नहीं रह गया है, वे केवल आमदनी के केन्द्र बन गये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट की मोनोपली जिन लोगों के हाथ में है, उनको पालने के लिये, कब तक आप अध्यापकों के मूल्य को गिराते रहेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि इसका जल्द से जल्द फैसला कीजिये। गुप्ता जी की मैं क्या कहूं। जब लोग जाने लगते हैं तब इस पर विचार करते हैं। जब हम लोग जाने लगे तब हमने भी विचार किया। मैं अपने को उससे अलग क्यों करूं। सब से पहले इस मसले में हमने लिखा-पढ़ी की लेकिन वह सरकार चली गयी और वह काम अधूरा ही रह गया। अगर कुछ दिन और रह गये होते तो वह काम पूरा हो जाता। उसके बाद भी उप सचिव मुझे बता रहे थे कि वह काम करीब-करीब हो चुका है। बाद में पता चला कि सारा का सारा मामला ही खत्म हो गया। इसके बाद जब गुप्ता जी जाने लगे तो उन्होंने भी यह ऐलान किया। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस परम्परा को तोड़ दें। क्योंकि आजकल पता नहीं कब यह सरकार चली जायें। इसलिये आप इस परम्परा को तोड़ कर जाने से पहले इस नेक काम को कर जायें। अगर यह नेक काम इस सरकार के हाथों हो जाता है तो शिक्षा को अमरत्व मिलेगा, शिक्षा में एक बहुत बड़ा काम हो जायेगा। इसलिये आप इसकी तरफ ध्यान दें। वरना आज जो हालत है वह बहुत बिगड़ जायेगी।

दूसरी बात माध्यमिक शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि जिस प्रकार से हमारे यहां मान्यता दी जाती है, वह भी मामूली बिगड़ी हुई बात नहीं है। प्राइवेट लोगों की मान्यता के बारे में लाखों दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं और उनमें से आप केवल कुछ हजार को या कुछ निश्चित परसेंटेज को ही मान्यता प्रदान करते हैं। और वह भी मान्यता की जो शर्तें हैं, उनके हिसाब से नहीं होती। मैं यह पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे मान्यता हो, चाहे कुछ और हो, सब जगह गड़बड़ होती है। वहां या तो किसी बड़े आदमी की सिफारिश की आवश्यकता होती है, अथवा कोई पैसा खर्च करने वाला आदमी हो। कहीं न कहीं पर किसी न किसी तरह से, चाहे वह भ्रष्टाचार के उपाय के द्वारा हो अथवा किसी दबाव के जरिये से हो, बिना उसके मान्यता मिल ही नहीं पाती है।

उसी तरह से ग्रांट इन एड वाला मामला भी है। अच्छा है कि इस वक्त भाटिया साहब मौजूद हैं, हमारे साथ भी वे रहे हैं। आप समझें कि इस प्रदेश में श्री स्याल ने जो परंपरा डाली थी उस परंपरा को तोड़ने वाले एक अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन इनके रहते हुए भी ग्रांट इन एड जो है, मैंने मोटे तौर पर अन्दाज लगाया कि १०-१२ करोड़ रुपये इसमें है। उसमें से कम से कम १० प्रतिशत स्कूल क्लर्क से लेकर इलाहाबाद दफ्तर के क्लर्क और कहीं कहीं इन्सपेक्टर की जेबों तक में चला जाता है। तो जब यह हालत है, तो क्यों है? इसलिये कि जो आपके नियम हैं, अगर आप निश्चित नियम निर्धारित कर दें तब कोई ऐसा नहीं करेगा और साथ ही साथ अगर किसी आदमी को मालूम हो जाय कि इस कारण से आप ग्रांट को कम या ज्यादा कर देते हैं तो वह पता लगाता है कि कौन-कौन से इन्स्टीट्यूशन्स हैं और तब वह विभाग के मंत्री के पास सारी पत्रावली ले जाकर रखता है जिसे देख कर निर्णय किया गया होगा कि यह बात सही है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज चल रहा है उस तरह से मामला बहुत गड़बड़ है।

जहां तक मैचिंग ग्रांट वाली बात है, इस सवाल को भी बिलकुल खतम करना होगा क्योंकि इससे बेईमानी को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। सभी लोग मैचिंग ग्रांट में कंट्रिब्यूट नहीं करते। इस तरह से बहुत से फर्म्स हैं जहां फर्जी वाउचर मिल जाया करते हैं और डिप्टी डाइरेक्टर के स्तर तक यह सारा मामला चल रहा है। कहीं-कहीं स्थानीय इन्सपेक्टर भी उसमें शामिल हो जाया करता है। जब यह रुकना असंभव-सा है इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि मैचिंग ग्रांट वाली प्रथा में कम से कम ऐसा तो करें ही जिससे झूठ को स्थान न मिल सके चाहे उससे किसी का भला हो या न हो।

इसी तरह से एक और चीज है किताबों की । किताबें स्वीकृत होती हैं हाई स्कूल, टरमीडिएट तक की । उन किताबों की स्वीकृति का मामला इस समय भी शायद विचाराधीन है और इसीलिये वह सिलसिला पूरी तरह से टूटा नहीं है । आज भी सन् ६५ के सिलेबस के आधार पर जो किताबें आयी हैं उनका फिर से रिव्यू हो रहा है । उसमें क्या होगा ? मान लीजिये कि एक किताब है उसमें तीन आदमी रिव्यूअर होते हैं जो अंकों के आधार पर अपना फैसला देते हैं । किसी ने इतना नम्बर दिया, किसी ने इतना नम्बर दिया और किसी ने इतना नम्बर दिया । अगर आप खुद जहमत करें तो तमाम चीजें आपको देखने को मिल जायेंगी । करीब डेढ़ दो सौ केसेज ऐसे हैं जिनमें किसी ने उसी चीज के लिये ६० नम्बर दिया, किसी ने ८० नम्बर दिया, किसी ने ७५ नम्बर दिया और तीसरे ने ४० नम्बर दे दिया । इस पर आप गौर करें कि मान लीजिये किसी लड़के ने इम्तहान दिया है तो उसके लिये एक आदमी ५ नम्बर के बजाय ६ नम्बर दे सकता, है, ५ के बजाय साढ़े ४ नम्बर दे सकता है लेकिन ५ के बजाय ८ या ५ के बजाय २ नम्बर तो नहीं देगा ।

फिर जिस तरह से पब्लिशर्स को लीकेज होता है कि रिव्यूअर कौन-कौन हैं, और जिनको अप्रोच हो गई उन्होंने नम्बर दे दिये ज्यादा और जिनको एप्रोच नहीं हो पाई उन्होंने नम्बर दे दिये कम । अब मान लीजिये कि यह किताब जो थी वह पूरे स्टैंडर्ड पर होती तो उसको पास हो जाना चाहिये था लेकिन एक दूसरे के पास उसके मुखालिफ ने एप्रोच कर ली तो उसने घटा कर नम्बर कम कर दिये । इतना निश्चित है कि इसमें गड़बड़ी जरूर है । एक किताब के पास होने का मतलब क्या हुआ ? पब्लिशर को ६०, ७० हजार रुपया मिलेगा । आपके शिक्षा विभाग के ८–१० बड़े अधिकारी संयुक्त निदेशक के स्तर के होंगे जिनकी अपनी किताबें हैं । किताबें लिखने के नियम हैं । डाइरेक्टर साहब या सरकार इजाजत देती होगी और उस इजाजत के बगैर किताबें लिखने की छूट उनको नहीं है । स्याल साहब के वक्त का यह मामला है । पता लगाया जाय कि सरकार ने कभी इसकी इजाजत दी या खाली सयाल साहब ने दी नतीजा क्या हुआ ? इन लोगों के नाम आप समझिए कि हाइयेस्ट लिस्ट पर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और उसमें ६०, ७० हजार रुपये का बेनिफिट एक किताब पर होता है । इसमें सरकार ने कुछ किया है या सीधे-सीधे डायरेक्टोरेट के लेविल पर ही यह मामला चलता रहा ? यह ७५,–८० व ६० में कुछ रेश्यो नहीं रखा जाता है । इसका कारण क्या है ? यह लीकेज हो रहा है ।

एक उदाहरण और दूं एटलस के बारे में । जूनियर मिडिल क्लासेज में पहले जो एटलस आक्सफोर्ड स्टैन्डर्ड साइज चलती थी उसकी जगह दूसरे हिसाब से एटलस मांगी जा रही है । यह एटलस है स्कूल एटलस और उसका यह नमूना है––इस तरह का कवर, इस तरह का पेपर और इस तरह का नक्शा उसमें मांगा गया है ज्यों का त्यों और उसका मूल्य पहले से दुगुना होगा लेकिन ८वें तक के बच्चों के लिये यह किसी तरह से उपयोगी नहीं होगी क्योंकि इसमें अपने जिले की, प्रान्त की, देश की तथा विभिन्न चीजों की जैसे क्लाइमेट, पैदावार आदि की जानकारी होनी चाहिये लेकिन वह सब न हो कर केवल एक नक्शा उत्तर प्रदेश का है और इसकी शिकायत आपके दल के कुछ लोग पहले पहुंचा चुके हैं । यह विज्ञप्ति जिस गजट के द्वारा की गई है वह है १५ जुलाई, १९६९ का । इस सिलसिले में आपकी सेवा में एक प्रार्थना-पत्र श्री चन्द्रभान शर्मा, एम० एल० ए० तथा रघुवीर सिंह, एम० एल० ए० ने १० अप्रैल, १९७० को दिया था तथा सरकार का ध्यान भी श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा खींचा गया था । इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अब स्थानीय विश्वविद्यालय की तरफ शिक्षा मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं––लखनऊ विश्वविद्यालय । यह बताने की जरूरत नहीं है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ऐक्ट के तहत में जो स्टेट्यूट्स और आर्डिनेंसेज बनते हैं उनके ठीक से संचालन की एक मात्र जिम्मेदारी वाइस-चांसलर की है । साथ ही साथ यूनिवर्सिटी

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

के कैंपस में अनुशासन बनाये रखने की भी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। और मान लीजिए कोई वाइस-चांसलर फेल करता है इन्हीं दोनों चीजों में तब मैं निवेदन करूंगा कि उनको रहने का कोई हक नहीं रह जाता है और मौजूदा वाइस-चांसलर लाल साहब ने अपना हक खो दिया है। किस तरह से खो दिया है उस तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यों यूनिवर्सिटी में पहले बी० एस-सी० वगैरह के जो इम्तहान होते थे वह यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन न होकर प्रोमोशन टस्ट हुआ करते थे एक तरह से। लेकिन बीच में उसमें बदलाव हुआ कि पहले और दूसरे साल के नम्बरों को जोड़ कर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बना दिया गया और दोनों साल के नम्बरों के आधार पर ही डिवीजन वगैरह मिलने लगा।

यह १०-१५ साल पहले बी० ए० में इन्ट्रोड्यूस हुआ था और बी० एस-सी० में अब से चार साल पहले लागू कर दिया गया। लेकिन १९६९ के एग्जामिनेशन के लिये स्टैन्डड इस तरह से तय किया कि अगर केवल दूसरे साल के नम्बर से किसी लड़के का डिवीजन अच्छा बन जाता है तो खाली दूसरे साल के नम्बर लिये जायेंगे। लेकिन अगर दोनो साल के नम्बरों से अच्छा डिवीजन बनता है तो दोनों साल के नम्बर जोड़ दिये जायेंगे। मान लीजिये एक लड़के ने पहले साल में ५० नम्बर पाए और दूसरे साल में ७० नम्बर पाए तो दूसरे साल के ही नम्बर लिये जाना उसके लिये फायदेमन्द है। अब इस केस को उलट दीजिये और पहले साल मिलते हैं ७० और दूसरे साल ५० तो इस केस में दोनों जोड़े जायेंगे। तब हो जायेगा ६० परसेंट। लेकिन इस फेर-बदल से कितना बड़ा फर्क डिवीजन पर पड़ता है और केवल डिवीजन पर ही नहीं बल्कि कैरियर पर भी पड़ता है। और यह सारा मामला गैर-कानूनी ढंग से हो रहा है। इसके लिये आर्डिनेंस बनाने का तरीका क्या है? पहले कन्सर्न्ड फैकल्टी प्रोपोजल भेजती है। यह यूनिवर्सिटी ऐक्ट के सेक्शन ३०, सब-सेक्शन (१) (बी) में दिया है कि आर्डिनेंस कैसे बनाया जायगा। तो कन्सर्न्ड फैकल्टी प्रपोजल भेजेगी। प्रोपोजल एकेडेमिक कौंसिल में जायेगा। वह उस पर गौर करके रेकमेंड करेगी एग्जीक्यूटिव कौंसिल को कि इस तरह का आर्डिनेंस बना दिया जाय तब हो सकता है। लेकिन १९६९ के एग्जामिनेशन के लिये जब चेंज किया रूल में तो कन्सर्न्ड फैकल्टी ने कोई प्रोपोजल नहीं भेजा। और एकेडेमिक कौंसिल में उस पर विचार नहीं हुआ, बल्कि साइन्स फैकल्टी ने इसकी मुखालिफत की थी। उसके बावजूद मनमाने ढंग से इस तरह का रूल उन्होंने बना लिया एग्जिक्यूटिव में बैठ कर। नतीजा उसका यह होगा कि दूसरे साल में जिसके अच्छे नम्बर हैं और पहले साल में जो अच्छे लड़के हैं—इनके दो के नतीजों में जो फेर-बदल होने की संभावना है उससे वहां पर असंतोष हुए बिना रह ही नहीं सकता।

एक तो यह कारण है असंतोष का। दूसरा कारण यह है कि जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि जहां आज आवश्यकता इस बात की है कि जो अलगाव वाली भावना के तत्व हैं उनको दूर किया जाय, बी० बी० लाल के रेजीम में, वहां पर अलगाव या सांप्रदायिकता को पूरा-पूरा बढ़ावा मिला जो कि असंतोष का कारण है। उसका नतीजा यह हो रहा है, और यह तो नाक के नीचे का मामला है, अखबारों ने इसे खूब छापा है और आपने पढ़ा भी होगा कि अब कोई खुश नहीं है। जिन विद्यार्थियों को उन्होंने बढ़ावा दिया उनके बारे में आम राय यह है कि न तो उनका कोई सामाजिक और न कोई राजनीतिक उद्देश्य है, सिर्फ शोरापुश्ती, चाकू-छुरा बल्लम, जोर-जबरदस्ती यही उनका ढंग है। ऐसे लोगों को, बच्चों को, छात्र को या विशेष गुट को चाहे वह प्राक्टर रहा हो या वाइस-चांसलर रहा हो बराबर इन लोयों ने बढ़ावा दिया और धीरे-धीरे उन्होंने जिस स्थिति को या जिन लोगों जो जन्म दिया, परवान चढ़ाया वह उन्हीं को निकालने के लिये तैयार हो रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि अध्यापकों पर हमला हो रहा है और दूसरे सदन, विधान परिषद् के जो पुराने गुरू थे—श्री एच० के० अवस्भी के ऊपर जब हमला हुआ तो टीचर्स ने इन्कार कर दिया परीक्षक बनने से। तब नौबत यहां तक पहुंची कि

परीक्षाएं बन्द करनी पड़ीं हैं, रोकनी पड़ी हैं। इनको बढ़ाने का कौन जिम्मेदार है ? मैं कहने के लिये तैयार हूं कि चाहे लाल साहब कितने ही बड़े वैज्ञानिक हों और चाहे जितने प्रभावशाली हों, लेकिन यूनिवर्सिटी के जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है इसमें वे बिलकुल अटर फेल्योर रहे हैं और इस नाते से उन्होंने वहां रहने का एक दिन का भी हक खो दिया है। वहां पर यह स्थिति है कि जो सीधे-साधे बच्चे हैं कोई उनसे जबरदस्ती पैसा लिये हुए है, कोई उनके बूत पर खाना खाता है, उनके यहां जबरदस्ती लड़के टिकाये जाते हैं। उसी तरह से ऐसे अध्यापक जो किसी.....

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)––

कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

कोरम नहीं है। आप बैठें, घंटी बजेगी।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)––

यह हमेशा से सबकी अन्डरस्टैंडिग रही है कि लंच आवर में कोरम नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष––

वह एक से दो बजे के बीच में है, लेकिन दो के बाद नहीं है। इस समय दो बजकर पांच मिनट हुआ है। दो बजे के बाद तो उठ सकता है। "उठाना नहीं चाहिये" का मतलब यह नहीं है कि अगर उठाते हैं तो उनकी बात को न माना जाय। वह तो नियम का मामला है।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री लाल साहब के रिजीम में वहां पर सांप्रदायिकता, गुटबन्दी, गुन्डागर्दी इन सबको इतना बढ़ावा मिला है कि वहां पर कायदा-कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और जहां तक कानूनों को तोड़ने का सवाल है, उसमें जब कभी लाल साहब को मौका मिला वह उसमें चूके नहीं। इसी तरह से पिछली दफा यह था कि ७५ प्रतिशत हाजिरी वालों को परीक्षा में बैठने को मिलेगा और इससे नीचे वालों को छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद १५ प्रतिशत की छूट और दे दी और जो डेजर्विंग केसेज थे उनके बारे में कहा गया कि ५० प्रतिशत छूट दी जा सकती है। यहां लाल साहब ने क्या किया कि जो पूरे सत्र में १ या २ बार आ सक उनको भी इम्तहान में बैठने की छूट दे दी। ऐसा नहीं है श्रीमन्, कि इसमें हमको कोई संदेह है, लेकिन अगर नियम बना है तो उसका पालन होना चाहिये, वरना हम तो यही मांग करते रहेंगे कि बी० ए० और उससे ऊपर की कक्षाओं में हाजिरी की कोई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये और अगर नियम बना है तो उसका पालन होना चाहिये।

नियम अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन उसके रहते हुए लाल साहब ने छूट दी। जो २ घंटे भी हाजिर रहा हो और बाकी गैर हाजिर रहा हो उसको छूट दी गई। इस तरह से उन्होंने किया। उन्होंने छूट उस समय दी जब शैक्षिक सत्र बन्द होने जा रहा रहा था। २० मार्च से सत्र बन्द होने वाला था और १४ मार्च को छूट दी गई और दूसरे कोर्स में बैठने की इजाजत दी गई। इस तरह की अनियमितताएं बराबर लाल साहब के रिजीम में चल रहीं हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि न तो कोई कायदा रह गया है और न कोई कानून रह गया है। लाल साहब यूनिवर्सिटी के प्रांगण में कोई मीटिंग नहीं कर सकते। पिछली मीटिंग राज भवन में की है। यह बात लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुई है। यह पहली शर्मनाक घटना हुई है, श्रीमन्, कि राज भवन में जाकर मीटिंग की गई। जहां तक यूनिवर्सिटी कैम्पस का सवाल है, वहां पर पुलिस तैनात है।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

जहां तक यूनिवर्सिटी के प्राक्टर का सवाल है या जो वाइस-चांसलर साहब हैं, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ये दोनों मुर्गी दिल हैं। इसलिये कि वहां के प्राक्टर और वाइस चांसलर के हिफाजत दो शैडो कर रहे हैं। तो आखिर उन्होंने क्यों स्थिति बिगाड़ी ? इस वक्त लगभग ४ प्लाटून वहां पर काम कर रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है और यह इस लायक नहीं हैं कि इनको एक दिन भी यूनिवर्सिटी में रखा जाय। आपके माध्यम से मैं चांसलर साहब से निवेदन करूंगा कि कानून का सवाल इस तरह से उलझा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऐक्ट में ऐसा है ही नहीं कि जब तक उनका तीन साल का टर्म पूरा न हो जाय उनको निकाला जा सके। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस पर सुप्रीम कोट तक की अथारिटीज मौजूद हैं और अगर वह चाहेंगे तो हम उनकी सेवा में लिखकर भेजने को तैयार हैं। सामान्य नियम के अनुसार जिस आदमी को एप्वाइंट करने का अधिकार होता है उसे डिसमिसल का भी अख्तियार होता है और सुप्रीमकोर्ट ने इस तरह की एक रूलिंग भी दी है। उसका रिफरेन्स ए आई आर १९६८ सुप्रीम कोर्ट, पेज २९२ पर है। अगर यूनिवर्सिटी के वातावरण से गुन्डागर्दी, साम्प्रदायिकता और गैरकानूनी कार्यों को साफ करना है और उसको सचमुच शिक्षा का मंदिर या सरस्वती का मंदिर बनाना है तो लाल साहब का वहां से हटाना बहुत जरूरी हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं मुख्य कटौती जिसका मैंने जिक्र किया उसको पेश करते हुये सदन से चाहूंगा कि इस कटौती का माननीय सदस्यगण समर्थन करेंगे और उसके पक्ष में मतदान देकर जो बजट का प्रस्ताव आया है उसको गिराने का कष्ट करेंगे।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, एक भी मेम्बर बी० के० डी० का इस वक्त नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला कानपुर)---

मान्यवर, प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये आपकी खिदमत में मैं प्रस्तुत हुआ हूं। शिक्षा का विषय अपने प्रदेश और देश के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि शिक्षा में प्रगति लाने के लिये आप दूसरे विषयों की अपेक्षा अधिक ध्यान दें। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में इस बात को कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्यायें हैं। वे उनसे परेशान हैं और जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है इससे वे स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा मंत्री जी समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, और उनके समुचित समाधान के अभाव में असंतुष्ट भी हैं हम समझते हैं कि इसके लिये वह हम सब के बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान शिक्षा के संबंध में पहले कही हुई कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोठारी कमीशन एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोग गठित हुआ था शिक्षा क्षेत्र में कुछ प्रगति करने के लिये। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक जगह लिखा है : "इजूकेशन इन इन्डिया इज ए वेल आर्गनाइज्ड प्राइवेट इनडस्ट्री"। अर्थात् भारतवर्ष में शिक्षा एक सुसंगठित औद्योगिक प्रतिष्ठान है। इससे हमको यह संकेत मिलता है कि शिक्षा हमारी किस ओर जा रही है। कोठारी कमीशन में ऐसे लोग रखे गये थे जो शिक्षाविद् थे और उनका उससे निकट का सम्बन्ध था, उससे जानकारी थी। उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में अपना मत दिया जिससे हमको कुछ रोशनी मिलती है। कम से कम इतना तो हम करते कि आज शिक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठान न बनी रह जाती या कम से कम उसमें चोर बाजारी तो न रहती। एक और उदाहरण देना है। शायद पिछले साल हमारे राज्यपाल महोदय ने कानपुर में बोलते हुये कहा था कि जमींदारी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जमींदारी पनप रही है। इन शब्दों को उन्होंने स्वयं कहा था। यही नहीं, मान्यवर, हमारे राज्यपाल जी का जो अभिभाषण इस सदन में हुआ था उन्होंने उसमें भी पृष्ठ २ पर यह कहा है कि "शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास

होगा जिससे जनता का चरित्र, व्यवहार, मनोबल ऊंचा हो"। उनके इस अभिभाषण से हमको यह आभास मिलता है कि उनका शिक्षा को एक दिशा देने की ओर संकेत था। शिक्षा का कोई एक उद्देश्य होना चाहिये था और देश तथा काल के अनुरूप उसका एक व्यवस्थित स्वरूप होना चाहिये। मैं शिक्षा अनुदान का समर्थन कर रहा हूं लेकिन उसी के साथ अपने शिक्षा मंत्री जी के भाषण से प्रेरणा लेता हुआ सुझाव के रूप में कुछ बातें भी रखना चाहता हूं।

श्री राम गोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)––

शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में ही आपको अपने सुझाव रखने चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)––

शिक्षा के लिये उसका उद्देश्य और स्वरूप ये दो चीजें निश्चित होने की आवश्यकता है। बिना उसके वह जनसाधारण का कोई कल्याण नहीं कर सकती है। मुझे बड़े दुख से यह कहना पड़ता है कि जो शिक्षा का स्वरूप हमारे प्रदेश में है पिछले २० वर्षों से उसके लिये मैं केवल इसी सरकार को दोषी नहीं ठहराता वरन इस देश की और प्रदेश की बदलती हुई परिस्थितियों में जो कुछ हुआ है वह चिन्ता का विषय अवश्य ही है। जो हालत आज है उसके अनुसार शिक्षा का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है और न उसका कोई स्वरूप ही है। आप देखें मान्यवर, छोटे स्तर की शिक्षा प्राइमरी इजूकेशन में चार श्रेणियों में विभक्त हो गयी है। एक तो बेसिक शिक्षा जिसका माध्यम हमारी जिला परिषदें हैं और जिसका क्षेत्र हमारे देहातों में है।

एक प्राइमरी शिक्षा जो आपके नगर महापालिका द्वारा उसके स्कूलों से शहरों में दी है। एक मान्टेसरी शिक्षा जिसकी बेहद बाढ़ उत्तर प्रदेश में है। मैं समझता हूं कि संख्या के हिसाब से अगर देखा जाय तो सबसे ज्यादा चिन्ताजनक तरक्की इसी में हुई है। और एक है किन्डरगार्टन। इन चार प्रकार की प्रणालियों में आपस में कोई सांमजस्य नहीं है। देहात के स्कूल में, शहर के प्राइमरी स्कूल में, मान्टेसरी स्कूल में और किन्डरगार्टन स्कूल में–सब में अलग-अलग प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। इन स्कूलों से निकल कर जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर जब बच्चे आते हैं तो बड़ा मतिभ्रम होता है। जो देहात से आया है उसकी समझ में नहीं आता कि कैसे कहां फिट हों, कौन सा विषय लें और किस उद्देश्य से अपनी शिक्षा चलाएं।

अब जूनियर हाई स्कूल की बात लें। वहां भी कोई सांमजस्य नहीं है। हमारे यहां उडक्राफ्ट और लेदर क्राफ्ट जैसे विषय हैं। इन विषयों में शिक्षा प्राप्त बच्चों को अगर देखें तो केवल इम्तहान पास करने के लिए वह विषय लेते हैं लेकिन बाद में जीवन में उन विषयों का कोई ताल्लुक नहीं रहता। यह इस बात का सकेत करता है कि कोई उद्देश्य स्थिर नहीं है कि शिक्षा जो हम देते हैं उससे हमारे बच्चों का क्या बनेगा। एक साल अगर आपकी प्लान रुक जाय, कोई विकास कार्य रुक जाय तो उससे शायद इतनी हानि नहीं होगी जितनी आवर्त्तक हानि शिक्षा के क्षेत्र में इस लापरवाही से हो रही है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने कानपुर में आचार्य नरेन्द्रदेव डिग्री कालेज के कन्वोकेशन में एक भाषण दिया और उसमें करीब-करीब इसी तरह की बात कही जैसी सदन में कही है कि वह बड़ी हताश-स्थिति में है, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी समस्यायें उनको लगती हैं कि कोई समाधान सोच पाने की स्थिति में वह नहीं हैं। उन्होंने वहां कहा कि शिक्षा मंत्री मैं आवश्य हूं लेकिन अगर आप मुझ से पूछें कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा क्या विशेष योगदान है तो शायद मुझे कहना पड़े कि कुछ नहीं। आगे उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछेंगे कि आखिर आप करते क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा दिन भर का काम यह है कि लोगों की पर्चियां प्राप्त करना कि इसका ट्रांसफर यहां कर दो, इसका वहां कर दो इसको वहां से हटा दो, वगैरह-वगैरह, जिनको मैं रात में पढ़ता हूं और दूसरे दिन जवाब देता हूं। तो मेरा उनसे बड़ी नम्रता के साथ निवेदन है कि शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ किसी प्रकार उचित नहीं है क्योंकि मैं अभी कह चुका हूं कि एक साल या छः महीने विकास का कोई काम रुक जाने से उतनी हानि नहीं है जितनी शिक्षा के क्षेत्र में इस लापरवाही से हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो गल्ती एक पीढ़ी में हो जाती है उससे आगे जाकर कितना नुक्सान होता है यह विचारवान लोगों के लिये सोचने की बात है।

[श्री रघुनाथ सिंह कानपुर]

श्रीमन्, कुछ थोड़ा सा ध्यान हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट और डिग्री कालेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर भी दिलाना चाहूंगा। मेरे यहां कानपुर में कई डिग्री कालेज हैं और इस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि शिक्षा के क्षेत्र में दिन ब दिन जमींदारी पनप रही है। वह बात भी कानपुर में ही कही गई थी। हमारे राज्यपाल महोदय ने कही थी। और कुछ विशेष संकेत भी था उनका एसी बात कहने में। कानपुर में जुलाई के महीने में आप पता लगावें तो डिग्री कालेजों में विशेष रूप से साइन्स की कक्षाओं में भर्ती होने के लिये १।। हजार, २ हजार, ३ हजार, ४ हजार और ५ हजार तक की बात चलती है। हम यह समझते हैं कि हमारी सरकार प्रशासन में स्वच्छता लाने का इरादा रखती है। हम लोगों का विश्वास है कि स्वच्छता आयेगी भी और वह क्रम शुरू भी हो गया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रशासन में शिक्षा को भी शामिल किया जाय। बड़ी अच्छी बात होगी अगर शिक्षा के क्षेत्र में एक विजिलेन्स सेल बनाया जाय जो इन गड़बड़ियों को देखे कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में इतनी घूसखोरी क्यों चल रही है। ऐसी चीजें कानपुर में होती हैं, जहां सरकार के पास जानकारी के लिये हर प्रकार के साधन हैं। सरकार को यह मालूम करना चाहिये कि आखिर यह क्यों है? इस तरफ ध्यान जाना ही चाहिये।

आप यह देखें कि कालेज और स्कूल में बच्चों के भर्ती होने के बाद किस तरह का एजुकेशन होता है। कोड में एक निश्चित नियम है कि इतना बड़ा रूम हो तो इतने लड़के होने चाहिये लेकिन क्या इसका पालन होता है। साइन्स क्लास में पढ़ाने के लिये साइन्स आपरेटस एक खास चीज होती है जिसके बिना शिक्षा नहीं हो सकती है। इस समय यहां पर शिक्षा मन्त्री जी नहीं हैं राज्य मन्त्री जी मौजूद हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें कि इन कालेजों में जितने उनके पास आपरेटस हैं क्या उतनी ही संख्या में लड़के भी वहां पर भर्ती होते हैं और क्या हर लड़के को यह सुविधा मिलती है कि वह विज्ञान का विद्यार्थी होकर अपना एक्सपैरिमेंट कर सके। अध्यापक लोग एक-एक लेबोरेटरी अपने घर पर खोले हुये हैं जिसकी वह अलग से लड़कों से फीस लेते हैं और लड़के उनके घर पर जाकर एक्सपैरिमेंट करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अगर उपेक्षा की मनोवृत्ति रही तो इससे आप देश हित का कितना हनन करते हैं और आने वाली पीढ़ी का कितना ह्रास होता है यह विचारने की बात है।

माननीय जायसवाल जी ने एक समस्या की ओर हम लोगों का ध्यान खींचा। अंग्रेजी के विषय में उन्होंने यहां पर बात उठाई। अंग्रेजी के सम्बन्ध में एक बार हमको एक निश्चित विचार बना लेना चाहिये। देखता हूं कि जितने प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हुये उतने शायद ही और कहीं हुये हों। नये शिक्षा मन्त्री या नये निदेशक जब आते हैं तो वे अपने तरीके से और अपनी रुचि के अनुसार नया प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में लाते हैं। मैं कहना चाहता हूं उदाहरण के लिये कि हमारे सम्पूर्णानन्द जी जब माननीय शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने भी अपना प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में वह अपना एक स्थान रखते थे। उन्होंने एक बार सोचा कि इस्थैटिक ग्रुप यहां पर शिक्षा में रखा जाय। उसके लिये ३।। लाख रुपया रखा गया और तबला, मृदंग और मजीरे खरीदे गये, अब उनका कहीं पता नहीं है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कोई न कोई बदलाव हर बार देखने को मिलता है। अभी पिछली बार जब संविद सरकार आई तो उसने अपने जमाने में कह दिया कि अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका नतीजा यह हुआ कि लड़कों ने अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दिया लेकिन फिर बाद को यह घोषणा कर दी कि अंग्रेजी में इम्तहान देना पड़ेगा।

जब आप यह घोषणा कर दें कि कोई विषय पढ़ाया ही नहीं जायगा और फिर उसमें ही इम्तहान लें यह कहां का न्याय है? जिस छात्र ने वह विषय पढ़ा ही नहीं वह किस प्रकार से उसमें अपनी परीक्षा दे सकता है। बाद में शायद पास होने के लिये कुछ सुविधा दी गई। इस प्रकार से ये बेढ़ंगे काम किये जा रहे हैं। मेरे कहने का आशय यही है कि जाहिरा तौर पर

देखने में यह आता है कि इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भारी मखौल किया जा रहा है। अंग्रेजी के विषय में एक बार, अच्छी तरह से सोच-समझ कर, विशेषज्ञों से राय लेकर राष्ट्र के हित में प्रदेश और देश के हित को सामने रखकर और सारे विचार करके तय कर लिया जाय कि वह रहेगी या नहीं रहेगी। इस सम्बन्ध में बच्चों के अभिभावकों के दिमाग साफ हो जाने चाहिये कि अंग्रेजी रहेगी या नहीं रहेगी और वह उसकी रोशनी में किस तरह से अपने बच्चों को निर्देश दें कि उन के बच्चे स्कूलों में किस तरह की और किन-किन विषयों की शिक्षा ग्रहण करें।

कुछ थोड़ी सी बात मैं अध्यापकों की मर्यादा के विषय में भी कहूंगा। आप विदेशों के या जो भी प्रगतिशील देश हैं वहां देखें तो उनमें समाज का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठावान व्यक्ति अध्यापक हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुये दुख है उसके बिलकुल विपरीत हमारे प्रदेश में या देश में स्थिति है। हमें इस समस्या को गहराई से समझना चाहिये और उसका कोई उचित समाधान निकालना चाहिये क्योंकि अध्यापक का ही प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है और उन्हीं के माध्यम से ही नई भावी पीढ़ी के बालक पर प्रभाव पड़ता है जो कि आगे को हमारे देश और प्रदेश के कर्णधार होने वाले हैं। यदि आरम्भ में ही इस उद्देश्य को हमने छोड़ दिया तो बड़ा घातक प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा और समाज की हानि होगी। इसलिये समाज में हमारे अध्यापकों को एक ऐसा स्तर प्राप्त होना चाहिये जिसकी कि समाज में एक ऊंचे दर्जे की मान्यता हो और लड़के भी यह समझें कि हमारे अध्यापक का समाज में इतना मान है और हमें जो शिक्षकगण शिक्षा देते हैं यदि हम उसके योग्य बनेंगे तो हमें भी आगे ऐसा ही सम्मान समाज में मिलेगा। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और वे अध्ययन में अधिक रुचि लेकर देश और समाज के लिये उपयोगी बन सकेंगे। हमारे उर्दू के एक शायर ने कहा था, उन दिनों अंग्रेजों के वक्त में शिक्षा के मूल्यांकन पर कि•–

'पैदा हुये, बी० ए० किया, नौकर हुये और मर गये।'

अब भी पैदा होना और मर जाना तो प्राकृतिक ही है परन्तु बी० ए० करके, नौकरी पा जाना मुश्किल हो गया। यह मूल्यांकन निराशा जनक है। अंग्रेजी वक्त से आज दिन तक हमने शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य ऐसे किये हैं जिन से शिक्षा के द्वारा राष्ट्रनिर्माण में योगदान मिला है यह विचारणीय है। शिक्षा का उद्देश्य यदि ऐसा ही रहा और बेकार नागरिक निकलते रहे, क्लर्क, अध्यापक और मेजिस्ट्रेट ही बनते रहे और इसी तरह से वह जीवनयापन में लगे रहे तो वह शिक्षा का अच्छा उद्देश्य न होगा। हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि वह हमारे नवयुवक के चरित्र निर्माण में योगदान करे। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था और अगर उसका संकेत इस बजट में होता तो हम समझते कि कुछ होने जा रहा है लेकिन उसकी ओर गौर नहीं किया गया। हम समझते थे कि कोई ऐसा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आयेगा जिससे जो कमियां हैं वे दूर होंगी और शिक्षा को एक ऐसा स्वरूप मिलेगा जो हमारे देश और प्रदेश के लिये हितकर होगा, यदि ऐसा होता तो वह एक बड़ा अच्छा कार्य होता।

अध्यापकों के सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन और करना है। आप अध्यापकों की स्थिति देखें, उसके विषय में बड़े व्यापक तौर से श्री जायसवाल ने प्रकाश डाला है। उनकी बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं। हमारे क्षेत्र में रूरा में एक इन्टर कालेज है और वहां पर कोई अन्य इन्टर कालेज भी नहीं है। इस नाते वह क्षेत्र की बड़ी सेवा कर सकने की स्थिति में है, यह मैं नहीं कहता कि वह सेवा कर रहा है, वहां की स्थिति इतनी खराब है कि वह कालेज बच्चों की नई पीढ़ी बजाय बनाने के और बिगाड़ रहा है। वहां का प्रबन्ध इतना दूषित है कि छः–छः महीने अध्यापकों का वेतन नहीं मिलता। यही नहीं जितनी जायदाद स्कूल में लगी हुयी है, उसके अधिकांश भाग का प्रयोग वहां के मैनेजर अपने निजी कामों में करते हैं। मैं समझता हूं कि इसके

[श्री रघुनाथ सिंह] (कानपुर)—

बारे में पिछले २ सालों से सरकार में विचार चल रहा है। कितनी ही शिकायतें हो चुकी हे और मेरी भी शिक्षा अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, इस पर तो सरकार को अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देना चाहिये, जब वहां के लोग इसका प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं। जिस स्कूल में १,२०० या १५,०० बच्चे हों, अगर वहां पर सरकारी नियन्त्रण की व्यवस्था न होगी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकेगा। समझ में नहीं आता है कि क्या अड़चनें हैं उस क्षेत्र के एक-मात्र कालेज की दशा को सुधारने के लिये ? क्यों इस कालेज के साथ खिलवाड़ हो रहा है ? नतीजा यह होता है कि वहां पर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। मेरी राय में हमारी सरकार इस पिछड़े हुये क्षेत्र के कालेज के लिये कोई सरकारी नियन्त्रण करने की कृपा करे ताकि वहां के बच्चों का भविष्य खराब न हो।

एक बात की ओर और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो मान्टेसरी स्कूल्स की बाढ़ आ गयी है, उनमें सरकार का किसी किस्म का कोई नियन्त्रण न होना दुर्भाग्य पूर्ण है। वहां पर कितनी फीस ली जाती है शायद सरकार को इसका ज्ञान नहीं है और न स्कूल्स की फीस के सदुपयोग की बाबत कोई आडिट ही होता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें। कालजों में मेन्टिनैन्स का खर्चा तो आडिट होता है लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर तथा और मदों के नाम पर जो हजारों रुपया वसूल किया जाता है और उसका उपयोग किस व्यक्तिगत मदों पर होता है इसका कोई आडिट नहीं होता। अन्त में शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे २ मुख्य सुझाव हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में विजिलेन्स सेल कायम होना चाहिये जो शिक्षा के भ्रष्टाचार को गौर से देखे और जो इस प्रकार के काम करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करे।

दूसरे जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर कराया जाय और शिक्षा के स्वरूप में एक सामंजस्य लाया जाय ताकि हम एक निश्चित दिशा की ओर चल सकें, एक नयी दिशा दे सकें, राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकें। अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय उपाध्याय महोदय, आज जो सदन में शिक्षा का बजट प्रस्तुत है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्रीमन्, प्राइमरी एजूकेशन जो हमारे प्रदेश में दी जा रही है, मुझे यह निवेदन करना है कि हर प्राइमरी स्कूल में बालकों की संख्या बहुत अधिक है। प्राय: २०० या ३०० लड़के एक एक स्कूल में होते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिये केवल २ या ३ अध्यापक होते हैं। नतीजा यह होता है कि न तो लड़के ही पढ़ते है और न उनकी पढ़ाई ही ठीक तरह से हो पाती है। ३० बालकों तक एक अध्यापक दिया जाना चाहिये।

इसी प्रकार कन्या जूनियर बेसिक स्कूलों में छठें, सातवें और आंठवें दर्जे तक जो क्लासेज चल रही हैं उनमें मैंने देखा कि एक क्लास प्राईमरी स्कूलों में जोड़ दी गई है जिनको कान्टीन्युएशन क्लासेज कहते हैं। वहां पर ६ के बदले दो अध्यापिकायें दी जाती हैं। वे बालिकाओं को ठीक तरह से पढ़ा नहीं सकतीं। उसका नतीजा यह है कि जब रिजल्ट आउट होता है तो एक लड़की पास होती है। इस तरह से बालिकाओं को एजूकेशन देना मैं समझता हूं, लाभदायक नहीं होगा। इसको शिक्षा विभाग को सोचना चाहिये और बजट भी उसी तरह से बनाना चाहिये ताकि जितने भी स्कूल खुलें अच्छी तरह से खुलें और बालक और बालिकाओं की शिक्षा ठीक तरह से हो। हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल तक हैं, मैं देखता हूं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें वर्षों से वही प्रिन्सिपल और टीचर्स चले आ रहे हैं।

करीब करीब ८० परसेन्ट ऐसे विद्यालय हैं जहां कि बहुत ज्यादा पार्टीबाजी है, पालिटिक्स है। लड़के पढ़ते कम हैं, पालिटिक्स ज्यादा है। मास्टर भी पालिटिक्स में हैं। वे यह समझे हुए हैं कि उनका तबादला कहीं दूसरी जगह हो नहीं सकता है और न कहीं होगा इसलिये उनको कोई भय भी नहीं है। प्रबन्धक समिति के मैनेजर्स भी और कुछ सदस्य भी भिन्न-भिन्न पार्टियों के हैं और इस वजह से और भी ज्यादा हर विद्यालय में पार्टीबाजी बढ़ती जा रही है और कई-कई विद्यालय तो ऐसे हैं कि जहां दूषित वातावरण हो रहा है। मैनेजर और प्रिंसिपल मिले हुए हैं। जो सरकारी रुपया मिलता है उसका वे दुरुपयोग कर रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण एक-दम न हो सके तो कम से कम जो वहां के प्रधानाध्यापक या सीनियर टीचर्स हैं जिनको बहुत वर्ष एक स्कूल में हो गये हैं उनका स्थानान्तरण दूसरी जगह होना चाहिये। इस तरह से मैं समझता हूं कि कुछ प्राविधान बनाना आवश्यक है और जब तक यह नहीं होगा तब तक शिक्षा का स्तर गिरता जायेगा और दिक्कतें बढ़ जायेंगी। श्रीमन्, डिग्री कालेजेज तो बहुत कम हैं और खास कर पहाड़ी जिलों में डिग्री कालेजेज का बहुत अभाव है। अभी हाल में जब श्री सी० बी० गुप्ता जी मुख्य मंत्री, हिल बोर्ड की मीटिंग में मंसूरी पधारे थे, सदस्यों ने उनसे परामर्श किया। वहां वित्त मंत्री भी थे, राज्य शिक्षा मंत्री भी थे और कई महानुभाव आज मंत्री है, मिनिस्ट्री में हैं, सब लोग वहां पर थे। यह तय हुआ था कि वे अपने- .पने जिलों का कुछ लक्ष्य बनायें और अपने जिले में जिसका प्रायोरिटी देना चाहते हैं उस तरह से अपने जिलों की योजनायें बनाये।

हमने, गढ़वाल जिले वालों ने, योजना इस तरह से बनाई थी कि हमको सबसे पहले तीन डिग्री कालेजेज दे दिये जायं। एक कोटद्वार, दूसरा पौड़ी और तीसरा एकेश्वर क्षेत्र रूरल एरिया के सेन्टर में, देहात में, दिया जाय। जब मंसूरी में हिल बोर्ड के मातहत गढ़वाल की सब कमेटी कमिश्नर श्री सिंघा साहब की अध्यक्षता में हुई थी, तब मुख्य मंत्री जी ने हिल बोर्ड में ऐलान किया कि जो योजनायें कमेटियों द्वारा रक्खी गई हैं वे स्वीकृत की गई हैं। लेकिन आज मैं बड़े दुख से कहता हूं कि बजट में एक भी कालेज अभी तक गढ़वाल जिले को नहीं दिया गया है। हालांकि इस संबंध में बहुत कुछ परामर्श किया गया। लेकिन गढ़वाल जिले के लिये यह बहुत ज्यादती हुई है। वहां के लोगों को बड़ी निराशा है। अभी हाल ही में मैं जब कोटद्वार गया था तो सब जगह इसी बात की चर्चा थी कि एक बार एक माननीय मुख्य मंत्री जब शिलान्यास तक कर गये, डिग्री कालेज खोलने का वायदा कर गये, तो वह पूरा क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें। जब एक माननीय मुख्य मंत्री उसके लिये तय कर चुके हैं तो इस मामले पर आपको अवश्य गौर करना चाहिये।

यूनिवर्सिटी के बारे में बातें बहुत अर्से से चल रही हैं। बजट में एक लाख रुपया उत्तराखंड के नाम से रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिवर्सिटी अवश्य बननी चाहिये। इसके लिये जो कमीशन माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनाया था, जिसने दौरा करके सब जगहें देखी भी थीं, उसकी रिपोर्ट अभी तक खुलासा नहीं बतलायी गयी है कि उसके बारे में क्या तय हुआ है। वह कहां पर होगी, किस तरह से चलेगी, इस मामले में शीघ्र ही कुछ निश्चय किया जाय। केवल उत्तराखंड का नाम रखने से ही यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। हिल बोर्ड की मीटिंग, इस सदन की बैठकें समाप्त होने पर, तुरन्त बुलाई जाय और इस मसले को तय किया जाय क्योंकि लोगों में बड़ी निराशा फैल रही है। गढ़वाल जिले में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। न कोई डिग्री कालिज ही खुला, न कोई उद्योग धन्धे ही खुले, न कोई जलाशय बना। हमारे यहां से लाखों मन लीसा दूसरी जगह जाता है, कलेक्टर-बकगंज को दिया जाता है, लेकिन गढ़वाल जिले के जो लैंडलेस क्लास के लोग हैं जिनको लीसा दिया जाना चाहिये था जिससे कि वहां उनकी कुछ समस्यायें हल हो सकती थीं, उनको नहीं दिया जाता है। इसके लिये फारेस्ट डिपार्टमेंट से भी निवेदन किया गया, लेकिन कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाय।

[श्री मेहरबान सिंह]

मैचिंग ग्रान्टस के बारे में जायसवाल साहब ने कहा कि उसको खत्म कर दिया जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने यह कहा था कि जो उसके साथ शर्त है वह हटा दी जाय ।

श्री मेहरबान सिंह—

यह शर्त रहती है कि १० हजार रुपये की ग्रान्ट अगर सरकार दे तो उतना ही धन स्कूल खुद लगाये । पहाड़ी क्षेत्रों में वहां स्कूलों की हालत इ तनी अच्छी नहीं है, वहां पर इतने धनाढ्य लोग भी नहीं रहते हैं, वहां पर कोई फैक्टरी भी नहीं है, कोई शुगर फैक्टरी भी नहीं, इसलिये उनके लिये इतना रुपया लगाना मुश्किल है । अगर रखना ही है तो यह कर दिया जाय कि उनकी रकम को कम करके २–४ हजार ही कर दिया जाय । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस शर्त को हटा दिया जाय ।

जूनियर हाई स्कूलों की बिल्डिग बनाने के लिये १५ हजार रुपये की ग्रान्ट हिमालय से लेकर नीचे इलाहाबाद, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्स आदि सभी को एक ही पैमाने से नापा गया है । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि क्या उतने ही रुपयों से बिल्डिंग्स गोरखपुर में बन सकती है, लखनऊ में बन सकती है और हिमालय की तलहटी में भी बन सकती है ?

एक और खास बात मैं कहना चाहता हूं , जो पिछली बार भी निवेदन किया था । बहुत से प्राइमरी स्कूल ऐसे रखे गये हैं कि बालक और बालिकाओं के लिये एक ही जगह दो प्राइमरी स्कूल हैं । दो प्राइमरी स्कूलों के बजाय एक ही रखा जाय जिसमें बालक व बालिकायें दोनों पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा । यह मिश्रित स्कूल कहलाता है । इससे सरकार का भी लाभ होगा और जनता का भी लाभ होगा । इस तरह से वहां पर के दूसरे स्कूल को दूसरी जगह दिया जा सकता है, इससे सरकार का खर्च कम होगा और वहां का सुधार होगा । यह मौका अच्छा है, इस समय स्कूल शिफ्ट हो सकते हैं । इससे गांववालों का और दूसरों का भी फायदा होगा ।

श्रीमन्, एक निवेदन मुझे और करना है । यूनिवर्सिटी में एम० एस-सी० में होम साइंस हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पढ़ाई जाती है । अगर एम० एस–सी० क्लासेज में होम साइंस खोल दी जाय तो बहुत सी लड़कियां वहां पर एम० एस-सी० कर सकती हैं । आज कल जो अध्यापिकायें देश में होम साइंस पढ़ाने आती हैं, वे देहली या अन्य दूसरी जगहों से आती हैं । नतीजा यह है कि हमारे यहां की लड़कियों को होम साइंस नहीं मिलती.और वे यहां पर लेक्चरार आदि नहीं बन पाती हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटी में एम० एस-सी० तक होम साइंस भी खोल दिया जाय ।

अन्त में मैं निवेदन करुंगा कि जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीयकरण हो जाय तो बहुत सी समस्यायें सुलझ जायेंगी । श्रीमन्, बजाय चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के मैं तो निवेदन करूंगा कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

श्री फिरंगीप्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा विभाग के अनुदान के समर्थन में, आपने जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं । मान्यवर, शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया है । यह पशु पक्षी, कीट पतंग सभी में देखने को मिलती है । लेकिन मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, जो अन्य जानवरों, जीवों से बहुत आगे बढ़ा हुआ है । हमारी शिक्षा के कई पहलू हैं । प्रथम पहलू में प्राथमिक शिक्षा आती है । इसमें हम देखते हैं कि हमारे समाज के छोटे-छोटे बच्चे विद्यालयों में जाते है तो वहां पर बहुत सी अव्यवस्था मिलती है । वहां उनके बैठने के लिये न समुचित व्यवस्था है, न अध्यापन कार्य करने वाले के लिये अर्थात् अध्यापकों के लिये कोई सुख सुविधा की व्यवस्था है ।

हमारे गोरखपुर जिले में, जैसी अव्यवस्था है जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसी ही अव्यवस्था अधिकांश जगहों पर होगी। जहां पर विद्यार्थियों को बैठने के लिये न तो टाट मिलता है और न छाया मिलती है जिससे बरसात में उनको बार-बार भागते रहना पड़ता है। इस तरह से वर्ष का अधिकांश समय और खास कर बरसात का समय उनका बर्बाद हो जाता है। यह उनके लिये अभिशाप बना हुआ है। तो मैं सरकार से निबेदन करूंगा कि इस ओर सरकार ध्यान दे। प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों और बच्चों के पढ़ाने पढ़ने की समुचित व्यवस्था हो सके। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सरकार विद्यालय बनवाने के लिये जो रकमें देती है उनका सदुपयोग नहीं हो पाता। जिला परिषदों के हमेशा से वही कंट्रैक्टर चले आते हैं। उन्हीं को मकान बनवाने आदि का ठेका मिलता है। मुझे मालूम है, सरार, गोरखपुर में प्राइमरी पाठशाला की दीवार बन रही थी। वहां की जनता ने इल्जाम लगाया कि सोयम ईटें लगायी जा रही हैं। कंट्रैक्टर ने वहीं काम बन्द कर दिया और उस विद्यालय में नींव तक ईंटा पड़ कर रह गया। इसी तरह की घटनायें अनेक जगह प्रदेश में विद्यालयों में होंगी।

विद्यालयों में जब बच्चे जाते है तो उनके लिये लैटरिन हाउस आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती। इसी लिये किसी तालाब, पोखरें के किनारे चले जाते हैं, और कभी-कभी वह अपनी जान भी खो देते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि ऐसे विद्यालयों में दो एक लैटरिन हाउस साधारण किस्म के ही बनवा दिये जायं ताकि देश के भावी नागरिकों की जिन्दगी इस तरह से न समाप्त हो।

(इस समय २ बज कर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए।)

इसके बाद मैं जूनियर हाई स्कूलों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह भी स्कूल बोर्ड के हैं। इनके भी वही गिने-गिनाये कंट्रेक्टर्स हैं। वहां साजसज्जा ठीक न होने के कारण दुर्व्यवस्था फैली हुई है। वहां के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षाफल, चूंकि वहां के कुछ लोकल अध्यापक अपने सम्पर्क में आने वाले विद्यार्थियों को वरीयता दे देते है इसलिये परीक्षाफल कुछ कमजोर हो जाता है।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, ये विद्यालय सरकारी एवं अर्द्धसरकारी होते हैं। कुछ को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है जिसका बहुत दुरुपयोग होता है। इन विद्यालयों का एक व्यवस्थापक होता है। वह प्रधानाचार्य को मिला कर उस रकम को अपनी जेब में डाल लेता है और गलत ढंग से एंट्री कर दी जाती है। प्रदेश में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां सितम्बर तक जा कर फीस माफी होती है। माफ फीस पर विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं, कि फीस वापस कर दी गयी लेकिन इसके पीछे होता क्या है? केवल हस्ताक्षर करवा कर, पैसा उनके घर चला जाता है। उन गरीब विद्यार्थियों की फीस जो माफ की जाती है उनको नहीं मिल पाती है। इस तरह की गई गड़बड़ियां विद्यालयों में होती हैं। परीक्षा के लिये जब जाते हैं तो स्थान की कोई ठीक व्यवस्था नहीं होती है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा परीक्षा में जानमाल का खतरा हो जाता है। इसके साथ-साथ मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अध्यापकों की कुछ कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यापकों के बच्चे अगर उसी स्कूल में पढ़ते हैं तब तो उनके बच्चों की फीस माफ हो जाती है अन्यथा अगर दूर पढ़ते है तो नहीं होती। उनको अपने घर से पैसा देना पड़ता है। राज्य और केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिये कुछ रकम सरकार की ओर से मिल जाती है। लेकिन उनके, बच्चे गैर सरकारी विद्यालय होने के नाते कुछ भी सुविधा नहीं पा पाते। अगर वहां पर भी ऐसी व्यवस्था हो जाती तो ऐसे अध्यापकों को काफी राहत मिल जाती।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

इसके साथ परीक्षा के कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर इंविजिलेटर्स को सन् १९६६ का पारिश्रमिक अभी तक नहीं मिला है। गोरखपुर में कौड़ीराम विद्यालय है जहां पर अध्यापकों को इंविजिलेशन का पारिश्रमिक अभी तक नहीं मिला और उस ओर मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस पारिश्रमिक का अविलम्ब भुगतान कराया जाय। मैं भी सन् ६६ में उस विद्यालय में इंविजिलेशन ड्यूटी पर था।

विद्यालयों की मैनेजिंग कमेटी की दुर्व्यवस्था के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो अध्यापकों को मिला लेते हैं और फिर स्कूल को राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं जिससे उस विद्यालय के छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं जिस स्कूल का अध्यापक हूं वहां एक प्रधानाचार्य हैं जिनकी व्यक्तिगत राजनीतिक के कारण उस क्षेत्र के बच्चे परेशान हैं। प्रति वर्ष वहां मैनेजिंग कमेटी बदल दी जाती है और ऐसा इसलिये वह प्रधानाचार्य करते हैं कि पहली कमेटी जब उनके गलत कार्यों का निरीक्षण करती है तो वह प्रयत्न करके दूसरी कमेटी का निर्माण करा लेते हैं। इस प्रकार कई कमेटियों का निर्माण वहां हो चुका है और इसी संदर्भ में मैं उस स्कूल की व्यवस्था के बारे में वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से मिला था और उसके अनुदान के सिलसिले में मैंने निवेदन किया था। किन्तु खेद की बात है कि उस विद्यालय का कोर्ट केस चल रहा है। ऐसे विद्यालय गंदे व्यक्तियों की राजनीति के कारण बुरी तरफ सफर करते हैं, उससे उस क्षेत्र की जनता परेशान होती है तो ऐसे विद्यालयों को बरबाद होने से यह सरकार बचाये।

मैं और भी बातें वहां के सम्बन्ध में जानता हूं। वहां पर बच्चों की ड्रेस के लिये १०, १५ रु० ले लिये लेकिन आजतक कुछ बच्चों को न ड्रेस दिया गया और न उनका पैसा ही वापस किया गया। मैं देखता हूं कि इस विद्यालय में अनेक अनियमितायें विद्यमान हैं। साथ ही जब विद्यालयों को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है तो मैं समाज के एक उपेक्षित वर्ग की बात भी बतला देना चाहाता हूं कि शेड्यूलकास्ट के भी कुछ एसे लोग होते हैं जो गैर सरकारी विद्यालयों में जातिवाद के कारण शिक्षण में प्रवेश नहीं पा पाते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे वर्ग के जो योग्य तथा अनुभवी अध्यापक इन विद्यालयों के इंटरव्यू में जायें तो उनको भी एक दो स्थान अवश्य दिये जायं।

मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां एम० एड० की कक्षा में शेड्यूल कास्ट का आज तक कोई अध्यापक छात्र नहीं लिया गया। पिछले वर्ष जब हम लोगों ने उसी विश्वविद्यालय के लड़कों के लिये प्रयास किया तो उसका प्रवेश नहीं हो सका था जबकि वह नियम के अन्तर्गत आ रहा था। वह एम० ए० सैकिंड क्लास पास था और उसी विषय में बी० ए० तक पढ़ा था। उसका नम्बर आ जाना चाहिये था लेकिन उसका प्रवेश नहीं हो सका। तो मैं चाहूंगा इस वर्ष एक दो स्थान ऐसे वर्ग के लिये निश्चित किये जायं ताकि ऐसे लोगों का भविष्य आगे के लिये उज्जवल हो सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि समाज में सरकार का यह सिद्धान्त है कि समाजिक स्तर पूरे एक स्तर पर हो। मान्यवर, हम देखते हैं कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे मांटेसरी विद्यालयों में पढ़ने के लिये जाते हैं। ऐसे विद्यालयों में उन्हीं के लड़के जाते हैं जिनकी कि आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मध्यम वर्ग तथा नीचे के वर्ग के विद्यार्थियों को कुछ सुविधायें नहीं होती हैं। उनके बच्चों को पढ़ने का अच्छा वातावरण मिल जाता है और सुविधायें भी अच्छी मिल जाती हैं। इस सम्बन्ध में मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे माध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों को भी सरकार की ओर से सहायता देकर उनको भी ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिलावें अथवा उन्हें स्वयं पैसा देकर उनकी शिक्षा दीक्षा करावें।

मैं एक अनियमितता की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो स्कूलों में वजीफे या पुस्तकीय सहायता विद्यार्थियों को दी जाती है वह विद्यालयों के प्रधानयचार्य को ही मिलती

है। वे उसकी रसीद भी नहीं देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों के वजीफे वगैरह जो होते हैं उनको विद्यालयों में विद्यार्थियों के पास न देकर सीधे उनके घर के स्थायी पते पर भेजे जायं। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया अतः मैं शिक्षा अनुदान का समर्थन करते हुये आपको बधाई देता हूं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, आज यहां पर मंत्री महोदय ने शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक तो मुझे बजट के बारे में यह कहना था कि उसमें उन्होंने कटौती की है परन्तु अभी उनका भाषण सुनकर फिर कहना पड़ता है कि उसमें उन्होंने मितव्ययिता को देखते हुये कटौती की है।

मान्यवर, शिक्षा के दो पहलू होते हैं। एक तो यह कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? उसकी प्राप्ति के लिये क्या कार्यक्रम रखे गये हैं? समाज में राष्ट्रीय भावना पैदा की जाय। इस उद्देश्य को देखते हुये शिक्षा में जो प्रगति हुई, मैं समझता हूं कि यह विभाग की तरफ प्रगति पुस्तिका से एक बकवास है। ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं है। दूसरी तरफ जब हम शिक्षा की व्यवहारिकता को देखते हैं तो उसमें ३ लोगों का सम्बन्ध विशेष रूप से होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक। तो उस दृष्टि से जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनको हल करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है? कितनी समस्यायें हल की गई हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सांख्यिकीय विभाग में आंकड़ों का काम होता है उसी प्रकार से इस विभाग ने भी किया है। दफ्तर या घर में बैठ कर आंकड़े तैयार किये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा की प्रगति पर जो पुस्तिका लिखी गई है उस पर जांच हो और देखें कि किस जगह पर कितना काम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि आपको एक प्रकार के फरजी आंकड़े दिखाई देंगे। मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग, जैसा मैंने बताया, मंत्री महोदय ने कटौती की है उसको देखते हुये मैं कह सकता हूं कि अभी तक केन्द्रीय सरकार का रवैया और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का रवैया एक ही है।

शिक्षा एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। यह एक ऐसा विषय है जिससे देश और प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकता है किन्तु हमारा शिक्षा विभाग सो रहा है। कम से कम इस सरकार की निन्दा इस बात के लिये करने को तैयार हूं कि बजट बनाने में जहां और विभागों के लिये वृद्धि की जा सकती है वहां हमारे इस शिक्षा विभाग में वृद्धि न होकर कटौती की गयी है और वह यह है कि बिक्री कर विभाग के बजट में २.५९ लाख की वृद्धि की गयी है। इसी तरह से राज्य विकास में १९ लाख की, समाज प्रशासन में १२.९४ लाख, पशुपालन जैसे विभाग मे २४.४५ लाख की वृद्धि की गयी है। उद्योग विभाग में ३,१२,७७,००० रु०, सूचना जैसे विभाग में १९ लाख, इसी प्रकार से राजस्व विभाग में २ करोड़ ३१ लाख, सिचाई में १ करोड़ ७९ लाख, सार्वजनिक निर्माण विभाग में ३ करोड़ ५ लाख, इसी प्रकार से अनेक विभागों के बजट में जहां वृद्धि की गयी है वहां हमारे शिक्षा विभाग की यह हालत है।

गत वर्ष शिक्षा विभाग का बजट ७९,३९,०८,००० रु० का था जब कि इस वर्ष सरकार ने उस बजट में ४,४६,२६,००० रु० घटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किसकी अकुशलता है, किसकी अयोग्यता है, यह मंत्री महोदय की अयोग्यता है या किसी अधिकारी की अयोग्यता है? क्या पिछले साल विभाग द्वारा ७९ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया जा सका जो इस वर्ष ४ करोड़ घटा कर वह बजट ७४ करोड़ रुपये का कर दिया गया? इसका क्या मतलब है? एक तरह से सरकार के अधिकारियों ने शिक्षा की उपेक्षा की है। चूंकि मंत्री महोदय, अपन मंत्रिमंडल से शिक्षा विभाग के लिये और अधिक रुपया नहीं ले सके हैं इसलिये मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग के साथ उन्होंने न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जो कि उनको करना चाहिय था।

[श्री मोहनलाल कपूर]

बहुत सी गैर सरकारी संस्थायें ऐसी हैं जो सरकारी अनुदानों के ऊपर ही चलती हैं । उनके लिये ९६ लाख ७६ हजार का पहले अनुदान था लेकिन उसे घटा कर ६५ लाख रुपया कर दिया गया है । इसी प्रकार से प्राथमिक पाठशालाओं के लिये सब से अधिक रुपया खर्च होना चाहिये परन्तु उसमें भी ३,७९,६२,००० रु० की कमी कर दी गयी है । मैं समझता हूं कि इस विभाग के साथ इस सरकार के समस्त मंत्रिमंडल ने बहुत बड़ा अन्याय किया है और इसलिये उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, इस बजट का जितना भी घोर विरोध किया जाय वह किया जाना चाहिये । शिक्षा विभाग के बजट में कटौती करके एक तरह से आपने उन बच्चों के चरित्र को गिराने का काम, उनकी शिक्षा के स्तर को गिराने का काम किया है । मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

आप इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह सरकार बुद्धि में ही कटौती कर रही है , फिर इससे क्या आशा की जा सकती है ।

श्री मोहनलाल कपूर---

जायसवालजी ने जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और यहां तो यह सरकार ४ करोड़ रुपये की कटौती कर रही है जिसका मुझे विरोध करना पड़ रहा है । माध्यमिक शिक्षा की भी कुछ समस्यायें हैं जिनके संबंध में इन बड़े-बड़े पोथों में कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है । सबसे बड़ी समस्या समय पर अध्यापकों को वेतन दिलाने की है । मैंने एक प्रश्न किया तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि मेरठ में ८१ विद्यालय ऐसे हैं जहां ६ महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है । हजारों की संख्या में प्रदेश के अन्दर ऐसे विद्यालय हैं जहां समय पर अध्यापकों को व कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है । उनको तनख्वाह दिलाने के लिये तो माननीय मंत्री महोदय ने कोई प्रयत्न नहीं किया लेकिन बजट में ४ करोड़ रुपये की कटौती कर दी । उनको समय पर नियमित रूप से वेतन बंट जाया करे इसका कोई प्रबन्ध उनकी तरफ से नहीं किया जा सका है ।

सन् ६७ से ही माध्यमिक शिक्षक संघ की यह मांग रही है कि सरकारी कोषागार से शिक्षकों को वेतन दिलाने का प्रबन्ध सरकार कर दे परन्तु अभी तक इस मांग को पूरा करने का कोई प्रबन्ध मंत्री महोदय ने नहीं किया है । इसके अलावा और भी बहुत सी अनियमिततायें अनुदान बांटने में इलाहाबाद में बैठ कर भी होती हैं । शिक्षकों के लिये जो भविष्य निधि है उसमें कुछ सरकार देती है और कुछ प्रबन्धक भी देते हैं लेकिन देखने में आया है कि बहुत सी जगहों पर प्रबन्धक उतना रुपया जमा नहीं करते जितना कि उनको करना चाहिये । और इस तरह से जो भविष्य निधि इसमें करने की बात है ,वह भी पूरी की जाय । इन सब बातों की ओर शिक्षा मंत्री जी और उनके विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। यह बात संविद सरकार ने तय कर दी थी और गुप्ता जी ने भी लगभग इसको तय कर दिया था, फिर इसको लागू करने मे आपको क्या हानि है ? ४ करोड़ रुपया तो आप कम कर देते हैं लेकिन अध्यापकों के लगातार वेतन मिले इसके लिये आप कोई प्रयत्न नहीं करते ।

४ फरवरी, ६९ को राज कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता दिया गया था उसके बारे में भी संविद सरकार ने यह तय किया था, समान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धान्त तय किया था फिर आप अध्यापकों के साथ यह दुर्व्यहार क्यों कर रहे हैं , उनके साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है और जो मंहगाई भत्ता उनको मिलना चाहिये, वह क्यों नहीं मिल रहा है ? समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार आप उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाने की कृपा करें और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को जो महंगाई भत्ता दिया गया है वह उनको भी देने की कृपा करें ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् जो काम करती है उनमें सबसे प्रमुख कार्य परीक्षा का है। दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। १९५६ में हाई स्कूल में बैठने वाले लड़कों की संख्या १,६७,५४९ थी और लड़कियों की संख्या १६,४८८ थी, १९६१ में वह २,१५,२५२ लड़कों की और २२,६२० लड़कियों की हो गयी। १९६६ में लड़कों की संख्या ३,१४,५७८ और लड़कियों की संख्या ४१,८२६ हो गयी, १९६८ में लड़कों की संख्या ३,५९,०२२ और लड़कियों की संख्या ६०,८०९ थी, और १९६९ में लड़कों की संख्या हो गयी ४,०५,८५६ और लड़कियों की संख्या ६८,१७० हो गयी। इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या बराबर बढ़ती गई। उसके हिसाब से फीस भी बढ़ा दी गयी लेकिन गरीब अध्यापकों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार से वहां जो क्लर्क काम करते हैं उनके रेम्युनरेशन में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। परीक्षा का जो शुल्क लिया जाता है उसमें वृद्धि हुई है लेकिन अध्यापकों को कापी देखने की फीस में वृद्धि नहीं हुई। इसके लिये विद्यार्थियों से जो रुपया वसूल किया जाता है वह अध्यापकों को दिया जाना चाहिये।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इन परीक्षाओं का बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप होता जा रहा है। निश्चित रूप से उसका कोई प्रबन्ध होना चाहिये। उसका विकेन्द्रीयकरण किया जा सकता है। मेरी तो अपनी राय यह है कि हाई स्कूल परीक्षा को समाप्त किया जा सकता है। अगर हाई स्कूल परीक्षा समाप्त नहीं की जा सकती है तो उसको मंडल स्तर पर विकेन्द्रित किया जा सकता है।

दूसरी बात मान्यता के संबंध में है। मान्यता के लिये बहुत ज्यादा प्रार्थना-पत्र आते हैं, उन पर जो विचार किया जाता है उसमें भी बड़ी गड़बड़ होती है। उनमें जो शर्तें लगाई जाती हैं उससे बहुत से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। मैं समझता हूं कि विद्यालयों की पात्रता और उस स्थान विशेष के विकास को दृष्टि में रखकर मान्यताएं प्रदान की जानी चाहिये। उस स्थान की आवश्यकताओं को भी देखना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि किसी एक चीज को पकड़ कर बैठ गए और कह दिया कि मान्यता नहीं मिलेगी। जब सरकार स्वयं स्कूल नहीं खोलती है तो जनता में जो उत्साह से स्कूल खोलना चाहते हैं उनको मान्यता न देने का कारण क्या है। अगर विकेन्द्रीयकरण किया जाय तो मान्यता भी मण्डल के अनुसार ही प्रदान की जा सकती है।

प्रमाण-पत्रों के बारे में मुझे यह कहना है कि २-२, ३-३ साल हो जाते हैं लेकिन हाई स्कूल और इन्टर के प्रमाण-पत्र नहीं मिलते हैं। अनेक बच्चे ऐसे हैं जो सैनिक स्कूलों में दाखिल होना चाहते हैं तथा अन्य औद्योगिक कम्पटीशन्स में जाना चाहते हैं, वे मूल प्रमाण-पत्र चाहते हैं, जिनके अभाव में जो स्थान उनको मिलना चाहये वह उनको नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस प्रकार का प्रबन्ध करें कि अधिक से अधिक ६ महीने में बच्चों को प्रमाण-पत्र मिल जाया करें। यहां पर लिखा हुआ है कि जे० टी० सी० के जो अध्यापक हैं और जिनको ५ साल का अनुभव है उनकी नियुक्ति सीधे सी० टी० ग्रेड में हो जायेगी।

अधिष्ठाता महोदय, आप जरा मंत्री महोदय से प्रार्थना करें कि हमारी बात सुनें। पहले उन्होंने कहा था कि मैं आश्वासन देता हूं कि सुनूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

वह सुन रहे हैं।

श्री मोहनलाल कपूर--

नहीं सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मंत्री जी जरा सुनें। इसमें यह है कि जिनको ५ साल का अनुभव है उनकी सीधे सी० टी० ग्रेड में नियुक्ति कर रहे हैं लकिन जिनको ५ साल से अधिक अनुभव हो गया है उनको वह ग्रेड नहीं दे रहे हैं। कृपया आप उनको सी० टी० ग्रेड दें।

]श्री मोहनलाल कपूर]

इसके अलावा आपने सी० टी० और जे० टी० सी० प्रशिक्षण बन्द कर दिया लेकिन बी० टी० सी० प्रशिक्षण को न तो आप ग्रेड देते हैं और न उसका अनुमोदन करते हैं। इस तरह से बी० टी० सी० का प्रशिक्षण बिलकुल बेकार हो रहा है। दूसरे बी० टी० सी० में जो नामांकन होता है वह बन्द कर देना चाहिये और योग्यता के आधार पर प्रवेश होना चाहिये।

इसके अलावा २०० रुपये तक पाने वाले अध्यापकों के बच्चों की ही आप फीस माफी करते हैं। अब यह सीमा बढ़ा देनी चाहिये और सभी अध्यापकों के बच्चों को फीस माफी दी जानी चाहिये।

आपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अभी तक वेतनमान नहीं बढ़ाया। उसको बढ़ाना चाहिये। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, पहले आपने २०-२० मिनट दिये लेकिन मेरे लिये १० मिनट पर ही लाल बत्ती जला दी गई।

श्री अधिष्ठाता—

आपके १५ मिनट हो गये हैं।

श्री मोहनलाल कपूर—

कृपया ५ मिनट और दे दीजिये। हाई स्कूल के साथ चलने वाली प्राइमरी कक्षाओं को आपने कोई मान्यता नहीं दी है। जो प्राइमरी कक्षाएं हाई स्कूल के साथ चलने वाली हों उनकी मान्यता प्रदान करने की कृपा करें। प्राइमरी बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये क्योंकि प्राइमरी शिक्षा में न तो वहां पर सामग्री है पढ़ाने की, अध्यापकों की वेतन नहीं मिलता है, भवन जर्जर हैं और प्राइमरी शिक्षा में कितनी ही धांधलियां हो रही है। कोई एक कमरे में स्कूल लेकर बैठ जाता है, कोई १०-१०, २०-२० स्कूल चलाता है। इसमें कोई नियम नहीं है। मंत्री महोदय बहुत उत्साही हैं, बहुत जोशीले हैं और कुछ करना चाहते हैं इसलिये वह कृपा करके ऐसा करें जिससे जो प्रथम सोपान है वह अच्छी प्रकार से अपने प्रदेश में प्रफुल्लित हो सके।

सबसे बड़ी अजीब बात राजकीय विद्यालयों के बारे में है। वह सीधे राज्य के आधार पर चलते हैं। परन्तु आपको ताज्जुब होगा कि उनमें अभी तक सेवा नियम नहीं है। इसका उदाहरण जी० डी० निगम वर्सेज राज्य, १९६८ का केस है। उसमें खुद राज्य के सरकार के मेंबर ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया कि हमारे पास कोई नियम नहीं है। जिसको जी में आता है तरक्की दे दी जाती है। जिसको जी में आताहै, रख लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिये भी सेवा नियम बनें। दूसरे उनमें कोई ज्येष्ठता नहीं है, कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। इसमें बड़ी धाँधलियां चलती हैं। आप ज्येष्ठता के अनुसार एक लिस्ट बनाएं और सारे प्रदेश में उसे प्रकाशित कराएं जिससे उनको पता लगे कि उनके भविष्य में क्या है। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों के अध्यापक काम करते हैं परन्तु बाहर से किन्हीं भी आधारों पर अस्थाई नियुक्तियां कर दी जाती हैं। अगर एम० ए० पास, एल० टी० पास राजकीय अध्यापक हैं तो क्या जरूरत है कि बी० ए० बी० टी० को रखा जाय और एम० ए० वाल को न लें ?

श्री अधिष्ठाता—

कृपया दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री मोहनलाल कपूर—

उप-निरीक्षक और प्रति-उप निरीक्षक इनको जूनियर हाई स्कूल और नार्मल हाई स्कूल में हेडमास्टर बना दिया जाता है पर अध्यापक ऐसे ही रह जाते हैं। उनका तो कैडर अलग है वह एस० डी० आई० और डी० आई० एस० हो सकते हैं लेकिन प्राध्यापक को प्रधानाचार्य बनने का ही अवसर रहता है तो वह तो उनको मिलना ही चाहिये।

एक बात मुझे यह कहनी है कि सरकार ने एक बहुत ही हलचल मचाने वाला कदम उठाया है कि प्रदेश में एक तो प्रोफेसर्स काम करते हैं, राजकीय डिग्री कालेजों में और जो विभागीय अधिकारी हैं वे काम करते हैं। एक राजाज्ञा इस प्रकार की दी गई है कि उन सबको पदावनति कर दिया जायगा और प्रोफेसर्स को उनकी जगह लिया जायगा। पर यह कैडर प्रोफेसर्स का अलग है। प्रोफेसर्स को अगर फिर इस डिपार्टमेंट में लेंगे तो यह उचित नहीं है, यह अधिनायक वाद है कि एक ही रात में पेन से लिखकर २०–२० साल की सर्विसेज पर कुठाराघात कर दिया गया। इस पर आप फिर से सोचें और गंभीरता का यह विषय है। पचासों डी० आई० ओ० एस०, डी० आई० बन जायेंगे और डी० आई०, एस० डी० आई० बन जायेंगे।

मैं अंतिम बात विश्वविद्यालय की कह कर खत्म करता हूं। गोरखपुर के विश्वविद्यालय में मान्यता देने में और परीक्षाओं में बड़ी अनियमितता है, आप जांच कराएं। मैं मेरठ का हूं, मेरठ के लिये कहना चाहता हूं कि वहां सिमस्टर सिस्टर लागू है, परन्तु उस परीक्षा में बड़ी घोटालाबाजी और अनियमितता यह है कि कोई लड़का बी० एस० सी० पास कर लेता है पर उसे पता नहीं है कि उसने पास कर ली और उसे प्रमाण-पत्र मिल जाता है और फिर फल हो जाता है। किसी को अनुमति मिलती है कि तुम परीक्षा में बैठ सकते हो और फिर जब बैठने जाता है तो उसको पता लगता है कि उसको बैठना नहीं है ....

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मोहनलाल कपूर---

तो वहां से उलटे-सीधे आदेश निकलते रहते हैं। आप जांच करा लें। वह पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पूरा मौका दिया और मैं श्री अनन्त राम जायसवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय....

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)---

हमें भी मौका मिलना चाहिये....

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिए, आपको भी अवसर मिलेगा ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अधिष्ठाता महोदय, जब तक शिक्षा प्रणाली में मौलिक रूप से परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश और प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। क्योंक शिक्षा का उद्देश्य केवल आज भारतवर्ष में डिग्रियां लेना ही रह गया है। फ्रांस के महान् सेनापति नेपोलियन जब अपने देश में विद्यार्थियों से पूछते थे कि आपका क्या उद्देश्य है तो वह उत्तर देते थे कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने देश की सेवा करने के लिये अच्छे चरित्रवान बनें और हमको ऐसी बुद्धि मिलनी चाहिये हम कि साहस हमारे अन्दर आए और हम देश के लिये अपने प्राण तक न्योछावर कर दें। उसके विपरीत भारतवर्ष की शिक्षा का उद्देश्य आई० सी० एस० और पी० सी० एस० बनना ही रह गया है। तो यह तभी संभव हो सकता है जबकि हमारे देश के अन्दर शिक्षा का जो लक्ष्य

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

है वह समाजीकरण की तरफ रहे । जब तक हम सामाजिक शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे और नैतिकता को महत्व नहीं देंगे तब तक हमारी शिक्षा का विकास नहीं हो सकता । उसका मुख्य कारण यह है कि संसार के प्रत्येक देश में शिक्षा का प्लानिंग किया जाता है . . .

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जिस स्कूल में उन्होंने नाम लिखाया है उसमें उनको नैतिकता की अच्छी शिक्षा मिल गई होगी ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

आप खोल लीजिये, मैं उसमें शिक्षा ले लूंगा ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बता रहा था कि भारतवर्ष ही केवल एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षा के लिये कोई प्लानिंग नहीं है और प्लानिंग न होने के कारण हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है। उसको यह सरकार क्या, कोई सरकार दूर नहीं कर सकती जब तक इस देश म शिक्षा का प्लानिंग नहीं होगा ।

क्योंकि किस विभाग में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, कहां पर टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है, इस चीज को जबतक हमारे देश के आगे एक ढांचा नहीं होगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है । यह तभी संभव हो सकता है जब प्राइमरी एजुकेशन में मूलभूत परिवर्तन हो क्योंकि आज स्कूलों में शिक्षा जनसाधारण दे रहे हैं । जो शिक्षक हैं वह इस स्थिति में नहीं हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें या उनका चरित्र ऊंचा हो सके । इसका मुख्य कारण यह है कि जो शिक्षकों को वेतन मिलता है वह इतना नहीं मिलता है जिससे वे अपने परिवार का पालन कर सकें । यह तभी हो सकता है जब हम उनको अच्छी तनख्वाह दें और प्राइमरी स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री के साथ जोड़ सकें । बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर में इस प्रकार किया गया और उसमें काफी सफलता मिल रही है । वहां एक प्राइमरी स्कूल को हायर सेकेन्ड्री के साथ जोड़ दिया गया है । उसका नियन्त्रण प्रिंसिपल के हाथ में है । इसका प्रभाव वहां के बच्चों पर इतना पड़ रहा है कि वे समझतेहैं कि हायर सैकेन्ड्री स्कूलों के सम्पर्क में रहने से ही किसी प्रकार का विकास हो सकता है और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक भी इस बात को महसूस करते हैं कि जब हम उच्च शिक्षा देने वालों के सम्पर्क में रहेंगे, हम उनको देखेंगे कि वे किस ढंग से पढ़ाते हैं, तभी उफलता प्राप्त हो सकती है ।

दूसरी बात यह है कि स्कूलों में आज जो शिक्षा दी जाती है वह वातावरण के अनुसार नहीं दी जाती है । यदि हमें अपने देश की बेरोजगारी दूर करना है तो हमें पढ़ाई के घण्टे कम करने होंगे और व्यावसायिक काम सिखाना होगा जिससे उन लड़कों को शिक्षा समाप्त करने के बाद अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार की तरफ अपना हाथ न फैलाना पड़े । इसमें जो किताबी बीमारी लगी हुई है उसको दूर करना होगा और कम से कम ४ घण्ट नें टेक्निकल एजुकेशन के लिए निकालने होंगे । सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि जो शिक्षा में इस ओर अधिक बढ़ना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक ग्रान्ट दी जाय और जिन स्कूलों के विद्यार्थी अधिक कार्य करते हैं उनको अधिक सुविधाएं दी जायें और जो स्कूल व्यावसायिक शिक्षा नहीं देते हैं उनको बन्द कर दिया जाय ।

इसके अतिरिक्त जो हमारी परीक्षा का सिस्टम है वह त्रुटिपूर्ण है । एक समय था जबकि भारतवर्ष के अन्दर लिटरेरी एजुकेशन की आवश्यकता थी । उस समय बोर्ड के पेपर आते थे और जो (प्रश्न क्वेश्चन) होते थे उनका उत्तर देते थे परन्तु आज समय बदल गया है । आज आवश्यकता इस बात की है कि एजुकेशन का लक्ष्य टेक्निकल एजुकेशन की तरफ हो ।

आज हर विद्यार्थी डिग्रियां प्राप्त करना चाहता है और वह तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उसको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जायें जिन से अधिक से अधिक नम्बर ला सके। आज इस प्रकार की प्रदेश में खराबियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं जिसमें शिक्षकों और छात्रों के सम्बन्ध बहुत खराब होते जा रहे हैं। तो अधिष्ठाता महोदय, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि इंटरमीडिएट तक जो हमारे पेपर्स की सेटिंग हो उनमें आब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने चाहिये ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को पूरे सबजेक्ट का अध्ययन करना पड़े। तीन घन्टे के के लिए ३०० प्रश्न (क्वेश्चन) दिये जायं। बी० ए० और एम० ए० के लिए यह किया जाना चाहिये कि वहां एक विषय दिया जाय पढ़ने के लिए जिसका विस्तार में विद्यार्थी को अध्ययन करना पड़े। यह नहीं कि मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं और मुझ पर गणित लाद दी जाय। जब तक हमारे यहां इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली जो आज है रहेगी प्रदेश और देश से बेरोजगारी की समस्या जा नहीं सकती।

हमें आज देखना चाहिये कि हमारे विद्यार्थी किधर जा रहे हैं? जब सरकार गम्भीरता से प्राइमरी शिक्षा की ओर ध्यान देगी तभी ठीक होगा। जब तक हमारे बेसिक शिक्षा की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हमारी दूसरी शिक्षा बेकार होगी। इसके अतिरिक्त जो आजकल समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं वह यह है कि अधिष्ठाता महोदय, मंत्रीगण जो दौरे पर जाते हैं तो स्कूल और कालेजों द्वारा उनके लिए ड्रामा, नाच गाने का प्रोग्राम होता है। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि मंत्रीगण जब कालेज में जायं तो बजाय ड्रामा वगैरह देखने के क्लास में जायं और देखें कि बच्चे क्या पढ़ते हैं। इसका ज्यादा अच्छा असर होगा। इंस्पेक्टर जब विद्यालय में आने वाले होते हैं तो १५ दिन पहले से विद्यालय में पढ़ाई तेजी से होने लगती है। अगर मिनिस्टर साहबान क्लास में जायंगे तो विद्यालय में पढ़ाई एक महीने पहले से तेजी से शुरू हो जायगी।

इसके अतिरिक्त बहुत सी समस्यायें मान्यता संबंधी है। मान्यता के लिए जरूरी होता है कि कालेज के कमरे निश्चित लम्बाई चौड़ाई के अनुसार बनें। जिला मेरठ में एक स्कूल है जनता जूनियर स्कूल सांकरौद, बागपत, मेरठ। वहां विद्यालयों का मान्यता न मिलने से क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानी ही रही है। कभी कभी कुछ विद्यालय कोर्ट में चले जाते हैं। अगर कहीं कोर्ट केस हो तो कालेज खुलने के पहले श्रीमन् निपटा दिया जाय नहीं तो क्षेत्र की जनता को बहुत तकलीफ हो जाती है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए परेशान होते हैं।

प्रत्येक जिले में यदि एक शिक्षा का बोर्ड बना दिया जाय तो उससे सहूलियत होगी। उससे शिक्षा की प्लानिंग हो जायगी, वहां के लोग उसके सदस्य होंगे और उनको अपनी समस्याओं का ज्ञान होगा और वह उसकी दूर कर सकेंगे। जो सदस्य उसमें हों वह एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हों और वह बेसिक शिक्षा का उत्थान करें। उसमें यह भी चीजें आती हैं कि बच्चों के बैठने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिये, पढ़ने के लिए कौन-कौन सी किताबें होनी चाहिये और किस प्रकार का मैप होना चाहिये।

जब तक कि प्लानिंग नहीं होगी इस देश में और प्रदेश में हमारे छात्रों का चरित्र ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि प्रत्येक जिले में जिला बोर्ड बनाये जायें और प्लानिंग की जाय कि किस प्रकार से उच्च शिक्षा वहां पर दी जा सके। मेरा एक और महत्वपूर्ण सुझाव है कि जो प्रतिदिन विभिन्न विद्यालयों में पुस्तकें बदला करती हैं वैसा न हो। देखा यही जा रहा है कि प्रतिदिन पुस्तकें बदला करती हैं। मैं चाहूंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक से नियम होने चाहिये और एक सी ही वहां पर पुस्तकें होनी चाहिये। उसी प्रकार से बोर्ड के अन्दर भी नियम बनाये जायें और उनकी पुस्तकें भी एक सी ही हों। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि कोई इक्जामिनर है और वह किसी प्रकार की कोई पुस्तक पढ़ता है और उसकी परीक्षा वहां का विद्यार्थी किसी दूसरी पुस्तक को पढ़ कर देता है। उसके परीक्षाफल पर उसका प्रभाव पड़ता है और इक्जामिनर उसको उतने अच्

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

अंक नहीं देता जितना वह उस पुस्तक के हिसाब से देना चाहिये था । इस कारण पूरे प्रदेश में एक ही प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिये तभी विद्यार्थीयों के साथ न्याय हो सकेगा और अन्याय होने की सम्भावना कम हो जायेगी ।

जहां तक कि विश्वविद्यालयों का सवाल है मैं मेरठ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जब से वहां पर सिमिस्टर सिस्टम जारी हुआ है वहां पर अनियमितता फैलती ही चली गई है और इस प्रकार की अनियमितताओं का उदाहरण आपको मेरठ तो क्या सारे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा । आप हर स्थान पर गल्ती और अनियमितता पायेंगे । अभी वहां पर कन्वोकेशन हुआ था । जब डिग्रियां दी जा रही थीं तो उस समय ।

(इस समय ३ बज कर ४३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

विद्यार्थियों के अन्दर रोष उमड़पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं तो आर्ट साइड का लड़का हूं और इसमें अंग्रेजी लिखी है। किसी ने कहा कि मैथ्स के स्थान पर साइन्स लिखी है। वाइस चान्सलर महोदय ने उसकी सफाई इस प्रकार से दी कि यह तो क्लरिकल मिस्टेक है । चार पांच हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनके जीवन क साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करना बड़ा ही अशोभनीय है। जो त्रुटियां होती हैं उनके बारे में ६-६ महीने के बाद पता चलता है। योग्य छात्र फेल हो रहे हैं जो अयोग्य हैं वे उच्च अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस सिमिस्टर सिस्टम की कोई विशेष रूप से अध्ययन करें और मैं तो यह कहूंगा कि आज विभिन्न प्रकार की समस्यायें इसी कारण से बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि वहां के डिग्री प्राप्त शुदा अनइम्पलायड नवजवान कुछ उत्पात न खड़ा कर दें। समस्यायें बढ़ती चली जा रही हैं और वह यहां तक हो गई है कि हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण प्रदेश के खिलाफ कोई उत्पात खड़ा कर दे । आज वे लोग डिग्री लेकर बैठे हैं और उनके लिए कोई काम नहीं है । यह जो बजट अनुदान है उसका मैं पूरी तरह से उस समय तक समर्थन नहीं करता जब तक कि इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर दिया जाता है । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इन चीजों को देखें । इन समस्यायों के पूरा होन के बाद ही मैं उसका समर्थन करूंगा ।

*श्री ए० सी० ग्राइस—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको बोलने का मौका दिया । अभी हमारे जायसवाल जी ने १ घंटा २० मिनट तक अपना भाषण दिया और उसमें काफी प्वाइंट्स उन्होंने लिये हैं । जो जो बातें उन्होंने उठाई हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं परन्तु मुझे यह कहना है कि देश की वैल्थ अपने बच्चों में है, सोना और चांदी में नहीं है । हम लोग २० साल से कह रहे हैं कि प्रायमरी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए । आज मुझे बहुत खुशी हुई, जितने लोग बोले हैं सबने प्रायमरी एजुकेशन पर जोर दिया है । लेकिन बीस साल में नतीजा क्या हुआ ? हमारे जो टीचर्स हैं वह पुवर क्वालिटी के हैं । एजुकेशन बोर्ड और एजूकेशन डिपार्टमेन्ट का एक्सपैन्शन नहीं हुआ । नतीजा यह है कि उन पर बोझा बहुत काफी है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपके एक जी० ओ० द्वारा फीस का रेस्ट्रिक्शन कर रखा है, उस जी० ओ० को हटा दीजिए । जितने स्कूल फर्स्ट ग्रेड में हैं उनको फीस चार्ज करने दीजिए । जनता के पास काफी पैसा है अच्छे स्कूलों को देने के लिए । जो पैसा बचे उसे डायरेक्टोरेट में डालिए और डायरेक्टोरेट को छोटा कीजिए जैसे मद्रास में है । उससे इंस्पेक्टर आफ दैट एरिया हर स्कूल के ऊपर दबाव दे सकता है । आज जिला लखनऊ में एक इंस्पेक्टर है, कानपुर में एक है । कानपुर में कितने स्कूल हैं, बहुत काफी एरिया है । नतीजा यह है कि कारेस्पोन्डेन्स के अलावा वह और कुछ नहीं कर पाता है । तो जितने प्राइमरी स्कूल और सेकेन्ड्री स्कूल फीस चार्ज कर सकते हैं उनको करने दीजिए और पैसा बचाकर इंस्पेक्टरों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को बढ़ाइये जिससे इंस्पेक्टर हर स्कूल में जाकर देख सकें। केवल यही नहीं कि जाकर मैनेजर और प्रिन्सिपल से बात कर लें, बल्कि क्लास में बैठकर देखे और क्वालिटी आफ टीचर्स को देखें।

जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है वह बेकार हैं। ९० फीसदी में कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। चार हजार बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स हैं जो एम्प्लायमेन्ट के लायक नहीं हैं क्योंकि आपके हाई स्कूल टीचर्स जो बी० टी० हुए हैं वह पढ़ाने लायक नहीं हैं। तो इंस्पेक्टरों को वहां भेजें जो बढ़िया टीचर्स बनावें।

जायसवाल साहब ने भी कहा कि ८ लाख लोग बैठते हैं बोर्ड के इम्तहान में। बोर्ड उनको नहीं देख पाता। उसको तोड़कर छोटे-छोटे बनाएं। लेकिन इससे एक बोर्ड दूसरे के साथ कम्पटीशन करेगा और रिजल्ट्स कम्प्लीटली जीरो हो जायेंगे। आप केवल एक बोर्ड रखिये। इंन्सपेक्टर्स अगर आप बढ़ायेंगे तो आपके रिजल्ट्स अटोमैटिकली अच्छे होंगे।

अभी केवल आगरा और मेरठ यूनीवर्सिटी डिग्री कालेजेज को एफीलियेट करती है। कानपुर यूनीवर्सिटी भी थोड़ा कर रही है। मेरा सुझाव है कि लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर यूनीवर्सिटी भी अपने-अपने क्षेत्र मेंएफीलियेट करें। पापुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जितने आपके हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट लोग हैं, गुड, बैड और इनडिफरेन्ट, सब यूनीवर्सिटी में जाना चाहते हैं। युनीवर्सिटी में इतने लड़के आ गये तो इम्पासीबिल है कि कोई भी फैकल्टी ठीक से चल सके। अगर डिसेन्ट्रेलाइज करके डिग्री कालेजेज में दे देंगे तो सहूलियत हो जायेगी। जायसवाल साहब की एक बात हमें पसन्द नहीं लगी। अभी जायसवाल जी ने यह कहा कि हमने किसी को यहां पर फर्स्ट क्लास साइन्टिस्ट नहीं बनाया। मैं आपके जरिये उनसे यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने ही अच्छे साइन्टिस्ट बनाया है। फर्स्ट क्लास साइन्टिस्ट यहीं पर अंग्रेजी भाषा से बने हैं। वह हिन्दी से नहीं बने हैं। यह चाहे जायसवाल जी को बुरा लगे लेकिन मैं यह उनसे साफ कहना चाहता हूं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी की बावत मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी बावत कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। जायसवाल जी ने कहा थाकि लास्ट ईयर बी० एस-सी० के जो स्टूडेंट्स थे उनको पास मार्क्स देने पड़े। पारसाल के लिये यह था कि लड़कों ने स्ट्राइक की थी और वह बहुत दिनों तक अपनी स्टडी नहीं कर सके थे। तो उन लड़कों ने यह मांग वायस चांसलर के सामने रखी कि चूंकि उनकी पढ़ाई पिछले साल नहीं हो सकी है तो बी० एस-सी० वालों के लिये बी० ए० पार्ट १ और पार्ट २ के बराबर मार्क्स में ट्रीट किया जाय। जब लड़के स्ट्राइक से वापस आए तो वह यह कहने लगे कि ४०, ४५ रोज तक पढ़ाई नहीं कर सके हैं तो वह ऐसा चाहते थे। इसलिये वायस चांसलर ने बी० एस-सी० वालों के लिये बी० ए० पार्ट १ और २ की तरह से मार्क्स दिये। वह सिर्फ पिछले साल के लिये थे। इस साल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने अपने मैनीफेस्टो में रखा लेकिन उसको नहीं माना गया। एकेडमिक कौंसिल ने उसको माना और न वायस चांसलर ने उसको माना और वायस चांसलर ने अपनी पर्सनल पावर उसमें इस्तेमाल नहीं किया।

पब्लिक स्कूल के लिये यहां पर बहुत कहा गया कि उनको बन्द कर दिया जाय। सबको कम्युनिटी स्कूल बना दिया जाय। पब्लिक स्कूल आपसे कोई ग्रांट नहीं लेते हैं तो आपको उनसे मतलब ही क्या है। आप जिनको ग्रांट देते हैं उनको रखिए या न रखिए। कोई अगर अच्छी चीज चाहता है और ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है जो वह वहां पर भेजता है। उसको दूसरी जगह भेजने दें। यह कांस्टीटयूशन के आर्टिकिल १३ में दिया हुआ है कि कोई भी कम्युनिटी अपना अलग से एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन खोल सकती है। उन लोगों ने अपना पब्लिक स्कूल खोल रखा है। सीजन में और आउट आफ सीजन यहां कह दिया जाता है कि आप उनको बन्द कर दीजिए। ये पेड़ जो अच्छे फल देते हैं उनको एकदम काट देने की बात कहने लगते हैं। दूसरे हमारे एंग्लो इंडियन स्कूल हैं उनको जो ग्रांट दी जाती है वही देते हैं। उनके लिये एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। हम लोगों के स्कूल ऐसे ही चल

[श्री ए० सी० ग्राइस]

रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप उस जी० ओ० को हटाइए। जितने भी हमारे स्कूल हैं यहां पर, लाल बाग में हैं, कानपुर में हैं, उन सबमें शिक्षा बढ़ी है और उनका स्टैन्डर्ड गिरा नहीं है। सरकार की ग्रांट उससे सेव हुई है।

आखिर मैं यह बात कहना चाहता हूं कि एक स्टैंडिंग कमेटी आफ एजुकेशन बनी हुई है, उसको आप डिजाल्व कर दें। उसको न कभी बुलाते हैं और न कभी उसके सुझाव जो आये हैं उनको माना गया है। इसलिए उस कमेटी के रहने या न रहने से क्या फायदा है। वैसे तो बहुत यूजफुल थी और प्राब्लम सब आसानी से हल किये जा सकते हैं। हम लोगों के यहां २०० स्कूलों की मैनेजिंग कमेटी है। ३० स्कूल, मैं डाइरेक्टली कंट्रोल करता हूं। उसके मुताबिक आपको सुझाव दिये जा सकते हैं।

आखिर में मैं कहूंगा कि आपने सन् ६५ में नान-गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टाफ के लिये एक पेंशन स्कीम बनाई, लेकिन उससे पहले के जो टीचर्स हैं उनके लिये बहुत मुसीबत है। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह टीचर्स जो सन् ६५ से पहले, इस स्कीम के लागू होने से पहले, रिटायर हुए हैं उनको भी पेंशन की सुविधा दिलाने का बन्दोबस्त करें। थैंक यू वेरी मच।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, आज सबेरे जब एजूकेशन ग्रांट पर बहस शुरु हुई तो हमारे दोस्त श्री कृष्णानन्द राय ने वह बात कही कि जिसको सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उम्मीद करता था कि मि० मिश्रा, एजूकेशन मिनिस्टर ने जो डिगनिटी और सेल्फ-रेस्पेक्ट का मुजाहिरा उस दिन किया था उसकी हाउस के सभी लोगों ने कद्र की और उनका खैर मकदम किया था। उसके बाद अब ऐसी बात कहने का कोई मौका ही नहीं था। खासतौर से ऐसी हालत में जब मिनिस्टरों के बारे में हम तरह-तरह के किस्से दिन रात सुनते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है उसे मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यह महज एक किस्सा ही है, अस्लियत हो या न हो, यह तो मुझे मालूम नहीं, वह इधर के मिनिस्टर का किस्सा हो या उधर के मिनिस्टर का, बात यह है कि ज्यादातर उधर भी बहुत काफी तादाद में लोग ऐसे बैठे हैं जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं। कहा जाता है कि एक रोज एक मिनिस्टर साहब अपने आफिस में सबेरे उठकर आये, उनका उसूल यह था कि वह सबेरे उठकर जब आते थे तो कुर्सी से लिपट कर वह कहते थे कि प्यारी मेरा साथ मत छोड़ना, तुम्हीं ने मुझे इज्जत दी है, तुम्हीं ने मुझे शानो-शौकत दी है, तुम्हीं ने मेरी सूबे में कद्र बढ़ाई है, तुम जिंदगी भर मेरा साथ मत छोड़ना, वह कुर्सी को हर बार बात-बात में प्यारी-प्यारी कह रहे थे कि अन्दर से उनकी बीबी ने सुन लिया कि वह प्यारी-प्यारी किसे कह रहे हैं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

लेकिन उसकी जानकारी आप को कैसे मिल गई ?

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

उनकी बीबी ने प्यारी-प्यारी की आवाज जो सुनी तो उनकी बीबी को बहुत गुस्सा आया, उनको मिनिस्टर साहब पर पहले से शक था, वह झाड़ू लेकर बाहर निकलीं कि आज मिनिस्टर साहब को किस से मोहब्बत हो गई जो घर में ही प्यारी-प्यारी होने लगा। उन्होंने आकर देखा तो मिनिस्टर साहब कुर्सी के सामने कुछ गिड़गिड़ा रहे थे, हिन्दुस्तानी बीबी थी, मोहब्बत ने जोर दिया तो बजाय मारने के वह भी कुर्सी के सामने उसी तरह से गिड़गिड़ाने लगी। इस तरह के किस्से कहे जाते हैं, मगर दूसरी तरफ हमने देखा कि मिश्रा जी ने उस दिन अपनी डिगनिटी और सेल्फ रिसपैक्ट का इतना बड़ा मजाहरा किया कि मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हमें इस बात का आज भी फख्र है कि हमारे बीच में अब भी ऐसे लायक दोस्त मौजूद हैं कि जिन में इतनी डिगनिटी से काम करने का सलीका है। मैं समझता हूं कि उन के इस्तीफे के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि उनका इस्तीफा नामंजूर किया और वह आज भी हमारे मिनिस्टर आफ एजूकेशन हैं।

मिनिस्टर साहब बहुत ही अहम डिपार्टमेंट के इन्चार्ज हैं मगर मैं उनसे चाहूंगा कि वे जरा गौर करें कि एजूकेशन के जरिए से वह क्या करना चाहते हैं। उनका ऐम क्या है ? यह हो सकता है कि हम बड़े-बड़े विद्वान पैदा करें मगर मैंने विद्वानों को देखा है, कि वे फिलौससिफर टाइप होते हैं, वे प्रैटिकल काम नहीं कर पाते हैं। मैं दख्वास्त करूंगा कि बहुत विद्वान पैदा करने की कोशिश न करें वर्ना इस सूबे के लिए बहुत मुसीबत हो जायगी।

दूसरे कुछ लोग जो खास किस्म के जहन रखते हैं, उनकी ख्वाहिस है कि हम तालीम दें और तालीम से बहुत अच्छे ओर्थोडक्स हिन्दू, मुसलमान, पैदा कर सकें, क्रिस्चियन पैदा कर दें। यह ओर्थोडक्सी बुरी चीज नहीं है मगर यदि यह हद हम तक जाएं कि उससे दूसरों से नफरत पैदा हो जाय तो यह बुरी चीज है। लिहाजा यह भी तालीम का कोई मकसद नहीं हो सकता है। एक मुल्क जो अभी इंडिपैन्डेन्ट हुआ है, उसमें एजूकेशन का यही मकसद हो सकता है कि हम हिन्दुस्तान के अच्छे शहरी पैदा करें जो हिन्दुस्तान से मुहब्बत करें और हिन्दुस्तान की इन्टेग्रिटी के लिए अपनी जां निसार करने को तैयार रहे ताकि हिन्दुस्तान के रहने वाले एक कौम बने और यह मुल्क कौमियत क जरिए से एक ताकतवर मुल्क बन जाय। यह एक डैमोक्रैटिक गवर्नमेंट का ऐम हो सकता है।

हमारे जो एजूकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी बातों से जाहिर हुआ है और शायद वे इस येम से जरूर सहमत हैं न इस्ट में और न वेस्ट में कोई ऐसा आला इजाद हुआ है कि किसी आदमी को ओवरनाइट पैट्रिएट बना दिया जाय यह काम सिर्फ एजूकेशन ही से बन सकता है। बच्चों को आरम्भ से इसकी ट्रेनिंग देनी होगी। जिस वक्त बच्चा स्कूल में जाता है अगर आप उसको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसको एक दूसरे से नफरत पैदा होती है, अगर ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि अपने से दूसरी को कम समझता है तो यह उसमें गलत किस्म की भावना (सेन्स) पैदा होती जायगी और न उसमें पैट्रीयटिज्म होगी और न वह एक अच्छा सिटीजन बन सकेगा। लिहाजा जरूरी है कि हम अपनी टैक्स बुक्स के जरिए से अपने बच्चों को आरम्भ से ही वह तालीम दें जो हिन्दुस्तान के अच्छे शहरी बन सकें हिन्दुस्तान जैसा ख्वाब देखता चला आ रहा है जिससे ही हिन्दुस्तान की दूसरे मुल्कों में इज्जत हो सकती है और जैसा कि इंदिरा जी का भी ख्वाब है, वह पूरा हो सके और हिन्दुस्तान के बच्चे, चाहे जिस मजहब के हों, अपने को हिन्दुस्तान की कौमियत का जुज समझें और सब मिल जुल कर हिन्दुस्तान की तरक्की की कोशिश करें। यह सब काम उसी वक्त हो सकता है कि जब बच्चों की शुरू ही से ऊंची पुस्तकों के जरिए से ऐसी तालीम दी जाय कि वह अच्छे शहरी बन लिहाजा मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि यह नेशन बिल्डिंग विभाग आपके चार्ज में है। इसमें आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आपको यह देखना है कि आइन्दा नस्ल हिन्दुस्तान की ऐसी तालीम पाकर निकले जो हिन्दुस्तान की सही तरीके से खिदमत कर सकें।

अब मैं कुछ बातों की तरफ मिनिस्टर साहब का खासतौर से ध्यान दिलाऊंगा। यह ताज्जुब की बात है कि यह इतना बड़ा सूबा है और आज तक भी आपके विभाग के लोग मुझ से यह कहते हैं कि नर्सरी स्कूल्स का हम रिकगनीशन नहीं करते हैं। नर्सरी स्कूल्स बहुत ही कम है लेकिन नर्सरी स्कूल्स बहुत ही इम्पोर्टेन्टस्कुल्स होते हैं। वे बच्चे जो नर्सरी स्कूल्स से निकलते हैं वे अमूमन बहुत ही अच्छे किस्म के ट्रेन्ड होते हैं। शहरों में कुछ न कुछ नर्सरी स्कूल होते हैं। गावों में नर्सरी स्कूल कायम करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने अपने गांव में रफी मैमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक नर्सरी स्कूल कायम कर रक्खा है। आज आठ साल हो चुके हैं वह नर्सरी स्कूल ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा है। डिपार्टमेन्ट में ऊपर से नीचे तक हर एक आदमी के पास मेरी तरफ से आदमी गया। मैं खुद भी मिला, मगर आज तक डिपार्टमेन्ट कोई तरीका नहीं निकाल सका कि उस नर्सरी स्कूल की किसी तरह की मदद कर सके। नतीजा यह है कि पांच छः हजार रुपया साल ट्रस्ट की ओर से खर्च किया जाता है। वह तरक्की कर रहा है बावजूद इसके कि गवर्नमेन्ट उसकी कोई मदद नहीं करती। मैं मिनिस्टर साहब को खुद ले

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

जाने के लिये तैयार हूं और फख्र से कहता हूं कि आज जो बैस्ट नर्सरी स्कूल लखनऊ में है उसके बराबर यह स्कूल हमारे गांव में चल रहा है। मगर अफसोस की बात है कि जो रोटीन तरीके हैं उसी के मुताबिक उस स्कूल को भी जज किया जाता है ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

मैं इत्तिला करना चाहता था कि लखनऊ में....

श्री उपाध्यक्ष---

आपको अनुमति नहीं दी, आप क्यों बोलते हैं ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

मिस्टर गान्धी कहते हैं कि लखनऊ में भी नर्सरी स्कूल्स को कोई मदद नहीं मिलती । अगर नहीं मिलती है तो बड़े शर्म की बात है कि बड़े-बड़े लड़कों की तालीम के वास्ते बड़ी-बड़ी ग्रान्ट दी जाय और बच्चों की तालीम को इस तरह नैगलेक्ट किया जाय ।

दूसरी चीज जो मैं खासतौर से एजूकेशन मिनिस्टर से कहूंगा वह यह कि सेकेंडरी स्कूल्स की बहुत बुरी हालत है । सेकेंडरी स्कूल, जहां तक वे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कुछ न कुछ तालीम हो ही रही है । मगर सेकेन्डरी स्कूल्स ज्यादातर एडेडस्कूल्स हैं और एडेड स्कूल्स के मैनेजर और मैनेजिंग कमेटी एक बड़ी तिजारत में लगे है । मेरे बाराबंकी जिले में बहुत से सेकेन्ड्री स्कूल्स हैं । मगर मैं सिर्फ सफदरगंज स्कूल के बारे में कह सकता हूं । वहां बड़ी अच्छी तालीम होती है । मेरे गांव में भी सेकेन्ड्री स्कूल हैं मगर मैं यह कहने पर तैयार नहीं हूं कि वहां अच्छी तालीम दी जाती है ।

मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि सेकेन्ड्री स्कूल्स की तरफ आप खास तौर से गौर करें और अफसरों को मुकर्रर करें कि वे जाकर इन्क्वायरी करें और जब देखें कि सेकेन्ड्री स्कूल्स प्राप-रली नहीं कान्डक्ट किये जा रहे हैं तो उनको टेक ओवर करें। हर एक एजूकेशन स्कीम में प्राविजन मौजूद है कि अगर गवर्नमेंन्ट सैटिस्फाइड नहीं होती किसी स्कूल से तो उसको टेक ओवर कर सकती है ।अगर ऐसा प्राविजन मौजूद है और गवर्नमेंन्ट फिर भी टेक ओवर नहीं करती है तो यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है । अगर सेकेन्ड्री एजूकेशन सफर करती है तो इसके लिये खुद गवर्नमेन्ट जिम्मे-दार होगी । मैं इस सिलसिले में एजूकेशन मिनिस्टर से कहूंगा कि अगर आप अपने सूबे की वाकयी खिदमत करना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिये । मैं अपने जिले के स्कूलों को दिखाऊं कि वहां किस तरह से सेकेंडरी एजूकेशन दी जा रही है और किस प्रकार उनका कितना गलत इंतजाम है । दूसरी चीज जो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा जिसके बारे में बहुत कुछ आपस में इख्तिलाफ रहता है और जिसको मुख्तलिक तरीकों से जो तरीके मेरे नजदीक सही नहीं है और किसी गवर्नमेन्ट के लिए, खासतौर से एक बेलफेयर स्टेट के वास्ते जायज नहीं हैं वे तरीके इस्तेमाल करके उनको दबाने की कोशिश की जाती है वह है मीडियम आफ इन्सट्रक्शन के बारे में । मैं उन लोगों में हूं जो सच्चाई से समझता है कि अगर हिन्दुस्तान ने या सूबे ने किसी जबान को अपनाया है तो उस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिये और पूरी तरह से उसके लिये कोशिश की जानी चाहिए कि वह सूबे की जबान बन जाय, मगर बच्चों का जहां तक ताल्लुक है मैं चाहता हूं कि जिस मादरी जबान में वें तालीम हासिल करना चाहें उनको उसकी पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिये । होता यह है कि हुकूमत की तरफ से तमाम एहकाम जारी होते है, आदेश भी जारी होते हैं, कि बच्चों को मादरी जबान में तालीम दी जाय, मगर जब बच्चे उसके लिये मांग करते हैं स्कूलों में जाकर तो उनसे कहा जाता है कि हमारे यहां उसके लिये टीचर्स नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

बहुत शोर मच रहा है । सुनायी नहीं पड़ता ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

वे कहते हैं कि हम तो तैयार हैं, मगर हमारे पास टीचर्स नहीं हैं। मिनिस्टर साहब, यह मामला ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह से टाला जा सके। वाल्देन को इस बात का पूरा अख्तियार होना चाहिये कि वे अपने बच्चों को तालीम जिस मादरी जवान में दिलाना चाहें दिला सकें। मगर यह आजादी एक पर्टीक्यूलर स्टेज तक हो। उसके बाद जैसा कि आपने हिन्दी जबान को एक्सेप्ट किया है, हिन्दी जबान कम्पलसरी होना चाहिये। अंग्रेजी जबान मादरी जबान नहीं थी, लेकिन उस वक्त मजबूरीवश हमने अंग्रेजी जबान को सीखा और हम दूसरे मुल्कों में भी गये जहां अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैंने बहुत सा समय हिन्दुस्तान के बाहर बिताया। मैंने उन लोगों को भी देखा कि जो सिर्फ हिन्दी जबान पढ़ कर हिन्दुस्तान के बाहर गये कि किस तरह से उन लोगों ने हिन्दुस्तान की प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचाया। मैंने यह भी देखा कि कहां तक वे अपने मिशन में कामयाब हुये। लिहाजा मैं यह जरूरी समझता हूं कि कोई न कोई इन्टेरनेशनल लैंगुएज चाहे वह अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेन्च हो, हमारे बच्चों को जरूर मिलनी चाहिये।

आज मैं देखता हूं कि अब अपने ही घर में बच्चों से कहता हूं कि तुम एक पेज अंग्रेजी लिखो, वे उसमें ५० गलतियां कर बैठते हैं। वे एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते। मैं समझता हूं कि आज इंगलिश एजूकेशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इससे बहुत नुकसान होगा लिहाजा मैं प्लीड करता हूं कि इंगलिश एजूकेशन या कोई और इन्टरनेशनल लैंगुएज की एजूकेशन भी बच्चों को जरूर दी जाय। और कम से कम उनमें इतनी इफीशेंसी जरूर आ जानी चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर लिटरेचर तैयार किया जा रहा है वह उसका फायदा उठा सकें और हिन्दुस्तान के बाहर अगर भेजे जांय तो न खुद शर्मिन्दा हों और न हिन्दुस्तान को शर्मिन्दगी उठानी पड़े। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री शान्तिचरन पिड़ारा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में जो अनुदान मांगा गया है उसके लिए जायसवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के सम्बन्ध में, तीस साल पहले जब मैं विद्यार्थी था उस वक्त भी, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या फंक्शंस हैं, इस मामले पर बातें होती थीं, डिबेट्स होते थे। उस वक्त सर तेजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कमीशन बन चुका था। उसके बाद राधाकृष्णन् कमीशन बैठाया जा रहा था। उनके कुछ निर्णय भी प्रकाशित हुए थे। मैं नहीं जानता कि इस समय अधिवेशन में उन सब की चर्चा करना जरूरी है। कल से काफी बातें सुनी जा चुकी हैं। उनको सुनने के बाद उनका कोई परिणाम निकलेगा या उन पर अमल किया जायगा इसका मुझे कोई विश्वास नहीं है। मैं तो शिक्षा मंत्री के सामने तीन चार छोटी-छोटी चीजें पेश करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि उन छोटी-छोटी चीजों को छोटी न समझ कर उन पर अमल करने की कोशिश की जायगी।

सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में एक बात निवेदन करना चहता हूं। ये फीगर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज को अनुदान दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ४८ लाख आपने इस साल देने की बात कही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी को ४४ लाख, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को २७ लाख, वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी को १९ लाख, आगरा यूनिवर्सिटी ३ लाख ४१ हजार। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आखिर आगरा यूनिवर्सिटी जो यू०पी० की तीन पुरानी यूनिवर्सिटियों में है, जिस का क्षेत्रफल एक समय में सारे मध्य भारत और मध्यप्रदेश में फैला हुआ था उसकी यह हालत हो गयी है कि ३ लाख ४१ हजार रुपया अनुदान में दिया। कहा जा सकता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज रेजिडेंशल हैं, जब कि यह एफीलिएटिंग है। मैं सदन और माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी अफीलिएटिंग यूनिवर्सिटीज नहीं हैं ?

[श्री शांति चरन पिड़ारा]

कानपुर यूनिवर्सिटी को ३ लाख ४३ हजार और मेरठ यूनिवर्सिटी को ५ लाख १० हजार अनुदान दिया गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को २७ लाख दिया गया और आगरा यूनिवर्सिटी को केवल ३ लाख ४१ हजार अनुदान दिया जायगा। क्या आगरा यूनिवर्सिटी एजूकेशनिस्ट नहीं पैदा करती? आगरा यू निवर्सिटी ने ही पैदा किया वाइसचांसलर डाक्टर रामकरन सिंह को जिनकी सारे प्रदेश में ख्याति है। रेवरेंड चंडी मौजूद हैं जिन्होंने गोरखपुर में कुछ न कुछ करके दिखाया है। आगरा यूनिवर्सिटी के साथ इस तरह से अन्याय करना मेरी समझ में नहीं आता जिस तरह से आगरा डिवीजन पालिटिकली पिछड़ा हुआ है उसी का परिणाम है कि उसको इतना कम अनुदान के रूप में दिया गया है।

कम अनुदान के साथ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आगरा यूनिवर्सिटी में चार बड़े बड़े इन्सटीट्यूट्स हैं, जो कि आज हिन्दुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिल सकेंगे। इन्सटीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, दूसरी है कन्हैया लाल माणिक लाल हिन्दी इन्सटीट्यूट, तीसरी है जो अभी खुली है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि होम साइंस की पढ़ाई के लिये किसी विश्वविद्यालय में प्राविधान नहीं है, लेकिन वहां पर होम साइंस इन्सटीट्यूट भी खुल चुकी है। और चौथी इंस्टीट्यूट जो वहां पर खुलने जा रही है वह है इंसटीट्यूट आफ फिजिकल साइंसेज। तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह इस ओर भी सोचें।

दूसरी बात मैं बड़ी नम्रता से शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह अपने जमाने में मालूम नहीं उनका जमाना कितना लम्बा रहेगा, यदि वह और कुछ अधिक न कर सकें, तो यदि कम से कम जो इन्टरमीडिएट बोर्ड है उसको तोड़ दें और उसको ५–६ जगह बांट दें तो यह बहुत अच्छा होगा। यह काम वह आखिरी समय के लिये न छोड़ दें, अभी से शुरू करें, तभी जाकर अगले साल तक ५–६ टुकड़े हो पायेंगे और प्रदेश को उनका फायदा हो पायेगा यह बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता कि इस सदन को मालूम है या नहीं कि आज भी ऐसा विश्वास किया जाता है बच्चों में कि एक्जामिनर्स इम्तहान की कापियां जांचते नहीं हैं। वे केवल उन्हें ऊपर से डाल देते हैं और जो कापियां एक ओर हो जाती हैं उन्हें पास कर देते हैं और जो दूसरी तरफ आ जाती हैं उन्हें फेल कर देते हैं। यह इसलिए है कि ८–८ लाख छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। यद्यपि यह छोटी बात है, लेकिन मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे अवश्य कार्यान्वित करने की कोशिश करें।

तीसरी बात जो मैं आपके द्वारा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं वह स्कालरशिप के बारे में है। ७५ करोड़ के बजट में १ करोड़ ५२ लाख रुपया आपने छात्रवृत्तियों के लिए रखा है। मैं समझता हूं यह धनराशि कोई विशेष कम नहीं है। आपने ७९ करोड़ के बजट में ४ करोड़ की कटौती करके उसे ७५ करोड़ कर दिया है, तो उसमें से यदि आप एक करोड़ या पचास हजार छात्रवृत्ति के मद में बढ़ा देते तो मैं समझता कि वास्तव में आप शिक्षा के लिए बात करते हैं। क्योंकि आज भी ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूं कि जो पढ़ना चाहते हैं, योग्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं, पैसा नहीं है और छात्रवृत्ति मिलती नहीं है, इसलिये पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए छात्रवृत्तियों और विशेषकर ऊंची छात्रवृत्तियों के बारे में मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अब भी अगर सप्लीमेंटरी बजट में या अन्य किसी रूप में वह ला सकें तो उसके लिए ज्यादा छात्रवृत्तियों की वह व्यवस्था करें।

एक और छोटी–सी चीज है, उसके बारे में भी मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। जो आप ट्रेवेल ग्रान्ट देते हैं, विदेशों में पढ़ने जाने वालों को, उसमें ५ सौ से १५ सौ तक एक विद्यार्थी को मिलता है जो कि योग्य है, प्रतिभाशाली होता है, जिसके पास पैसे की कमी होती है और जिसको बाहर जाने की एडमिशन मिल चुकी होती है। इसमें बड़ी अव्यवस्था है और विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी है। मैं ऐसे केसेज जानता हूं जिसमें शिक्षा विभाग से ग्रान्ट मंजूर हो जाने पर भी स्टूडेन्ट के जाते समय तक उसे ट्रेवेल–ग्रान्ट नहीं मिली थी,

आखिरकार वह लैप्स हो गया। आपका जो दफ्तर है वह समझता है कि यह रुपया तो मुफ्त में फेंका जा रहा है, उसको जहां तक हो सके रोक लो। उसका परिणाम यह है कि वह उसको टालते रहते हैं और टलते-टलते किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करके छात्र विदेश चला जाता है लेकिन उसको रुपया नहीं मिल पाता है।

एक छोटी-सी और चीज आप से कहूंगा। इस बजट में प्राविधान है यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का। मैं नहीं समझ पाता कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की कोई जरूरत है? ऐसा लगता है कि केन्द्र में यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन है इसलिये आप सोचते हैं कि हमारे प्रदेश में भी यह कमीशन हो। इसकी क्या जरूरत है इसको आपने कभी सोचा मैं समझता हूं कि जरूरत शायद इसीलिये है कि जो हमारे लोग रिहेबिलिटेशन के लिये बैठे रहते हैं उनको वहां कोई स्थान मिल जाय ताकि उनको भी कुछ करने को हो जाय। लिहाजा आप इस कमीशन के बारे में सोचें क्या वास्तव में इसकी जरूरत है? जिन बातों की तरफ मैंने शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया है मुझे विश्वास है कि वे उसी स्प्रिट में उन पर गौर करेंगे और उसके मूल्य को आंकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस देश अथवा प्रदेश में अधिक शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा का अधिक प्रसार होगा उतना ही वह देश तरक्की करेगा, उसकी गरीबी दूर होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। परन्तु हमारे देश में २२ साल की तो बात मैं नहीं कहता, जब से मैं समझ सका हूं तब से बराबर यह देख रहा हूं कि शिक्षा बहुत बढ़ी है, गांव गांव में न सही। एक गांव सभा में कम से कम एक स्कूल हो गया है। हर १२ मील के बीच में एक जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल अथवा इंटर-मीडिएट कालेज हो गया है लेकिन जिस उद्देश्य से शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार होना चाहिये वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

गरीब व्यक्ति जो भूमिहीन है, मजदूरी करता है क्या वास्तव में वह अपने लड़कों को प्राइमरी शिक्षा को छोड़ कर उच्च शिक्षा बड़े स्कूलों तथा कालेजेज में दिला सकता है? जिस व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं हैं वह अपने लड़कों को न तो शिक्षा दिलवा सकता है, न किताबें खरीदवा सकता है और न अन्य साधन उपलब्ध करा सकता है। इस प्रकार जो गरीबी मिटाने का मकसद है वह पूरा नहीं होता और शिक्षा से वह वर्ग लाभान्वित नहीं हो पाता है जिस वर्ग को वास्तव में शिक्षा मिलनी चाहिये और जिसे शिक्षा पाकर रोजी मिलनी चाहिये। जिन परिवारों के लोग साधन सम्पन्न हैं, अच्छी खेती जिनके पास है, अच्छे बिजनेस हैं उनको ही अच्छी शिक्षा मिल पाती है और उन्हीं के लड़के अच्छे स्कूलों में भरती भी हो पाते हैं लेकिन गरीब मजदूर तथा भूमिहीनों के लड़कों को ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी शिक्षा ही मिल पाती है और यदि किसी तरह से कर्ज लेकर वे उच्च शिक्षा लेना भी चाहें तो उनकी भरती के लिये जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं उनसे आप सभी परिचित हैं, यहां का हर माननीय सदस्य परिचित है।

हरिजनों की एजूकेशन के मामले में मैं आपको बताऊं कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ५ या १० फीसदी अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। वे भी सिर्फ हाईस्कूल या इन्टर तक ही पढ़ा पाते हैं। हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट में जो भरती की समस्या है उनके लिये यह कहा जाता है कि अब जगहें नहीं हैं किन्तु जब कोई साधन सम्पन्न व्यक्ति उसी स्कूल में जाता है तो फौरन उसके बच्चे का एडमिशन कर लिया जाता है। श्रीमन्, इसके लिये हमारे सामने मिसालें हैं। आपको याद होगा इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिये यह मांग की गई थी कि स्कूलों में भी हरिजन विद्यार्थियों की भरती के लिये कुछ सीटें सुरक्षित कर दी जायं। किन्तु आदेश तो हुआ था परन्तु जो समस्या मैंने पहले बताई कि यह कह दिया जाता है कि सीटें पूरी हो गई हैं

[श्री रामलाल राही]

और जगह नहीं है। इस प्रकार गरीब हरिजनों को जिनको कि वास्तव में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और जिनके लिये अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है।

श्रीमन्, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने नाम दिया था कि यहां पर एक सैनिक स्कूल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले २२ साल से इस स्कूल में कितने भूमिहीन हरिजन और शोषित पीड़ित विद्यार्थियों को शिक्षा मिल पाई है? नाम मात्र के लिये तो कहा जाता है और मिसालें तो मिल सकती हैं किन्तु समाज के उस वर्ग को जो कि गरीब है, शोषित पीड़ित है, जिसके सामने रोजगार की समस्या है, जिसके सामने अपने बच्चों के रहन-सहन की समस्या है, जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है वह हल नहीं होती है। मान्यवर, मेरा निवेदन है और मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम अब वह समय आ गया है कि इन गरीबों, भूमिहीनों तथा शोषित पीड़ित समाज के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। उनके बच्चों को, शिक्षा का पूरा सामान जैसे किताबें, कपड़ा और खाना वगैरह है जब आप देंगे तभी उनको शिक्षा मिल पावेगी। जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी उनको अच्छी जगहों पर काम करने का मौका मिलेगा और उनका सामाजिक स्तर दुरुस्त होगा। तो मेरा निवेदन यह है कि आप बजट में इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार प्राविधान करें।

जो भूमिहीन और हरिजनों के बच्चे हैं, "हरिजनों से मेरा मतलब केवल हरिजनों से ही नहीं है बल्कि मेरा मतलब देश के समस्त ऐसे लोगों से है जिनके पास भूमि नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं।" उनकी आप एक लिस्ट तैयार करें और उनके बच्चों को स्कूलों में भरती करावें। अच्छे-अच्छे मांटेसरी स्कूलों में उनको भरती करावें। जो लोग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर से पिछड़े हैं जो समाज में गरीब और शोषित वर्ग के हैं उनके बच्चों को मांटेसरी स्कूलों में आप भरती करावें। उनके सारे खर्चे का प्रबन्ध आप करावें। किसी गरीब के लड़के को हाईस्कूल या इन्टर में ९ रुपये या १० रुपये या १२-१४ रुपये वजीफा देकर उसको अच्छे समाज में अच्छा व्यक्ति आप नहीं बना सकते हैं? आप उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर हाईस्कूल या इन्टरमीडिएट की शिक्षा देकर दुरुस्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसे डिग्री कक्षाओं की शिक्षा नहीं देंगे, टेक्निकल नालेज उसकी नहीं बढ़ायेंगे मुफ्त में उसकी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करेंगे, उसकी किताबों और रहने का प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी।

जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसका सामाजिक वातावरण बदलेगा और उसको अच्छी जगह पर जाने का मौका मिलेगा और तभी जाकर समाज के एक ऐसे वर्ग की उन्नति हो सकेगी जो देश की गरीबी में पला है। अब तक तो एक ही वर्ग पनपा है। जहां पूंजीपति और बड़े कहे जाने वाले लोग अच्छी शिक्षा पाते रहे, एक तरफ उनको अच्छी शिक्षा मिलती रही है और दूसरी तरफ रोजगार। रोजगार देने व लाइसेंस वगैरह देने का जहां तक सवाल है, वह भी वे पाते रहे। गरीबों की तो ऊपर पहुंच होती नहीं और अगर आप गरीबों को रोजगार नहीं देंगे, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दिलावेंगे, और वे अपनी आर्थिक दशा को सुधारने में असमर्थ रहे, तो २२ वर्ष तक उन्होंने सोचा और उसे बर्दाश्त करते रहे लेकिन अब आप देख रहे हैं और जिसकी इस सदन में चर्चा भी हो चुकी है कि बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर से शुरू होने लगी है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलें में वही स्थिति पैदा हो जायेगी।

आखिर यह वर्ग कब तक बर्दाश्त करेगा? वह अभी तक अपने को भूखों मारता रहा है, अपने को भूखों तड़पाता रहा है, अपनी जिन्दगी को उसने खपा दिया है। बारह-बारह और अठारह-अठारह घंटे तक श्रम करके अपनी जिन्दगी को मारता रहा है, तो अब वह कितने दिनों तक और बर्दाश्त कर पावेगा। वह अठारह-अठारह घंटे तक मेहनत से काम करे और

आप उसकी मेहनत का पैसा भी न दे सकें यह पहले आपको करना पड़ेगा कि उसकी मेहनत का उसे पैसा दें। अगर आप नहीं दे पायेंगे तो वह अच्छा नागरिक नहीं बन सकेगा। अगर आप उसको शिक्षा के माध्यम से या और किसी माध्यम से रोजगार नहीं दिलावेंगे तो वह क्रान्तिकारी हो जायेगा। उसे आप नक्सलवादी कहें या जो भी कहें वह आपके सामने ही पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जायेगा, और यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है, यह जिम्मेदारी आपकी है, शासन की है और शासन की ही नहीं है, बल्कि उस वर्ग की है जो आज तक उस पीड़ित और सर्वहारा वर्ग का शोषण करता रहा। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस व्यवस्था में अपनी तरफ से आप उनकी हर तरह से मदद करें, उसको शिक्षा दिलाने में, उसको रोजगार दिलाने में मदद करें और अगर मदद नहीं करेंगे तो कारखाने वालों के कारखाने चले जायेंगे, फैक्टरी वालों की फैक्टरीज चली जायेंगी, और जिनके बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनके फार्म्स भी चले जायेंगे। तो यह सोचना केवल शासन को ही नहीं है बल्कि उस वर्ग को भी सोचना है।

जहां तक सीलिंग की बात जो माननीय चौधरी चरण सिंह ने कही थी वह बात आज तक नहीं हो पायी। क्या गरीब सर्वहारा और शोषित वर्ग इस बात को सोचता नहीं है कि कहीं यह दिखाने के लिये तो नहीं किया गया है? मैं तो इंडिकेट कांग्रेस से सम्बन्धित हूं और हम यह सोचने लगे हैं कि चौधरी साहब कहीं इंडिकेट वालों पर रोब जमाने के लिये या उनको बदनाम करने के लिये यह घोषणा तो नहीं किये हैं जिसको आज तक पूरा नहीं कर सके? कहीं यह घोषणा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये तो नहीं है? आपने अभी तक किया तो कुछ नहीं है लेकिन इस छोटी-सी बात में प्रदेश की ८० फीसदी जनता के हित की बात है।

इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मेरा विशेष निवेदन है कि वे माननीय मुख्य मंत्री से कह कर इस समस्या का कोई हल निकालें कि किस तरह से उनको अच्छी शिक्षा मिले और किस तरह से उनको अच्छे रोजगार मिलें क्योंकि २२ वर्ष तक तो इस चीज को उन्होंने बर्दाश्त किया लेकिन अब इस प्रदेश का वह शोषित और पीड़ित वर्ग अधिक दिनों तक इसे बर्दाश्त नहीं कर पावेगा। यह मैं सिर्फ आपको चेतावनी देता हूं। मैं आपके पक्ष में हूं कि वह वर्ग जो अब तक सर्वहारा और गरीब लोगों को शोषण करता रहा है। इनके साथ ही उनका भी कल्याण इसी में है और इस गरीब वर्ग को, शोषित वर्ग को, किसी न किसी माध्यम से उनकी गरीबी को मिटाने के लिये आप प्रयास करें नहीं तो जो उसका नतीजा होगा वह सब आपके सामने आयेगा।

अब मैं शिक्षा क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की कठिनाइयों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ये वे मास्टर है जिनको लड़कों की नाक तक पोंछनी पड़ती है। लेकिन उनको वेतन बहुत कम मिलता है। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के अध्यापकों ने मंत्री जी के सामने एक मांग रखी थी वेतन को बढ़ाने के बारे में, माननीय मंत्री जी उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करके उनके वेतन को बढ़ाने की कृपा करें।

अध्यापकों ने चेकों के द्वारा वेतन मिलने की बात कही थी। उनको वेतन तो चेक से मिलने लगा है लेकिन जब वे बैंकों में जाते हैं तो कभी-कभी बैंक में कह देते हैं एकाउन्ट में रुपया ही नहीं है क्योंकि लड़कों की फीस तो मैनेजर क खाते में जमा होती है। मेरा सुझाव यह है कि जो फीस का पैसा इकट्ठा होता है उसका ८० फीसदी और अनुदान शिक्षा मंत्री बैंक में दाखिल करा दें। उससे शिक्षकों को समय पर वेतन मिल जाया करेगा। २० फीसदी मेन्टीनेन्स आदि के लिये रखा रहेगा। एक साल के बाद तनख्वाह के अतिरिक्त जो रकम बचे उसको भी अन्य कामों के लिये दें दिया जाया करें। इस तरह से शिक्षकों की परेशानी भी दूर हो जायगी और दूसरी ओर मैनेजर लोग जो गड़बड़ करते हैं वह भी न कर पायेंगे। केवल १०–५ फीसदी ही हेरफेर कर पायेंगे।

[श्री रामलाल राही]

मास्टरी भी एक रोजगार,है इसमें भी गरीबों को स्थान दिया जाना चाहिये। बी० टी० सी० और नार्मल ट्रेनिंग के लिये जो सरकार नामीनेशन करती है उसको सरकार बदस्तूर रखे। लेकिन उसमें डिवीजन की कैद न रखे। भला भूखा पेट रखने वाला लड़का किस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड़ डिवीजन ला सकता है, मेरी तो समझ में आता नहीं है। इस-लिये नार्मल ट्रेनिंग के लिये पिछड़ी जाति और भूमिहीन लोगों के थर्ड डिवीजन लड़कों को जिनके पास और कोई साधन नहीं है, स्थान दिया जाना चाहिये। उनसे अगर कोई स्थान बचे तब दूसरों को दिये जांय।

मान्यवर, जिला सीतापुर में एक कन्या महाविद्यालय है और एक लड़कों का डिग्री कालेज है। माननीय गुप्ता जी तथा श्री रामजी लाल सहायक जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनकी महान कृपा से हमारे यहां आर० एम० पी० डिग्री कालेज में पिछले वर्ष से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खुल गये। इसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं और मैं ही नहीं, पूरे सीतापुर की जनता उनकी आभारी है। लेकिन १५–१६ लाख की आबादी के इस जिले में केवल एक डिग्री कालेज कुछ बहुत अधिक नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसी कि हमारे सीतापुर से मांग चल रही है कम से कम दो डिग्री कालेजेज और कायम करा दें, एक सिधौली में और दूसरे सीतापुर के पूर्व या पश्चिम में किसी विद्यालय को कर दें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। इससे लड़कों को भी बड़ी सहूलियत होगी। माननीय मिश्र जी बड़े दयालु हैं, मुझे आशा है कि वह हमारे सीतापुर के निवासियों पर बड़ी कृपा करेंगे।

प्रदेश में प्रादेशिक शिक्षक दल ४७–४८ से चल रहा है। इसमें बड़ी गड़बड़ी है। आपके पूरे उत्तर प्रदेश में करीब ३५ सहायक कमान्डेन्ट और १७ या १८ कमान्डेन्ट काम करते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में और भी कर्मचारी काम करते हैं। इनके वेतनक्रम की तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सहायक कमान्डेन्ट ३५ जिलों में पोस्टेड हैं और कमान्डेन्ट १८ जिलों में हैं लेकिन काम सब बराबर का है। जो कमान्डेन्ट का जिले में काम है वही सहायक कमान्डेन्ट का काम है लेकिन इसके वेतनक्रम में बड़ा अन्तर है। सहायक कमान्डेन्ट का वेतन क्रम २२५–५०० रुपये है जबकि कमान्डेन्ट का ग्रेड ३००–९०० रुपये हैं। कमान्डेन्ट का सिर्फ इतना काम है कि वह कभी-कभी विभिन्न जिलों में जा कर सहायक कमान्डेन्ट से दुआ सलाम कर आता है। इसके अलावा जितनी देखभाल है प्रत्येक जिले में सहायक कमान्डेन्ट ही करता है। इसलिये इनके वेतनक्रमों में इतना फर्क गैरवाजिब लगता है। एक बात और देखें। सहायक कमान्डेन्ट के अधीन जिनको आप अध्यापक कमान्डेन्ट कहते हैं वह काम करते हैं। उनका वेतनक्रम २५०–५५० रुपये है और इनका है २२५–५००। तो इस फर्क को मंत्री जी मिटाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सदन जब समाप्त हो रहा है तो १० मिनट दिये और मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे कल भी समय जरूर प्रदान करें।

अपना देश बड़ा प्राचीन देश है। इस देश के अन्दर जो भी शासक वर्ग आया उसने शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य स्थापित किया। हम ग्रीस, यूनान और अमरीका की बात यहां नहीं करेंगे

(इस समय ४ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य आत्म–साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करना था जब भारतवासी भारतवर्ष से बाहर गये अपने साथ भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर गये, बौद्ध संघ की शिक्षा का उद्देश्य था "बुद्ध शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि, धम्भं शरणं गच्छामि"

फिर मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था राधाकमल मुखर्जी के शब्दों में कि उनका उद्देश्य था मकतबों और मदरसों में कुरान शरीफ और हदीस की शिक्षा देना। पिछले दरवाजे से अंग्रेज आये और मेकाले के शब्दों में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था "काले शरीर के अन्दर गोरी आत्मा और गोरा मस्तिष्क विकसित हो, हमारे अन्दर इस प्रकार की मनोवृति आये कि हीनता की भावना विकसित हो, निम्नप्रकार के नागरिक बनें, क्लर्क बनें, बाबू बनें, अफसर न बन सकें"। यह सबसे बड़ी विजय थी १८३५ में अंग्रेजों की। आज मैकाले की आत्मा प्रसन्न होती होगी। आज जब यहां गांधी जी का भव्य चित्र लगा हुआ है और गांधी जी की शताब्दी मना रहे हैं, २० वर्ष हो गये भारत का संविधान लागू हुए लेकिन शिक्षा के उद्देश्य नहीं बदले।

डा० राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया कि हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा का लक्ष्य था सेल्फ रिअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कराने के लिए विभिन्न धर्मों को, मतों की तुलनात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे हमारे विद्यार्थियों के अन्दर नैतिकता का भाव विकसित होगा। आदरणीय राधाकृष्णन जी ने इस कम्पेरेटिव एजूकेशन आफ रेलिजन के बारे में जो बल दिया वह महत्वपूर्ण था। हमारे देश के अन्दर नवयुवकों ने गांधी जी के पथ पर चल कर देश को आजाद कराया, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदला। वह वही रहा कि अधिक से अधिक संख्या में विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करना। अगर पास हो गये तो कहीं नौकर हो गये। फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि विषयों में डिग्री प्राप्त करके लगभग १० विद्यार्थी विदेश चले गये हैं। बड़ी मात्रा में दो डी० फिल, डि० लिट० विद्यार्थी इंगलैंड में, जरमनी और अमेरिका को चले जाते हैं। आज यही शिक्षा का उद्देश्य रह गया है स्वाधीन राष्ट्र में। वह जो उद्देश्य था स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र प्रतिभा के अन्तर्गत देश का उत्पादन बढ़ाना वह पीछे छूट गया है, वह क्षमता आ ही नहीं सकती वर्तमान परिस्थितियों में।

डा० राधाकृष्णन कमीशन और आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी, कुठारी आयोग ने बहुत सुझाव दिये कि देश की शिक्षा को कृषि प्रधान और उद्योग–धंधे प्रधान होना चाहिए। हिन्दुस्तान के अन्दर ५० करोड़ नागरिक हैं जिनमें १० करोड़ हमारे प्रदेश के नागरिक हैं। लाखों नवयुवक विद्यालयों में पढ़ते हैं। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अन्दर अच्छी उपज बढ़ाना कृषि की अच्छे फल उगाना इस पर बल दिया जाता तो देश के अन्दर अनाज बढ़ता, देश की तरक्की होती और बेकारी की समस्या हल होती। मुझें दुख है कि इस बजट के प्रस्तुत करते समय शिक्षा के उद्देश्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही इस बजट से ६० हजार माध्यमिक शिक्षक, अध्यापकों को बड़ी निराशा हुई है। ढाई लाख उन अध्यापकों को निराशा हुई है जो प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि इस प्रदेश में नहीं, हिन्दुस्तान में अगर शिक्षक को मान देना है तो शिक्षक को जीवित वेतन दिया जाय और उन्होंने डेढ़ सौ रुपया कम से कम निश्चित किया है। बहिन राजेन्द्र कुमारी बैठी हुई हैं। मैं उनका आदर करता हूं। हम और वह इलाहाबाद नगरपालिका के अन्दर सदस्य रह चुके हैं। इलाहाबाद में मुझे याद हैं उनके शब्द जो उन्होंने कहे थे कि प्रारंभिक अध्यापकों को शनैः शनैः डेढ़ सौ रुपये वेतन के रूप में दिये जाने चाहिए। आज वे राज्यमंत्री बन गयीं और वे एक कालिज की प्राधानाचार्या भी हैं। वह अगर चाहतीं तो मा० श्रीपति मिश्र और श्री चरणसिंह जी पर यह दबाव डाल सकती थीं कि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए कम से कम जीवित रखने वाला डेढ़ सौ रुपये का वेतन दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं पिछले वर्ष १९ करोड़ रुपया प्रारंभिक कक्षा के अध्यापकों के लिए रखा गया था। इस वर्ष उसके अन्दर ३ करोड़ ९९ लाख रुपये की कटौती कर दी गयी है, कहा जाता है कि समाजवाद आ रहा है। कहा जाता है कि गरीबी मिट जायगी। कहा जाता है कि इंदिरा जी के पास रिक्शा चलाने वाले जाते हैं, भूखे नंगे जाते हैं। इस प्रदेश और देश के संविधान में लिखा गया है, मैं जायसवाल जी के सुझाव का समर्थन करता हूं,

[श्री रामगोपाल संड]

शिक्षा के लिए जो निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक बालक को जो ७ वर्ष से १४ वर्ष की आयु का है, प्रदेश की सरकार का कर्तव्य होगा कि उसको फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन दी जायेगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। इसकी ओर हम कैसे बढ़ेंगे।

३,९९,००,००० रुपये की कटौती कर दी गई है, अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता है कि प्रजातन्त्र कैसे जीवित रहेगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। आज अगर किसी बड़े आदमी का बालक है तो वह किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिये जायेगा और उस पर २०० रुपये खर्च किये जायेंगे और अगर हम विधायकों का बच्चा होगा या किसी दूसरे का लड़का होगा तो वह नगरपालिका के स्कूल में पढ़ने के लिये जायेगा या किसी जिला परिषद् के स्कूल जायेगा जिसके ऊपर ढाई, तीन रुपये खर्च होते हैं। यह कैसा समाजवाद है समझ में नहीं आता। क्या समाजवाद इसी तरह से आयेगा? इनकी देखभाल के लिये मेरा सुझाव है कि जिले-जिले में स्वायत्त शासन बोर्ड बनाये जायें और ५४ जिलों का एक सम्मिलित बोर्ड बनाया जाय और उसके अन्दर शिक्षा और शिक्षाविद रहें और शिक्षकों को अधिक से अधिक वेतन दिया जाय। इलाहाबाद के गवर्नमेंट कालेज की मैं एक पुरानी बात बताना चाहता हूं कि वहां तीसरी और चौथी कक्षाओं में बाल साहब और आस्टिन साहब आकर बच्चों को पढ़ाते थे क्योंकि वह यह समझते थे कि इन छोटे-छोटे बच्चों में जो भाव भर दिये जायेंगे वह उनके हृदय में और मस्तिष्क में भर जायेंगे और वही चल कर आगे परिस्फुटित होंगे, वही उनके संस्कार होंगे। यह दोनों प्रधानाचार्य थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और लेना चाहता हूं। मैं एक माध्यमिक विद्यालय में २० साल से पढ़ाता हूं। एक बार जब हम लोगों की नैनी जेल में हड्डी तोड़ी गई थी लाठी चार्ज में तो श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी वहां पर गई थीं और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाना चाहिये। इस प्रदेश के आंकड़े इकट्ठे हुए हैं। १२ करोड़ रुपया फीस का सातवीं से १२वीं कक्षा तक फीस का आता है और १२ करोड़ अनुदान दिया जाता है शिक्षकों और अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ता के लिये। इसमें से लगभग २१, २२ करोड़ खर्च किया जाता है और २, ३ करोड़ का गोलमाल रहता है। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी भी एक शिक्षक संघ की सदस्या हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है और सबका एक मत है कि शिक्षकों की दशा सुधारने के लिये कुछ करना चाहिये। मैं गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब शिक्षक संघ के प्रतिनिधि उनसे मिलने गये थे तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था और एजूकेशन सेक्रेटरी जी से कहा भी था कि अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन सरकारी खजाने से दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार ने उसको क्यों वापस कर लिया। मैं कहता हूं कि गुप्ता जी ने अच्छा काम किया यद्यपि मंत्रिमंडल के अन्तिम दिनों में किया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कानून में परिवर्तन करके सरकारी खजाने से वेतन दिलाया करेंगे। तो इस सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में भी कहना है। उसमें ८,३०,००० परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

कल ५ मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

कल नहीं दे सकेंगे। आज बोल लें।

श्री रामगोपाल संड––

श्रीमन्, जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया तो मुझे बताया गया कि बोर्ड का परीक्षाफल समय से निकलेगा ।

(व्यवधान)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् को सन् ६८ में ३५,००,००० और १९६९ में ४२,००,००० रु० का फायदा हुआ है । क्या सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् को कमाने का दफ्तर बनाया गया है ? जहां तक अध्यापकों को देने का प्रश्न है उसमें बढ़ोत्तरी की बात नहीं आती। अध्यापकों को सन् १९३० में ८ आने कापी मिलता था और सन् ७० में भी वही ८ आने कापी जांचने की मिलती है । इसी तरह से इंटर की कापियों के जांचने के लिए १२ आने प्रति कापी मिलता था वह भी अब सन् ७० में उतना ही है । परीक्षा की फीस परीक्षार्थियों के ऊपर बढ़ा दी गई है लेकिन वहां के क्लर्क नहीं बढ़ाये गये और टीचर्स वगैरह को जो पहले मिलता था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लाभत्रयी योजना सन् १९६४ में लागू की । उसके पहले अनेक अध्यापक रिटायर हुए हैं । लगभग १ हजार अध्यापक होंगे जिनको पेंशन नहीं दी जाती जो अक्टूबर १, १९६४ के पहले रिटायर हुए हैं । उनमें से जो जीवित हैं श्रीमन्, उनको पेंशन दी जानी चाहिए । यह रकम प्रति वर्ष घटने वाली है । उन लोगों ने एक संघ बनाया है । तो कृपा कर जो प्रधानाचार्य और अध्यापक पेंशन नहीं पाते हैं कृपया उनको भी पेंशन दी जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद से आता हूं । इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दशा बड़ी शोचनीय है । वहां के ला पार्ट १, २ और ३ के लड़के परीक्षा से बाहर चले आये, पर्चा आउट हो गया एकाएक था । ऐसा क्यों हुआ ? आज विद्यार्थियों और टीचर्स का जो अनुपात होना चाहिए वह नहीं रह गया है । एक अध्यापक पर लगभग ४०, ४५ विद्यार्थी का अनुपात आता है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्वतन्त्रता की लड़ाई में योगदान दिया, अनेक आई० सी० एस० और पी० सी० एस० पैदा किये हैं और आज उस विश्वविद्यालय पर २२,००,००० रु० कर्जा है । मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में जांच करें और वहां अध्यापकों की संख्या बढ़ावें और विश्वविद्यालय के अनुदान को भी बढ़ावें ।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामगोपाल संड––

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं, ज्ञानपुर और नैनीताल डिग्री कालेज के शिक्षकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में एक सर्कुलर गया है शासन की ओर से जिसके कारण उनमें बड़ा असन्तोष है । मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि ज्ञानपुर, नैनीताल या रामपुर सभी जगह के शिक्षकों के सम्बन्ध में उनकी ज्येष्ठता जो निर्धारित की जाय कालेज के शिक्षकों के अन्दर ही निर्धारित की जाय और अधिकारियों की सूची से उसको न मिलाया जाय जिससे उनके अन्दर जो असन्तोष की भावना है वह समाप्त हो सके । अन्त में एक बात लड़कियों की शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं । लड़कियों की शिक्षा के लिए इस बजट में ५ करोड़ रुपया रखा गया है और ५० करोड़ रुपया लड़कों की शिक्षा के लिए रखा गया है । यह क्यों ?

अपने प्रदेश में आधी आबादी लड़कियों की है और शिक्षा विभाग के अन्दर इनके लिये कम से कम एक वीमेन एडीशनल डाइरेक्टर होनी चाहिये । केवल एक डिप्टी डाइरक्टर के होने से काम नहीं चलेगा । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय अनन्त राम जायसवाल द्वारा कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और इस बजट का जो कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया

[श्री रामगोपाल संड]

गया है उस बजट को अनुशासन विरुद्ध, अध्यापकों के विरुद्ध और प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये अहितकर मानता हुआ इसका विरोध करता हुआ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय सदस्य ने जो ज्येष्ठता का सुझाव दिया है उसमें जो अध्यापक अयोग्य हैं उनको हटा दिया जाय। इस चापलूसी की बात को जो उन्होंने कहा है हटा दिया जाय।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायें।

तीन कामरोकों प्रस्ताव मेरे पास आये हैं जिनमें से मैंने एक को भी स्वीकार नहीं किया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

५१ में मेरे पास ७ प्रस्ताव आये हैं। एक प्रस्ताव श्री शंकर प्रसाद जायसवाल का मैंने स्वीकार किया है। उसमें कहा गया है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हरिजन स्त्री श्रीमती इन्द्रवती के जेवरों की लूट तथा उसके साथ बलात्कार के सम्बन्ध में है। इसकी खबर अखबारों में छपी थी। इसको मैंने स्वीकार कर लिया है। श्री रामबचन यादव के प्रस्ताव की ग्राम लखनूपुर जिला आजमगढ़ निवासी राममूरत की हत्या के सिलसिले में थानाध्यक्ष श्री टी० एस० पांडे द्वारा अत्याचार के बारे में। दूसरा श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में प्रथक राज्य बनाने के बारे में। इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है और इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बनाने के लिये कहा है। श्री सुरेन्द्र विक्रम का प्रस्ताव यह है कि जिला बिजनौर के कई गांवों से ७०० परिवारों को पुलिस द्वारा निकाले जाने तथा उनकी जमीन छीन लेने के सम्बन्ध में है। इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) --

यह बड़ा अहम प्रश्न है और इसको स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

यह स्वीकृत नहीं हो सकता है। श्री बांके लाल द्वारा सहकारी बैंक के संचालक मंडल देवरिया की बैठक में भाग लेकर प्रभावित करने के बारे में तथा श्री जगदीश गांधी प्रदेश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में तथा श्री भगवती सिंह विशारद द्वारा जिला परिषद् उन्नाव के स्कूलों के अधिकारियों को अनियमित कार्यों से अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में असन्तोष के बारे में। इन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

जो प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया है वह भी ९ जून को आयेगा क्योंकि ८ जून तक बहुत व्यस्त कार्यक्रम है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, जो प्रथक प्रदेश के बारे में यहां पर मांग हो रही है उसके बारे में फिर विचार कर लिया जाना चाहिय। हमारी सरकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि इस प्रकार की कोई मांग हो और कोई नया राज्य बन जाय। आप देखेंग कि समाचार पत्रों में भी इस प्रकार के लेख निकले हैं। यह एक गम्भीर समस्या है। मैं आपके निर्णय की

आलोचना नहीं करता परन्तु इस मसले को नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिये और सरकार की प्रतिक्रिया को भी इस सदन में आने दें। यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है। कृपा करके आप इस पर निर्णय दे दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, यह ७०० परिवारों का प्रश्न है और इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेज के विद्यार्थी हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार कोई उचित प्रबन्ध करने में असमर्थ हो रही है। इस प्रश्न को लिया जाना चाहिये।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध भी उसके बारे में सूचना चाहता हूं। दफा ५१ में दिया था। जो मंत्री हमारे यहां गये थे २४-२५ को, उन्होंने गैरसरकारी संस्था में भाग लिया, जिसके पदेन अध्यक्ष जिलाधीश महोदय हुआ करते हैं। तो गैर सरकारी संस्थाओं में मंत्रि परिषद् के लोग जाकर बैठेंगे और अपना प्रभाव जमाएंगे तो संस्थाएं कैसे स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकेंगी। मंत्री जी ने तीन दिन तक वहां बैठ कर जनता के धन का दुरुपयोग किया है।

श्री अध्यक्ष---

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सात आयुर्वेदिक कालेजों के लगभग चार हजार छात्र परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। उनमें से कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था.....

श्री अध्यक्ष---

इस पर तो चर्चा हो चुकी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

लेकिन प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे टाला नहीं जा सकता। जब उनके कालेजों को एफीलियेट नहीं कर रहे हैं तो वह लोग परीक्षा कैसे देंगे ? चार हजार विद्यार्थियों का प्रश्न है।

श्री जगदीश गांधी---

श्रीमन्, कानपुर और मेरठ दोनों विश्वविद्यालयों ने आश्वासन दिया है कि यदि सरकार इजाजत दे और थोड़ा सा पैसा दे दें तो हम इन परीक्षाओं को संचालित कर सकते हैं। तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों की समस्या का समाधान कर दें तो वे सारे बच्चों के श्रद्धा के पात्र होंगे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी सदन के सामने आया था और स्वास्थ्य मंत्री जी ने निश्चित आश्वासन दिया था। मेरा यह निवेदन है कि कृपा कर उस आश्वासन की पूर्ति की जानी चाहिए अन्यथा इन बच्चों का जीवन बहुत अधिक असुरक्षित है और यह किसी परीक्षा में न बैठ सके यह बहुत अनुचित बात है और इससे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि निश्चित रूप से एक महीने के अन्दर कहीं एफीलियेशन हो सके इसका प्रबन्ध किया जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में एक निश्चित कार्य किया जाय और यथासम्भव जितना शीघ्र हो सके, किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, सम्भवत: एक प्रस्ताव की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। हमारे दल के ६-७ विधायकों ने ध्यान आकर्षित किया है कि नैपाल से तीन हजार परिवार हटा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष---

आज के प्रस्तावों में ऐसा कोई मेरे सामने नहीं था।

श्री कृष्णानन्द राय---

२२ तारीख को दिया था।

श्री अध्यक्ष---

२२ तारीख वाले का जवाब मैं अभी यहां नहीं दे सकता।

श्री जगदीश गांधी---

श्रीमन्, आपने पूछा कि स्वास्थ्य मंत्री जी यहां हैं। वह सदन में नहीं हैं। श्रीमन्, भूख हड़ताल पर विद्यार्थी बैठे हैं। समस्या गम्भीर रूप ले सकती है। मुख्य मंत्री जी ही उस सम्बन्ध में दो शब्द कह दें।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसके सम्बन्ध में सोचूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैंने और श्री नेगी जी ने एक दिया था फोटोस्टेट कापी एक पोस्टर की लगाकर जो आगरे में क्रान्तिकारी हिन्दू समिति की तरफ से था। उसका हवाला मैंने स्पीच में भी दिया था। अब मुझे सूचना मिली है कि उसी तरह के हजारों आर० एस० एस० वालन्टियर्स इलाहाबाद में पहुंच चुके हैं किसी डिमांस्ट्रेशन आदि के सम्बन्ध में यह ऐसे हालात हो रहे हैं जिससे पूरे प्रदेश में माइनारिटीज के अन्दर एक खौफ का वातावरण पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष---

आप कल पूरे विवरण के साथ दे दीजियेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

एक कामरोको प्रस्ताव मैंने भी दिया था उसके बारे में आपने कोई निर्णय नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसको देख लिया है और उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उसको आप सदन को तो बतला दें।

श्री अध्यक्ष---

इस पर अब बहस के लिये समय नहीं है।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

यह सरकार की कही हुई बात है। हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है। यह बात निश्चय ही पूरी होगी। इसी सत्र में यह आयुर्वेदिक कालेज किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायगा। पीलीभीत में हड़ताल चल रही है। हरिद्वार में विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिये आप स्वास्थ्य मंत्री जी से कह कर इसका निपटारा कराइये ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देख लूंगा।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)--

ग्राम लखनूपुर के निवासी रामसूरत की हत्या के बारे में जनता में बहुत असन्तोष फैला हुआ है। उसके विषय में आपने कुछ नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

आज सदन कितने समय तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

६ बजे तक तो ये दो वक्तव्य होंगे। इसके बाद १ घंटे के लिये बिल पर विचार होगा। तो इस तरह से ७ बजे तक यह सदन बैठेगा।

जिला आजमगढ़ में डकैती, हत्याओं और चोरियों की घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब आजमगढ़ जिले के बारे में वक्तव्य होगा।

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जिला आजमगढ़ में दिनांक ३-४ मई से लेकर १४ मई, १९७० तक डकैती तथा कत्ल के अपराधों में कुछ बढ़ौतरी अवश्य हुई है। इनमें से उन डकैतियों व हत्याओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है जिनका उल्लेख सदस्य महोदयों ने किया है और जिनकी रिपोर्ट सम्बन्धित थानों में हुई है।

ग्राम अमुरी थाना मुबारकपुर में ३/४ मई, १९७० की रात्रि में श्री रामहीत यादव के घर में सशस्त्र डकैती पड़ी, जिसमें रु० २,४०० का माल लूटा गया। दो ग्रामीण मारे गये और ११ व्यक्ति घायल हुए। इस अपराध की विवेचना के दौरान दिनांक ८ मई, ७० को एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ जिसकी निशानदेही पर लूटे गये माल में से कुछ सामान बरामद हुआ। शेष माल की बरामदगी एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयत्न जारी हैं।

ग्राम भुसवा थाना चिरैयाकोट के निवासी श्री केशव तेली के घर ४/५ मई, १९७० की रात्रि में सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें १३६८ रु० का माल लूटा गया और इसमें एक ग्रामीण की छर्रे से हत्या हुई और एक डाकू भी छर्रे से मारा गया। इस मामले की विवेचना जारी है।

ग्राम कपसा, थाना कन्धरापुर में ४/५ मई, १९७० की रात्रि में श्री राम प्रकट दुबे के घर में नकब लगी, जिसमें ३५० रु० नकद तथा कुछ सामान जिसमें घड़ी जेवर भी थे चोरी गये। इसकी विवेचना जारी है।

ग्राम गाहूखोर थाना निजामाबाद के निवासियों के घर ५ और ६ मई की रात में डकैतियां पड़ीं। इनका मुकदमा ६-५-७० को अंकित हो गया।

ग्राम बीबीपुर, थाना निजामाबाद के श्री रामसूरत के घर ६/७ मई, १९७० की रात में डकैती पड़ी। इस घटना की रिपोर्ट १४-५-७० को दर्ज हुई। इस मामले में अपराध दर्ज होने में जो विलम्ब हुआ उसके लिए थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

ग्राम फतेहपुर थाना रौनापार में दिनांक ८/९ मई, १९७० की रात्रि में श्री मकबूल के घर सशस्त्र डकैती पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और ९ घायल हुए। इस मामले में विवेचना जारी है।

इन डकैतियों के अतिरिक्त पिछले माह में ग्राम बनकटा थाना रोनापार में १३/१४ अप्रैल, १९७० को एक सर्राफे के व्यापारी श्री पुरई पुत्र इसमाइल की दुकान में डकैती पड़ी जिसमें रु० २,५०५ की लागत का जेवर और ६०० रु० नगद लूटा गया। इस मामले में विवेचना जारी है।

इन अपराधों के सम्बन्ध में घटनास्थल की जांच से पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि इन डकैतियों में कुख्यात डकैत घूरा सिंह के गिरोह का हाथ रहा और हर जगह एक ही तरह से और ट्रक द्वारा पहुंच कर डकैती डाली गई है। पुलिस ने डकैती से लौटते हुए एक ट्रक मय ड्राइवर के २ देशी पिस्तौल, ४ कारतूस तथा कुछ आभूषणों सहित पकड़ लिया है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस चारों तरफ फैल कर गिरफ्तारी के प्रयत्न कर रही है।

श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)--

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि १६ मार्च, १९७० को थाना निजामाबाद में २ डकैतियां पड़ीं जिसकी सूचना मैंने लिखित रूप में एस०पी० और माननीय मुख्य मंत्री जी को दी जिसकी रिपोर्ट अंकित की गई थी। और थाना बीबीपुर में ६–७ मई को जो डकैती पड़ी उसकी रिपोर्ट भी १४ मई, १९७० को लिखी गई है, जिसके घर डकैती पड़ी वह वहां गया था उसको पुलिस वाले मारकर लौटा दिये, उसके बाद वह मजबूर होकर एस० पी० के यहां पुनः दरख्वास्त देता है लेकिन शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी थानेदार ३–४ बार डकैतियों का अंकन नहीं करता उसके खिलाफ शासन के द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जहां की घटना बताई बीबीपुर की उसके बारे में उन्होंने दरख्वास्त दी थी, डिपार्टमेंटली उसकी जांच की जा रही है और थानेदार ने जो रिपोर्ट देर से अंकित की उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस केस की जांच स्वयं सी० ओ० करेंगे।

श्री राम वचन यादव--

मैं जानना चाहता हूं कि तीन-तीन बार यह शासन के आदेश का उल्लंघन किये, वह गरीबों के जाने पर डकैती का अंकन नहीं करते तो क्या वह ऐसे दरोगा को वहां से हटा कर जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैंने तो उत्तर दिया कि इसकी जांच होगी।

श्री राम वचन यादव--

मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मुख्य मंत्री इस पर ध्यान देंगे कि ऐसे अनेक चोरी व डकैती के केस थाना निजामाबाद में हुए हैं और वहां की जनता त्राहि-त्राहि करती है लेकिन दरोगा जी या तो एस० पी० के कहने से या और किसी कारण से गरीब जनता को परेशान करने के लिये या पैसा लेने के लिये डकैतियों को अंकित नहीं करते, नामजद डकैतों तक को गिरफ्तार नहीं करते और वह इस तरह से जनता को परेशान करने के लिये डकैतों के हिमायती बनकर काम करते हैं। क्या वह ऐसे दरोगा को सस्पेंड करके सी० आई० डी० के द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

यदि माननीय सदस्य पूरी जानकारी देंगे तो हम जांच और अच्छी तरह से करा लेंगे और जो दोषी पाया जायगा उसे सजा अवश्य मिलेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, एक स्पष्ट प्रश्न था कि क्या सी० आई० डी० द्वारा जांच करावेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो उन्होंने कह दिया है कि जांच करावेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप उत्तर तो सरकार से सही दिलवा दें कि सी० आई० डी० द्वारा जांच करावें या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें । उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, इसमें नियम ५१ स्पष्ट रूप से लिखा है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो केवल एक वक्तव्य के लिये और एक नियम ५१ में लिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, ५ दिन के अन्दर ५ आदमी मारे गये । माननीय मुख्य मंत्री ने क्या इन्तजाम किया, इस सदन को तो सूचित कर दें । ४/५ मई को डकैती हुई । लिखी जाती है ६, ७ और उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है १४ को । तो जिनके यहां पर डकैती पड़ी क्या वे रिपोर्ट लिखाने गये ?

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये सरकार ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि विलम्ब के लिये थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस दरोगा का क्या ट्रांसफर किया गया है या निलम्बित किया गया है ? साथ ही साथ यह भी बता दें कि क्या इस केस की वे सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने उत्तर दे दिया है । उनका उत्तर यह नहीं होता है कि क्या कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैंने एक नियम ५१ में सूचना दी है तो यह मेरा विषय है मुझे इसके बारे में बोलने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

यह श्री राम वचन यादव का है । (व्यवधान)

मैंने एक वक्तव्य के लिये और एक नियम ५१ में स्वीकार किया है ।

श्री भाभी—

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट नियम ५१ लिखा है । यह हमारे क्षेत्र का मामला है । हमारे क्षेत्र में डकैती पड़ी है, कत्ल हुए हैं ।

जिला बलिया में स्थित बलिया बेरिया बांध को गायघाट के सामने गंगा नदी के कटान के खतरे के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

बलिया बेरिया बांध जिसकी लम्बाई २० मील ४ फर्लांग है, गंगा नदी के बाएं किनारे पर बलिया जिले में १९५९ में बनकर तैयार हुआ था । यह बान्ध नदी के बाढ़ के पानी को रोकने के लिये नदी से काफी हटा कर बनाया गया था । सन् १९६४ से नदी ने बान्ध के मील ११ व १२ के बीच में अपने बाएं तट को काटना आरंभ कर दिया, और अब यह इस स्थान पर बान्ध के बिलकुल निकट आ गई है । १९६४–६५ से प्रति वर्ष अस्थायी सुरक्षा कार्य कर के बान्ध को कटने से बचाया जा रहा है । गत वर्ष तक इस बान्ध की सुरक्षा कार्यों पर १७ लाख रुपया व्यय हो चुका है ।

मील ११ और १२ के बीच बान्ध को नदी की धारा से क्षति के भय को दूर करने के लिए प्रभावित भाग में इसको रिटायर करना उपयुक्त समझा गया । अतएव ६·२४ लाख रुपये की अनुमानित लागत की रिटायर्ड बान्ध बनाने की योजना पर कार्य आरंभ किया गया, परन्तु स्थानीय जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और उच्च न्यायालय इस्टे आर्डर प्राप्त करके काम रुकवा दिया । मुकदमा हार जाने पर भी जनता का विरोध जारी रहा और रिटायर्ड बान्ध बनाने का कार्य स्थगित रहा ।

स्थानीय जनता की मांग है कि रिटायर्ड बान्ध बनाने के बजाय प्रभावित स्थान पर आवश्यक संख्या में पक्की ठोकरें बनाकर नदी की धारा मोड़ने का प्रयास किया जाय और समस्या का स्थायी समाधान करने की कार्यवाही की जाय । इस संबंध में पिछले वर्ष सिंचाई विभाग की रुड़की अनुसंधानशाला में माडेल अध्ययन किया गया था और लगभग १.३० करोड़ रुपये के व्यय से पक्की ठोकरें बनाने का सुझाव प्राप्त हुआ था । अनुसंधानशाला का मत था कि इन ठोकरों के बनने के बाद भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि नदी की धारा मुड़ ही जायेगी । तिस पर भी पक्की ठोकरें बनाने का निर्णय लेने से पहले इसके लिये धन उपलब्ध करने पर विचार किया गया । चूंकि प्रादेशिक संसाधनों से यह कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता था इन ठोकरों के बनाने के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता के लिये सितम्बर, १९६९ में मांग की गई थी । उसके बाद से लगातार भारत सरकार से प्रत्येक स्तर पर सम्पर्क स्थापित किया जाता रहा, और मुख्य मंत्री जी ने भी प्रधान मंत्री को आर्थिक सहायता के लिये पत्र भेजा है । लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है । इस बीच में अतिरिक्त अध्ययन के बाद अनुसंधानशाला के अंतिम प्रस्ताव के अनुसार ठोकरों पर व्यय का अनुमान बढ़ कर १·८० करोड़ रुपया हो गया है । इस धनराशि में कार्य समाप्त होने तक और वृद्धि हो जाने का अनुमान है ।

मुझे स्वयं बलिया बेरिया बान्ध पर आवश्यक कार्यवाही का पूरा ध्यान है । मैंने इस विषय में विभागीय अधिकारियों से विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया है । १ मई, १९७० को संबंधित विधायकों और संसद सदस्यों की बैठक बुलाकर उनसे भी इस विषय में विचार विमर्श किया है । १७ मई को स्वयम् इस बांध का निरीक्षण कर आया हूं । २० मई

को इस बान्ध के संबंध में विचार विमर्श के लिये मैंने अध्यक्ष, केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग को आमंत्रित किया था और उनकी उपस्थिति में प्रादेशिक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधानशाला के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत हुई है। इस वर्ष अभी स्थायी सुरक्षा का कार्य आरंभ करना तो संभव नहीं होगा लेकिन अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम बहुत शीघ्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। उपलब्ध संसाधनों और प्राविधिक विशेषज्ञों के मतानुसार जल्दी से जल्दी इस कार्य-क्रम की रूपरेखा बनाई जायगी।

इस बीच में बान्ध की अस्थायी सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्य किया जा रहा है जो कि वर्षा आरंभ होने से पहले समाप्त हो जायेगा। अब तक का अस्थायी सुरक्षा के लिए किया हुआ कार्य आवश्यक था, नहीं तो बान्ध के टूट जाने से एक बड़े क्षेत्र में पानी फैलने से बहुत ही हानि होती। यह कहना कि अस्थायी सुरक्षा कार्यों से लाभ नहीं होता बल्कि इसके नाम पर रुपया अभियन्ताओं और ठेकेदारों की जेब में जाता है ठीक नहीं है। यदि इन कार्यों से लाभ नहीं हुआ होता तो अब तक बान्ध कटान से बचा नहीं रहता। जहां तक पैसा जेब में जाने की बात है, यदि कोई माननीय सदस्य विशिष्ट तथ्य सूचित करने की कृपा करें तो इसके संबंध में जांच करके कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न होने के बावजूद भी हमें लोगों को प्रश्न नहीं पूछने दिया गया। जब कि पुलिस के लोगों का स्वयं ही डकैती में हाथ रहता है। दारोगा ही साजिश करके रुपया पहुंचाते हैं। गांव के गांव लूट लिये जा रहे हैं परन्तु आप एक सवाल भी करने नहीं देते....

(श्री रामबचन यादव सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र का मामला है। लेकिन बावजूद कहने के या तो पढ़ने में भूल होती हो या श्रीमान्, के सामने यह प्रस्ताव नहीं आया। हमारा दोनों में नाम है। क्षेत्रीय मामला होने के कारण इसकी हमें पूरी जानकारी है। अगर यही परंपरा रही.....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

अध्यक्ष महोदय, एस० पी० के लड़के इसमें शामिल हैं। रुपया उसके द्वारा लिया जाता है.....

(व्यवधान)

श्री भाभी---

माननीय मंत्री जी ने गलत वक्तव्य दिया है। इसी वक्तव्य में लिखा है कि कत्ल, डकैतियां, हत्याएं बढ़ी हैं। तो पुलिस कप्तान के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय---

अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष---

मैंने श्री शम्भुनाथ चौधरी को बुलाया है। आप कृपया बैठें।

एक सदस्य---

मेरे पास अखबारों के तथ्य मौजूद हैं, सदन के अन्दर गलत बयानी की गई है, मेरे पास सारे तथ्य हैं.....

श्री अध्यक्ष—

वह आप मेरे पास भेज दीजिएगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, लोक सभा में माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा की है कि इस बान्ध की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है, केंद्रीय सरकार इसको लेने में असमर्थ हैं । उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है जिसमें इस चीज को स्पष्ट किया है । क्या यह सही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, प्रधान मंत्री ने कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं खुद इस संबंध में डा० के० एल० राव से मिला था और एक पत्र मेरे से पूर्व उप मुख्य मंत्री जी ने उनको भेजा था और यह निवेदन किया था कि १ करोड़ ३० लाख की व्यवस्था इस काम के लिये वे करें । तो उन्होंने उसमें असमर्थता प्रकट की थी । उसके बाद एक पत्र और आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप इस काम को अपने साधनों से चालू करें, मुमकिन है कोई सहायता हम भी कर सकें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जब माननीय मंत्री जी का १८ तारीख को दौरा हुआ था तो क्या उनसे वहां के स्थानीय जनता ने उनका घेराव किया था तथा यह शिकायत की थी कि वहां रुपये की लूट मची हुई है, ठेकेदार और इंजीनियर्स तमाम रुपया खा रहे हैं और उसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

घेराव वगैरह का काम तो हमारे सदस्य वगैरह ने कुछ आयोजित कर रखा था, अलबत्ता मैं सिंचाई मंत्री के नाते अपना यह फर्ज समझता था कि में बलिया बेरिया बांध को जिस पर प्रतिवर्ष ७ / ८ लाख रुपया खर्च होता है अपनी आंखों से देखूं । मैंने देखा कि जो काम हो रहा था वह कुछ वाकई संतोषजनक नहीं था । शिकायत लोग जरूर करते रहे कि ठेकेदार और इंजीनियर्स रुपया खा जाते हैं । लेकिन वे कोई तथ्य पेश नहीं कर सके । अगर माननीय सदस्य इस संबंध में कोई तथ्य पेश करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्णतया दिलचस्पी के साथ मैं उसकी जांच कराऊंगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

स्थानीय लोगों ने जो माननीय मंत्री जी से शिकायत की है क्या उसको माननीय मंत्री जी जांच के लिये काफी नहीं समझते हैं ? उसी पर क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ? आखिर यह विधायक कहां से तथ्य लायेंगे, सरकार तो यह लोग चला रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जनता ने और माननीय विधायक ने यह शिकायत जरूर की है, मगर इतना बड़ा दरिया गंगा है, इस पर लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है, तो अगर कोई शिकायत है तो उसके लिये कोई तथ्य तो होना चाहिये। बिना बेसिस के पता नहीं कैसे रोक सकेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह देखते हुए कि हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी अनुसंधानशाला रुड़की की है जिसने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसके लिये सिवाए पक्के बांध के बनाने के लिये और कोई रास्ता नहीं इसको बचाया जा सके आप स्वयं अनुसंधानशाला की रिपोर्ट को देख चुके हैं । तो क्या उसकी उसकी रिपोर्ट देखकर प्रदेशीय सरकार यह घोषणा करने को तैयार है कि वह पक्का बांध बनाना तय करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सिंचाई अनुसंधानशाला के डाइरेक्टर ने पिछले वर्ष जो रिपोर्ट भेजी थी वह एक करोड़ ३० लाख की थी और इस वर्ष १ करोड़ ८० लाख के खर्च की पक्की ठोकरें बनाने का है। दुख की बात यह है कि वर्षा होने के बाद इस काम को शुरू किया जाता है और विभागीय अधिकारी उसका सर्वे करते हैं और सर्वे करके काम करते हैं। उसके बाद अनुसंधानशाला के डाइरेक्टर साहब उसे देखते हैं। उनकी रिपोर्ट १६ मई को प्राप्त हुई है। इसके बाद यह बांध कंट्रोल बोर्ड की एक एक्सपर्ट कमेटी के पास जायेगा, फिर फ्लड बोर्ड जायगा और फिर गवर्नमेंट में आयगा। इसलिये पक्का काम इस साल संभव तो हो ही नहीं सकता और अगले साल क्या पोजीशन होगी यह अभी से कैसे कहा जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, इस वक्तव्य के पैरा दो में दिया है--"अतएव ६.२४ लाख रुपये की अनुमानित लागत की रिटायर्ड बान्ध बनाने की योजना पर कार्य आरंभ किया गया, और इधर मंत्री जी बता रहे हैं कि अस्थायी सुरक्षा में ही ७-८ लाख रुपया खर्च हो जाता है और यह भी सही है कि रिटायर्ड बांध बनाने का जब काम शुरू हुआ तो मुकदमेबाजी हुई। तो क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है कि रिटायर्ड बांध बनाया जाय या ठोकरें बनाई जाएं, जिनके बारे में अनुसंधानशाला का मत है कि ठोकरें बनाने से भी उसकी धार को बदला जा सकेगा? तो किस विकल्प को सरकार ने स्वीकार किया है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह ठीक है कि रिटायर्ड बांध बनाना ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन वहां की स्थानीय जनता उसका विरोध करती है और इस सरकार के पूर्व जब माननीय सदस्य को स्वयं की सरकार थी, तो उस सरकार ने उस रिटायर्ड बांध के काम को रोक दिया था।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मंत्री जी ने समस्या का कुछ अध्ययन करने का कष्ट किया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि केंद्रीय सिंचाई मंत्री, श्री के० एल० राव ने जो वक्तव्य हाल में दिया है कि यह जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की है कि और केंद्रीय सरकार कोई सहायता नहीं देगी। क्या उनका ध्यान इस ओर गया है कि जब वह बलिया में गये थे उन्होंने अभियन्ता लोगों के सामने कहा था कि इसके लिये पैसा केंद्रीय सरकार देगी, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो क्या उसका ध्यान इस ओर दिला कर सरकार उनसे सहायता लेने के लिये उन पर दबाव डालेगी? दूसरा प्रश्न यह है --

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

आप व्यवस्था दीजिए कि यह सवाल हो रहा है या भाषण?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं बतला चुका हूं कि भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री इस बारे में भारत सरकार को ६९ में लिख चुके थे, उसके बाद में मार्च, ७० के करीब मैंने अपनी तरफ से लिखा था और तत्पश्चात् शायद १३ अप्रैल, को मैं केंद्रीय मंत्री जी से स्वयं मिला। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री को रुपया दिये जाने के संबंध में भी लिखा लेकिन कोई आश्वासन उनकी तरफ से सरकार को नहीं मिला।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या रिटायर बांध का मतलब है कि जो मौजूदा बांध है उसके पीछे हटा कर दूसरा बांध बनायेंगे और दोनों बांधों क बीच में पड़ने वाले लोग बांध बनाने का विरोध कर रहे हैं? मैं

[श्री अनन्त राम जायसवाल]
जानना चाहता हूं कि सारी स्थिति को ध्यान में रख कर कोई निश्चय पर पहुंचेंगे या इस तरह से अनिश्चितता का वातावरण रहेगा, अगली बरसात में धन जन और फसल बचाने के लिये कोई निश्चय पर पहुंचेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैंने बताया कि जो योजना बनाई थी विशेषज्ञों के अनुसार रिटायर बांध बनाने की, १६ लाख २४ हजार में, जो बड़े क्षेत्र की रक्षा कर सकती थी वह छोड़ दी गई। अब हर वर्ष बढ़ कर नई योजना आ जाती है। नये बांध की योजना १ करोड़ ८० लाख की १६ मई को मिली है। जहां तक इस बरसात से पहले कार्य करने का संबंध है, अस्थायी रूप से करीब ६-६ लाख रुपये काम बड़ी तेजी से डाइरेक्टर, अनुसंधानशाला रुड़की और चेयरमैन, सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन के मशविरे से स्थायी बांध की सुरक्षा के लिये चालू है। कोशिश होगी कि उस कार्य को बरसात के पहले समाप्त कर दिया जायगा।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

सिंचाई मंत्री ने गत वर्ष कहा था कि बलिया बेरिया बांध में ठोकरें बना कर पूरे क्षेत्र को बचा सकते हैं और कहते हैं कि रिटायर बांध ही उपयोगी होगा। तो दोनों रायों का सामन्जस्य निकाल कर कोई निश्चित नीति तय करेंगे जिससे वहां की हजारों एकड़ भूमि और हजारों इन्सानों की जिंदगी खतरे से बचाई जा सके ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बहुत निश्चित बता दिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

माननीय मंत्री जी ने माना है कि धन का अपव्यय हो रहा है तो धन का अपव्यय रोकने के लिये गैर-सरकारी लोगों की कमेटी बना देंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, धन का व्यय हो रहा है, अपव्यय जिस दिन होता नजर पड़ेगा मैं उस दिन किसी को माफ करने वाला नहीं हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

गंगा जी हमेशा मदद करेंगी मंत्री जी का। यह जान ही नहीं पायेंगे कि लोग खा रहे हैं या नहीं। मान्यवर, कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे मुर्गी जो रोज सोने का अन्डा देती है वह हलाल हो जाय ?

श्री भाभी---

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो अपव्यय होता है उसकी जानकारी के लिये कमेटी बनाएंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

एक्सपर्ट्स की कोई कमेटी बनाई जा सकती है। अगर दो चार उदाहरण भी दें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जरूर कमेटी बना देंगे और जांच करा देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मेरी जानकारी को सही समझते हुए कि लोकसभा के अन्दर सिंचाई मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रधान मंत्री का पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के नाम गया है और केंद्रीय सरकार

किसी भी हालत में इस बांध के लिये सहायता करने के लिये तैयार नहीं है, और आज वक्तव्य से लगता है कि सहायता के लिये कोशिश की जा रही है, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि आया उनको इस प्रकार का पत्र मिला या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस समय याद नहीं है लेकिन अगर कोई पत्र आया होगा तो सिंचाई विभाग को भेज दिया होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ऐसा कोई पत्र मेरे पास नहीं आया है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जब हर साल ५, ६ लाख रुपया गंगा जी के पेट में चला जाता है तो अनुसंधानशाला की रिपोर्टों को देखते हुए १ करोड़ ८० लाख की रकम जो २० मील के बांध के लिये प्रस्तावित की गयी है उसके लिय सरकार निश्चय करेगी कि यह रकम ठोकर बनवाने के लिये खर्च की जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह १ करोड़ ८० लाख की रकम २० मील के बांध की सुरक्षा के लिये नहीं है। केवल ३, ४ फर्लांग की सुरक्षा के लिये यह योजना है। वर्षा के बाद १ करोड़ ९० लाख से भी अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने राय दी है ।

श्री मैनेजर सिंह—

यह १ करोड़ ८० लाख की योजना कटान रोकने के लिये है लेकिन कटान रुकेगा या नहीं इसमें सन्देह है। बाढ़ से बचने के लिये अलग योजना है बंधा बनाने की और बंधे का एक हिस्सा कट गया है ११-१२ मील के बीच में जो पानी फैलेगा उसे रोकने के लिये रिटायर्ड बांध बनगा तो इस साल पानी फैलाव को रोकने के लिये क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कई दफा इसका उत्तर मैं दे चुका हूं और उसमें यह बतलाया है कि चेयरमैन सेंट्रल वाटर पावर कमीशन और यहां के मुख्य अभियन्ताओं के परामर्श से और डायरेक्टर अनुसंधानशाला, रुड़की के परामर्श से अस्थायी कार्य करने की इजाजत दे दी है जिसे किया जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह—

लेकिन इस साल बाढ़ से जो बंधा टूटेगा उससे पानी के कटाव को रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका ही उत्तर उन्होंने दे दिया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अब ६ बज चुके हैं। दूसरे आइटम्स जो एजेंडे पर हैं उनको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूंछ ताछ

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैंने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था?

श्री अध्यक्ष—

उसे मैंने अस्वीकृत कर दिया था। आप चाहते थे कि मैं उसे सुना देता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

खाली यह नहीं था। उस पर अब चर्चा नहीं होगी तो इस तरह जो घटनायें हो रही हैं वे रुकेंगी कैसे?

श्री अध्यक्ष—

यह सब देख कर ही मैंने उसे अस्वीकृत किया है। इस पर बहस नहीं होगी यह निर्णय हो चुका है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

चूंकि यह मामला मुख्य मंत्री जी के महकमें का है इसलिये उसे पढ़ने के बाद आप कम से कम उसे वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव के लिये तो मैंने अस्वीकृत कर ही दिया है लेकिन अगर आप वक्तव्य चाहते हैं तो नियम ५१ में आप उसे भेज दें मेरे पास, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा और वह भी वक्तव्य के लिये उसे मान लेंगे।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७०†

श्री अध्यक्ष—

अब बिक्री-कर मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह इसी वृत्ति कर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो यह प्रस्ताव ही नहीं हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों का एसेसमेंट पिछले दो-तीन साल से छूट गया है उसे फिर से एसेस करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

इसके अन्दर जो ३,६०० रु० से ४,२०० रु० तक की जो लिमिट बढ़ाई गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह कोई तरीका नहीं है।

---

†५ मई, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि वृत्ति कर पूर्णतः समाप्त होना चाहिये। और इसके विरोध में मेरा दल इस सदन से बहिर्गमन करता है।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय मेरा, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—

आप भी फिर उसी तरह से बातें कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह जो विधेयक है इसमें कुछ वैधानिक आपत्तियां हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले बिक्री-कर मंत्री प्रस्ताव करेंगे और उसके बाद आप विचार कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस विधेयक के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा निवेदन यह है कि आप पहले एजेन्डा देख लें। उसमें अभी तक आपने मद सं० १० तक लिया है। ११ नम्बर पर यह मद है। इसके बाद १३ नम्बर पर आने की बात है जो २ घंटे का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह निश्चय हो गया है कि चूंकि आज दो घंटे तक नहीं बैठ सकेंगे इसलिये उस पर विचार नहीं हो सकेगा। अतः अब यह विषय २९ तारीख को लिया जायेगा।

बिक्री कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, १९६५ में इस बिल के द्वारा कुछ संशोधन किये गये हैं उनका मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। धारा ५ में यह संशोधन किया गया है कि यह सोचा गया कि कुछ लोगों को इस कर से राहत मिलनी चाहिए। इस वजह से उचित समझा गया कि धारा ५ में यह संशोधन किया जाय कि ३,५०० रु० तक अभी तक जो छूट थी उसे बढ़ा कर ४,२०० रु० तक प्रतिवर्ष जिन लोगों की आय है उन्हें छूट इस कर से दी गई है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, संयुक्त परिवार जिनकी ६,००० रु० की आय थी उसे बढ़ा कर ७,००० रु० कर दिया गया है।

धारा ८ (क) इसमें नयी धारा बढ़ायी गयी है। उसकी मंशा यह है कि सेल्स-टैक्स अधिकारियों को बड़ी दिक्कत होती थी दूकानदारों की बही खाता वगैरह देखने में। पहले उनको देखने के लिये कोई प्राविधान नहीं था। अब इसमें यह प्राविधान किया गया है कि अधिकारीगण खाते देख सकेंगे, उनकी नकल ले सकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो दूकानों के अन्दर जाकर उसका मुआयना भी कर सकेंगे। इसी तरह से धारा १८ में भी प्राविधान पिनाल्टी का किया गया है, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि धारा ८ (क) में नया प्राविधान किया गया है।

[श्री बलवीर सिंह]

इसलिये कि अगर कोई व्यापारी ऐसा है जो अपनी बही खाते नहीं दिखलाता या उसकी नकल नहीं लेने देता या दूकान के अन्दर नहीं घुसने देता तो उसे धारा १८ के अनुसार सजा देने की बात बढ़ायी गयी है। धारा १९ में भी संशोधन किया गया है। देखने में यह आया कि ३ वर्ष अब पूरे होने वाले थे और बहुत से केसेज बाकी थे इसलिये ४ वर्ष उसमें बढ़ाया गया उन केसेज को रिओपेन करने के लिये...

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले ही जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो आपने कहा कि पहले माननीय मंत्री जी उस विधेयक को उपस्थित कर दें तब आप उसे उठाने देंगे। अब वह स्टेज पार हो गया है। यह विधेयक जनता के कर से सम्बन्धित है। श्रीमन्, इस विधेयक को सदन स्वीकृत करेगा तो जनता की जेब से कुछ पैसा निकलेगा। श्रीमन्, ६ बज चुके हैं, इतने लेट आवर्स तक विधान सभा द्वारा ऐसा विधेयक पास कराना जिससे जनता की जेबों से पैसा निकल कर सरकार के पास जावे, यह बिलकुल गलत परम्परा है और इसके विरोध में हमारा पूरा दल सदन का त्याग करता है।

(संगठन कांग्रेस के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक में संशोधन किये गये हैं उनको मैंने सदन के सामने रख दिया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह जो वर्तमान विधेयक है वह पेशा कर से सम्बन्धित है...

श्री अध्यक्ष—

पहले अपना अमेंडमेंट उपस्थित तो कीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, यह सरकार मानने वाली तो है नहीं, उपस्थित करके क्या करूंगा, यह मानें तब न।

श्री अध्यक्ष—

आप मूव नहीं करना चाहते हैं?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वर्तमान विधेयक में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

"उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत कर दे।

मान्यवर, इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की चर्चा हमने की है कि सदन में बार-बार यह चर्चा हुई और वृत्ति-कर का मामला आया। हम चाहते हैं कि सरकार और हम इस पर पूरी तरह से बातचीत करें। वृत्ति कर जिस समय लगाया गया था तो बारबार आश्वासन दिया गया था कि इसको समाप्त करने के लिये विचार हो रहा है। श्री चन्द्रभानु गुप्त की जो पिछली सरकार थी उसने इस कर को समाप्त करने का एलान भी कर दिया था और अगर वह सरकार रही होती तो वृत्ति-कर समाप्त हो गया होता।

आपने छोटी सी छूट दे दी और ३,६०० से ४,२०० कर दिया इससे लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली। आज इस महंगाई के युग में गरीब लोगों से जो थोड़ी तनख्वाह पाते हैं उनके

हृदय से पूछिये कि उन पर क्या बीतती है। हमारे जैसे प्रतिनिधियों के पास वे लोग आते हैं और कहते हैं कि आप स्वच्छ प्रशासन की बातें करते हैं और हमारे ऊपर कर लगाते जाते हैं हमारा पेट भरता नहीं है और आप हमसे चाहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें। वे तुलसीदास की चौपाई सुनाते हैं कि भूखा आदमी भला क्या नहीं करता। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी अगर स्वच्छ प्रशासन चलाना चाहते हैं तो वे इस कर को समाप्त कर दें। इससे कोई बड़ा भारी फर्क भी पड़ने वाला नहीं है।

इसके अलावा जो अधिकारी होते हैं वे न्याय का तो बिल्कुल गला ही घोंटते हैं। आपने रख दिया है कि वही तो बिक्री-कर का असेसमेंट करेगा और उसी के सामने आपत्ति सुनवाई के लिये जायगी। इस प्रकार से भला कैसे न्याय हो सकेगा। आपत्ति सुनने के लिये आपको सिविल जज या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रखना चाहिये था। बिक्री-कर के सिलसिले में भी व्यापारियों ने इस प्रकार की मांग की थी लेकिन आपने उसकी भी सुनवाई नहीं। इसलिये उनको न्याय नहीं मिल रहा है।

एक व्यवस्था इसमें आपने और कर दी है कि वह पिछले तीन सालों का कर भी लगा सकता है। होना तो यह चाहिये था कि कोई बिक्री-कर अधिकारी अगर अपने समय में किसी व्यापारी पर कर नहीं लगाता है तो उसको दण्ड दिया जाय, इसके विरुद्ध आप व्यापारियों को दण्ड दे रहे हैं। जब आप उनको तनख्वाह देते हैं तो उनको इसकी जानकारी होनी चाहिये कि कौन-कौन आदमी क्या-क्या व्यापार करता है। अगर कोई यह भी नहीं जान सकता तो ऐसे अधिकारियों को रखने की क्या आवश्यकता है। आज का कोई मामला हो तो व्यापारी कुछ सबूत भी दे सकता है लेकिन ३ साल पहले का वह क्या सबूत देगा कि वह कोई काम करता था या नहीं करता था। इसलिये इसको मंत्री जी को नहीं रखना चाहिये।

वृत्ति-कर में जो आपने छूट दी है, उससे मैं सहमत हूं लेकिन उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिनसे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिये इसको समिति को दे दिया जाय, जिससे वहां पर इस पर पूरी तरह से बैठ कर विचार हो जाय।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७०, जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष का बजट ४१३,३८,००,००० रुपये का था और इस वर्ष का बजट ४,१८,७८,००,००० रु० का है। इस वर्ष के बजट में केवल ५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रदेश में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और खर्चा भी बढ़ा है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की आमदनी और खर्चा कुछ भी नहीं बढ़ा। पिछले वर्ष ४१३ करोड़ का बजट था और इस वर्ष ४१८ करोड़ का है, केवल ५ करोड़ की वृद्धि। इसके माने हुये कि १० रुपये पर ११ नये पैसे की वृद्धि।

श्री अध्यक्ष—

आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं?

श्री जगदीश गांधी—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

तो आप लम्बा भाषण न दीजिये क्योंकि १ घंटे में इसे पास होना है।

श्री जगदीश गांधी—

मैं संक्षेप में ही कहूंगा। आज यदि हमें उत्तर प्रदेश के ९ करोड़ लोगों को रोजगार की सुविधायें देनी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, उनका स्तर उठाना है तो सरकार को आमदनी के ऐसे स्रोत ढूंढ़ने होंगे जिससे सरकार की आय बढ़ सके और सरकार उस

[श्री जगदीश गांधी]

बढ़ी हुई आमदनी से अधिक सुविधायें दे सके जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और उनका लिविंग स्तर ऊंचा हो सके। आज एक हमारे कुछ भाई यह कहते हैं कि यह कर छोड़ दीजिये, वह कर छोड़ दीजिये और दूसरी ओर कहते हैं कि लोगों को यह सुविधायें दीजिये, वह सुविधायें दीजिये। यदि आमदनी न होगी तो खर्चा कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो ४१८ करोड़ की रकम है यदि हम इसको ८०० करोड़ कर सकें तो हम लोगों को ज्यादा सुविधाएं दे सकेंगे और जब तक सरकार की आमदनी नहीं बढ़ायी जा सकती तब तक हम लोगों को और सुविधायें नहीं दे सकते। मैं रूस का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां बजट प्रति वर्ष ड्योढ़ा और दूना होता जाता है लेकिन हमारे यहां बजट की गति कछुये की चाल जैसी है। उत्तर प्रदेश सरकार नोट नहीं छाप सकती, वह करों के द्वारा ही पैसा ले सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जब सरकार गठित हुई तो हमारे प्रदेश के हर तबके को बड़ी-बड़ी आशायें थीं और खासतौर से मध्यम वर्ग को। जब से यह सरकार गठित हुई तभी से छोटे कर्मचारी हमसे पूछते थे कि नयी सरकार बन रही है, हम को भी क्या यह सरकार कुछ सुविधायें देगी और हमको उम्मीद थी कि सुविधायें मिलेंगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार सुझाव देने पर भी माननीय मंत्री जी इस बात पर सहमत न हो सके कि साढ़े सात सौ रुपये तक की आमदनी के लोगों को इस कर से मुक्ति दे दें। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जो भी आप कर लगाते हैं उसके पीछे कुछ नीति होनी चाहिये। आप देहाती क्षेत्र के अन्दर साढ़े सात सौ रुपये की आमदनी वाले काश्तकारों को कर से मुक्ति देते हैं तो क्या कारण है कि शहरों के अन्दर रहने वाले नागरिकों को आप उस कर से मुक्ति नहीं देते ? यह दो प्रकार की नीति मेरी समझ में नहीं आती। हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना है, सही बात है, वहां करों से मुक्ति दें यह भी सही बात है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है उल्टे महंगाई बढ़ी है इसलिये मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि कम से कम मध्यम वर्ग के लोगों को इस कर से मुक्ति दीजिये। मेरे माननीय मित्र गांधी जी ने बड़ा सुन्दर कहा कि हम कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाओ और यह भी सुविधायें दो लेकिन आय के स्रोत क्या होंगे। आय के स्रोत तब तक सरकार को नहीं मिल सकते जब तक सरकार पुरानी परम्पराओं को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है।

मान्यवर, स्वागत का विषय है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण, समाजीकरण होने जा रहा है। अगर हम चीनी मिलों को अपने हाथ में ले लें तो अकेले चीनी से जो मोलैसेज, शीरा, निकलता है उससे ही लगभग ५० करोड़ की आमदनी इस प्रदेश को हो सकती है। लेकिन मुझे मालूम है कि उसको भी हाथ में लेने में जो कठिनाइयां हो रही है, जो दबाव पड़ रहे हैं अगर उस दबाव से सरकार झुक गई और अगर अपनी नीतियों में इसके कारण सरकार परिवर्तन करेगी तो वह आशाएं और आकांक्षाएं जो प्रदेश की जनता की थी वह पूरी नहीं हो सकती है। तो जहां तक आमदनी के स्रोतों का संबंध ऐसे स्रोत मिल सकते हैं और टैक्स का जो बकाया है वह वसूल किया जा सकता है। लेकिन मुख्य चीज यह है कि सरकार को अपने दृष्टिकोण फैलाने का सवाल है, इस बात पर मजबूती के साथ चलने का प्रश्न है और उन नीतियों पर चलने का सवाल है जिन पर चल कर इस प्रदेश की जनता की उन्नति हो सकती है।

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी जी ने यह बात कही है कि बिक्री-कर में डीलर्स और व्यापारियों को न्याय नहीं मिलता। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। मान्यवर, बिक्री कर असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफिसर और सेल्स टैक्स आफिसर कर निर्धारित करते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर (जुडीशियल) उसकी अपील सुनते हैं जो कि टैक्स लगाया गया है उस आर्डर

के खिलाफ अपील होती है। सही फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन काफी प्रतिशत अपीलें मंजूर होती हैं और लगभग उतनी ही या उससे कुछ ज्यादा रिमांड होती है। उसके बाद रिवीजन का मौका उन्हें है। जब रिवीजन है, उनके सामने रिवीजन होता है और ये कमिश्नर, जजेज सिविल साइड के होते हैं। यह नहीं है कि हमारे एग्जिक्यूटिव आफिसर्स में से या सेल्स टैक्स आफिसर्स में से बनाते हैं। वह तो जुडीशियल साइड से आते हैं और रिवीजन सुनते हैं। वह तो इसलिये डीलर्स को इंसाफ का पूरा-पूरा मौका है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेगी जी ने एक अजीब बात कह दी। मैं तो नहीं समझ पाया। मैं तो समझता हूं कि उनका मंशा शायद यह है कि अगर साढ़े तीन हजार की सालाना आमदनी तक शहर के लोगों पर टैक्स लगता है तो जो खेती-बाड़ी करते हैं उतनी आमदनी वाले उन पर भी लगना चाहिये। तो मेरे ख्याल से यह बिलकुल अजीब बहस है। मान्यवर, अब यह जो संशोधन लाया गया है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहा गया, लेकिन मैं इसका जवाब देना जरूरी समझता हूं। प्रस्ताव यह है कि इस बिल को इससे पहले कि पास किया जाय, एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मान्यवर, इस संबंध में मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर मेरे सामने एक दिक्कत न होती। दिक्कत इसमें यह है कि धारा १९ को हम तरमीम कर रहे हैं। और इस तरमीम करने से पहले एक आर्डिनेंस इसी संबंध में निकल चुका है। यह देखा गया था कि हमारा यह प्रावीजन था कि ३ साल के अन्दर नोटिस जारी होकर तय हो जाने चाहिये केसेज, लेकिन यह देखा गया कि बहुत से केसेज बच गये किसी होशियारी से या किसी कमी से अगर हम आर्डिनेंस न लाते तो ३१ मार्च, १९७० को इसकी मियाद समाप्त हो जाती और पिछले केसेज हम नहीं ले सकते थे। तो यदि हम इसको प्रवर समिति में भेजेंगे तो समय लगेगा। नतीजा यह होगा कि हम जो आर्डिनेंस को रिप्लेस कर रहे हैं जो कि ६ हफ्ते के अन्दर हो जाना चाहिये, वह नहीं हो सकेगा। इस मजबूरी की वजह से इसको हम प्रवर समिति में नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा और जो प्रावीजन हैं वह तो राहत देने के हैं। दूसरे, उस राहत देने से जो टैक्स कम हुआ है, आमदनी सरकार की कम हुई है उसका प्रावीजन शेड्यूल में इस कारण कर दिया गया है।

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहता हूं। चारों तरफ से टैक्स की माफी की पुकार हो रही है लेकिन हमारे घाटे का बजट आ चुका है। अगर इसे भी समाप्त कर देंगे तो खर्चा चलना मुश्किल हो जायगा इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो संशोधन पेश किया गया है उसको वापस ले लिया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने में। आप सैद्धान्तिक रूप से इसको मानते हैं पर यह सरकार की कमजोरी है जो उसको प्रवर समिति में नहीं भेज रहे हैं। यह जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री शंभूनाथ चौधरी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ से ८

२--उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ५ में, उपधारा (३) में, शब्द "तीन हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "चार हजार दो सौ रुपये" रख दिये जांय, और शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "सात हजार रुपये" रख दिये जांय। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९६५ की धारा ५ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

प्रवेश तथा निरीक्षण-कर का अधिकार

"८-क--राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वृत्ति, व्यापार या आजीविका के सामान्य क्रम में या मुख्य अधिकारी द्वारा अपने अन्तर्गत सेवायोजित व्यक्तियों के सम्बन्ध में, रखे गये किसी पुस्तिका, लेख्य या लेखे का इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि ले सकता है, और इस प्रयोजन के लिये उस व्यक्ति या मुख्य अधिकारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, पात्र या गाड़ी में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और उस व्यक्ति उस व्यक्ति या मुख्य अधिकारी से ऐसी पूछताछ कर सकता है जो आवश्यक हो।" — नई धारा ८-क का बढ़ाया जाना

४--मूल अधिनियम की धारा १८ में शब्द "या ऐसे कर के सम्बन्ध में अपने दायित्व को स्वेच्छापूर्वक छिपाये" के पश्चात् शब्द "या धारा ८-क के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उसमें निर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संपादन करने में बाधा डाले या रोके" बढ़ा दिये जांय। — धारा १८ का संशोधन

५--अमूल अधिनियम की धारा १९ में--

(१) शब्द "तीन वर्षों" के स्थान पर शब्द "चार वर्षों" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जांय और — धारा १९ का संशोधन

(२) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कर निर्धारण का कोई आदेश किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिये, ऐसे वर्ष के अन्त से चार वर्षों की समाप्ति के पश्चात् या नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो, नहीं दिया जायेगा।"

६--मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्-- — नई धारा २०-क का बढ़ाया जाना

एकतरफा आदेश को रद्द करने की शक्ति

"२०-क---किसी मामले में, जिसमें एक-तरफा कर-निर्धारण आदेश दिया गया हो, करदाता आदेश की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश रद्द करने और मामले पर पुनर्विचार करने के लिये कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और यदि ऐसे प्राधिकारी का या तो यह

समाधान हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं प्राप्त हुई थी या वह पर्याप्त कारणवश निश्चित दिनांक पर उपस्थित नहीं हो सका था, तो वह कर-निर्धारण आदेश रद्द कर सकता है और मामले पर पुनर्विचार कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि एकतरफा कर-निर्धारण आदेश रद्द करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं ग्रहण किया जायगा जब तक कि उसके साथ स्वीकार किये गये देय कर, या एकतरफा निर्धारित कर का एक-चौथाई इसमें जो भी अधिक हो, के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न दिया गया हो।''

अनुसूची का प्रतिस्थापन

७—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्—

अनुसूची

[कर की दरें देखें धारा ५(१)]

	कर की धनराशि रु०
यदि वार्षिक कुल सकल आय—	
(१) ४,२०० रुपये से अधिक किन्तु ५,००० रुपये से अधिक न हो ..	३६
(२) ५,००० रुपये से अधिक किन्तु ६,००० रुपये से अधिक न हो ..	६०
(३) ६,००० रुपये से अधिक किन्तु ७,००० रुपये से अधिक न हो ..	८४
(४) ७,००० रुपये से अधिक किन्तु ८,००० रुपये से अधिक न हो ..	१०८
(५) ८,००० रुपये से अधिक किन्तु ९,००० रुपये से अधिक न हो ..	१३२
(६) ९,००० रुपये से अधिक किन्तु १०,००० रुपये से अधिक न हो ..	१७६
(७) १०,००० रुपये से अधिक हो ..	२५०

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९७० का निरसन

८—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २,३,४,५,६,७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा उप-शीर्षक

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन-कर (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलबीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११.०० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :

२७ मई, १९७० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३९ पर)

विधान सभा के ७वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री मन्जूर अहमद के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के प्रथम भाग में उल्लिखित व्यौरा

नाले का नाम	वर्ष १९६६–६७ में		वर्ष १९६७–६८ में		वर्ष १९६८–६९ में	
	मन्जूर की गई धनराशि	व्यय की गई धनराशि	मन्जूर की गई धनराशि	व्यय की गई धनराशि	मन्जूर की गई धनराशि	व्यय की गई धनराशि
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—इकला नाला	५,७८०	६,७७४	५,७८०	६,७७४	५,७८०	†६,७७४
२—बाली नाला	१,७७०	२,६७०	१,७७०	९५२	१,७७०.	९५२
३—लल्लियाना माइनर	५०७	*	५०७	*	५०७	*
४—महल वाला नाला	१,४४५	१७	१,४४५	१७०	१,४४५	†६०,१९७
५—विठौर नाला	१,६२५	१,२८४	१,६२५	६४०	१,६२५	२,५७१
६—राधना नाला	२,२०४	१,९०६	२,२०४	४१२	२,२०४	६९६
७—छोइया नाला	५.०२१	६५२	५,०२१	१,२२२	५,०२१	२,८३६
८—नीम नदी	१३,००५	६,६२०	१३,००५	३,१५२	१३,००५	†२२,८९५
९—जेठ जखडा नाला	२,४५६	*	२,४५६	*	२,४५६	९,६९९
१०—पस्वाडा माइनर	४२५	*	४२५	*	४२५	*
११—मऊ नाला	इस नाम का कोई अलग नाला नहीं है । मऊ ग्राम के लोग छोइया नाला को ही मऊ नाला के नाम से पुकारते हैं।					
१२—माच्छरा नाला	इसी प्रकार माच्छरा के ग्रामवासी इकला नाला को माच्छरा नाला कहते हैं।					

नोट : *स्थिति के अनुसार व्यय नहीं किया गया ।
†स्थिति को देखते हुये अधिक व्यय करना पड़ा ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५५, ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

दिनांक १७–२–१९७० से १५–४–१९७० तक की अवधि में सिंचाई विभाग के निलम्बित किये गये राजपत्रित अधिकारियों की तालिका

क्र० सं०	नाम अधिकारी तथा पद	निलम्बन आदेश जारी किये जाने की तिथि	आरोप का सार जिन पर निलम्बित किया गया	यदि निलम्बन आदेश निरस्त कर बहाल किया गया तो आदेश जारी किये जाने की तिथि	आरोप पत्र दिया गया अथवा नहीं	जांच समिति गठित करके जांच अमल में लाई गयी अथवा नहीं	जांच समिति की रिपोर्ट का सार	यदि चार्ज शीट नहीं दी गई व जांच नहीं की गयी तो उन्हें किस आधार पर बहाल किया गया
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	सर्व श्री							
१	अर्जुन कुमार ददलानी, अधिशासी अभियन्ता ।	१२–३–१९७०	जिन शिकायतों पर निलम्बित किये गये थे उनका विवरण देना जांच के हित में न होगा ।	९–४–७०	नहीं	नहीं	प्रश्न नहीं उठता ।	इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर निर्णय लिया गया था कि इनकी खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जाय और जांच पर्यन्त इन्हें निलम्बित रखा जाय । तदनुसार निलम्बन आदेश जारी किये गये थे । किन्तु बाद में पुनर्विचार कर निर्णय हुआ कि किसी अधिकारी को खुली जांच पर्यन्त निलम्बित नहीं किया जाय बल्कि निलम्बन का निर्णय खुली
२	महाबीर प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता ।	१२–३–१९७०		९–४–७०	नहीं	नहीं	,,	

							जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही आरोपों की गम्भीरता के अनुसार लिया जाय। तदनुसार निलम्बन आदेश निरस्त कर दिये गये और सतर्कता अधिष्ठान को जांच सौंप दी गयी है।
३—फारूक हुसेन, अधिशासी अभियन्ता।	४–३–७०	,,	९–४–७०	नहीं	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	यह अधिकारी सिचाई विभाग, वाराणसी के कुछ अभियन्ताओं के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की गुप्त जांच के आधार पर निलम्बित किये गये थे। इनके बारे में पहले यह निर्णय हुआ था कि खुली जांच पर्यन्त निलम्बित रखा जाय किन्तु बाद में क्रम सं० १ तथा २ के सामने उल्लिखित निर्णय के अनुसार निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया।
४—मन मोहन नाथ टंडन, अधिशासी अभियन्ता।	४–३–७०	,,	९–४–७०	,,	,,	,,	
५—विजय बहादुर लाल, सहायक यांत्रिक अभियन्ता।	४–३–७०	,,	९–४–७०	,,	,,	,,	
६—सत्य पाल चन्द्रा, अधिशासी अभियन्ता	२१–३–७०	,,	९–४–७०	,,	,,	,,	श्री चन्द्रा के राम गंगा परियोजना, कालागढ़ के कार्यकाल से सम्बन्धित शिकायत पर निलम्बित किया गया था तथा खुली जांच करने का निर्णय लिया गया किन्तु बाद में उपर्युक्त निर्णय के अनुसार निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
७	केन्द्र पाल गुप्ता, सहायक यांत्रिक अभियन्ता ।	२१–३–७०	शिकायत की जांच हो रही है जिनका विवरण देना जांच के हित में न होगा ।	४–४–७० (आदेश का कार्यान्वयन रोक दिया गया) ।	नहीं	नहीं	प्रश्न नहीं उठता ।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वाराणसी से सम्बन्धित आरोपों में खुली जांच पर्यन्त इन्हें निलम्बित किया गया था । चूंकि श्री गुप्ता रुड़की विश्वविद्यालय में वाटर रिर्सोसेज डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग सेन्टर में विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं और इस प्रशिक्षण में तीन मास ही शेष रह गया था अतः यह निर्णय लिया गया कि निलम्बन के आदेश फिलहाल रोक दिये जायें ताकि प्रशिक्षण में बाधा न पड़े । यदि खुली जांच में इनके विरुद्ध कोई प्रमाण मिलते हैं तो पुनः विचार किया जायगा ।
८	बदलू राम जैन, सहायक अभियन्ता ।	७–३–७०	स्थानान्तरण यात्रा/भत्ता बिल में परिवार के सदस्यों तथा घरेलू सामान का गलत चार्ज करने के आरोप पर ।	..	हां (जांच अधिकारी को १६-३-७० को भेजा गया है) ।	जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।	जांच हो रही है ।	—
९	रवीन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता ।	१०–४–७०	सरकारी धन में गड़बड़ी करने के आरोप हैं ।	..	हां (जांच अधिकारी को ११–४–७० को भेजा गया) ।	,,	,,	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१० मुंशी लाल बंसल, सहायक अभियन्ता ।	२८–३–७०	सरकारी धन में गड़बड़ी करने आदि के आरोप हैं ।	..	हां (जांच अधिकारी को ३०–४–७० को भेजा गया) ।	,, ,,	—
११ रमेश चन्द्र अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता ।	१०–३–७०	भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमावली, वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने आदि आरोप हैं ।	..	आरोपों की जांच प्रशासनाधिकरण को ६–४–१९७० को सौंप दी गई है । प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।		—
१२ महेश चन्द्र जैन, सहायक यांत्रिक अभियन्ता ।	२१–३–७०	मस्टर रोल पर किये भुगतान के बारे में गलत प्रमाण-पत्र देने के आरोप हैं ।	..	हां (५–११–६९ को श्री जैन पर तामील हुआ) ।	प्रशासनाधिकरण जांच कर रहा है । प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।	—

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर)

सन् १९६७–६८ वर्ष के राष्ट्रपति शासन की अवधि तक दारुलशफा (विधायक निवास) के ब्लाक के कमरों में राष्ट्रपति शासन के पूर्व मौजूद सरकारी सामान में से कम पाये गये सामान की सूची ।

क्रम सं०	कम पाये गये सामान का नाम	सामान की संख्या
१	ताला चाबी	२०
२	टेबिल लैम्प	५
३	उगालदान	६
४	पर्दा छोटा	९
५	पर्दा बड़ा	१४
६	ताली अल्मारी	१०
७	मग	११
८	बाल्टी	२
९	खूंटी	१
१०	ऐश ट्रे	१६
११	दरी	१

नोट:––उपरोक्त सामान के अतिरिक्त एक विधायक के कक्ष से एक श्रृंगार मेज का शीशा तथा एक दरवाजे का पर्दा चोरी हो गया जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई थी । पुलिस ने जांच की परन्तु कोई पता न लग सका । अतः पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५८ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे ।

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा ।

परिभाषायें

२—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता यायात्रा भत्ता की दशा में, न तो उन दरों से अधिक हों और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों;

(ख) 'परिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हों या न हों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हों ;

(ग) 'अपरिनियत निकाय' का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है जो परिनियत निकाय न हो;

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ।

कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेगें

३—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो, उसके धारक को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायगा, अर्थात्—

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद ।

(ख) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, १९४८, टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, १९४८ या रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयर फोर्सेज ऐक्ट, १९५२ के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद; — ऐक्ट संख्या ३१, १९४८

(ग) जबकि संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद ; — ऐक्ट संख्या ५६, १९४८ ऐक्ट संख्या ६२, १९५२

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित होम गार्ड्स में कोई पद ;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद ;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद ;

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ;

(झ) राज्य दुग्ध बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ;

(ञ) लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संग्रहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

अधिनियम संख्या ४३, १९५१

(ट) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ज) खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

(ठ) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खाता सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो ;

ऐक्ट संख्या १०, १९२०

(ड) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, १९२० में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां या भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री के लिये अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय ;

(ढ) संविधान के अनुच्छेद ३१—क के खंड (१) के उपखंड (ख) के अधीन बनाई गयी विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिये भार सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी संपत्ति

के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त संपत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित हो ;

(ण) कोई पद जो किसी विशेष कर्त्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक की हकदार न हो ;

(त) पैनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १२७-ख के अधीन नियुक्त कोई नेल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के लिए हकदार न हो ;

(थ) लेख्य-प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा ऐमीकस क्यूरी का पद अथवा सरकारी आदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

४--निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं :--

(१) दि यूनाइटड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिस क्वालिफकेशन ऐक्ट, १९४० ;	यू० पी० ऐक्ट संख्या ७, १९४०
(२) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, १९५० ;	यू० पी० अधिनियम संख्या २, १९५०
(३) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधियनियम, १९५१ ई० ;	उ० प्र० अधिनियम संख्या १९, १९५१
(४) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधियनयम, १९५२;	उ० प्र० अधिनियम संख्या, ४, १९५२
(५) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ;	उ० प्र० अधिनियम संख्या १३, १९५२
(६) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५३ ;	उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५३

(७) उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५४ ;	उ० प्र० अधिनियम संख्या २३, १९५४
(८) उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५५ ;	उ० प्र० अधिनियम संख्या १६, १९५५
(९) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५६ ;	उ० प्र० अधिनियम संख्या ३५, १९५६
(१०) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६ ;	उ० प्र० अधिनियम संख्या ३, १९५७

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की लाभ पद विषयक संयुक्त समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ एक मुख्य सिफारिश यह की थी कि अभी तक प्रचलित अनर्हता निवारण संबंधी दस अधिनियमों के स्थान पर विशद विधायन बनाया जाय जिसमें अनर्हता के संबंध में पूरा-पूरा विवरण हो और उक्त विशद् विधायन को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाय । समिति की उक्त सिफारिश को मान लेने के साथ-साथ यह भी आवश्यक समझा गया कि होम गार्डों, पैनेल के वकील, लेख्य प्रमाणक या शपथ अधिकारी या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा ऐमीकस क्यूरी (सरकारी आदाता अथवा सरकारी परिसमापक को छोड़ कर) की अनर्हता का निवारण भी विधि द्वारा स्पष्ट रूप से कर दिया जाय । प्रस्तुत विषय पर विधि के समेकन करने के इस अवसर का उपयोग कुछ कतिपय संशोधन भी करने के लिये किया गया है । तद्नुसार यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है ।

शांति प्रपन्न शर्मा,
संसदीय कार्य मंत्री ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०-७० एल० ए०—१९७१—८४५ (मे०) ।